लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार 13 मार्च, 1978/22 फाल्गुन, 1899 (शक)
No. 15. *Monday, March,* 13, 1978 /*Phalgun* 22, 1899, (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1—5
*तारांकित प्रश्न संख्या 265, 266 268, 269, 271, 272, 277, और 279	*Starred Questions Nos. 265, 266, 268, 269, 271, 272, 277 and 279	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	16—157
तारांकित प्रश्न संख्या 267, 270 273 से 276, 278 और 280 से 284	Starred Questions Nos. 267, 270, 273 to 276, 278 and 280 to 284	16—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 2487 से 2567, 2569 से 2612, 2614 से 2649 और 2651 से 2686	Unstarred Questions Nos. 2487 to 2567, 2569 to 2612, 2614 to 2649 and 2651 to 2686	26—157
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment .	157—158
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	158—159
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	159—162
डा० अम्बेडकर के प्रति पुलिस द्वारा असम्मान प्रकट किये जाने के विरोध में बरेली में प्रदर्शन का समाचार—	Reported Demonstration in Bareilly against Police for showing disrespect to Dr. Ambedkar. —	
श्री मंगल देव	Shri Mangal Deo . .	159
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal .	160
श्री रामविलास पासवान	Shri Ramvilas Paswan . .	160
श्री राम देनी राम	Shri R. D. Ram .	161
श्री आर० एल० कुरील	Shri R. L. Kureel	161
श्री हरिकेश बहादूर	Shri Harikesh Bahadur . .	161—162

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—61 L.S.S. (N.D.)/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
नियम 377 के अधीन मामले—	Matter under Rule 377—	162-164
(एक) कानपुर में नकली दवाइयों के निर्माण का समाचार—	(i) Reported manufacture of spurious drugs in Kanpur—	
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal . .	162
(दो) बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के बद किये जाने की संभावना—	(ii) Impending closure of Bengal Immunity Company —	
श्री सौगत राय	Shri Saugat Roy . .	162
(तीन) निजाम के हीरे जवाहरात की बिक्री का समाचार—	(iii) Reported sale of Nizam's Jewellery —	
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	163
(चार) पटना में श्री जयप्रकाश नारायण और श्री जगजीवन राम पर हमले का समाचार—	(iv) Reported attack on Shri Jayaprakash Narayan and Shri Jagjivan Ram at Patna —	
श्री वयालर रवि	Shri Vayalar Ravi .	163
(पांच) पटना में श्री जगजीवन राम पर पत्थर फैंके जाने की घटना का समाचार—	(v) Reported incident of Stone Throwing on Shri Jagjivan Ram at Patna—	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi.	164
सामान्य बजट, 1978–79, सामान्य चर्चा—	General Budget, 1978-79— General Discussion	164–173व 174–178
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	164–167
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah . .	167-169
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	169–171
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	171–173
श्री मुरली मनोहर जोशी	Shri Murli Manohar Joshi	174–176
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam .	176–177
श्री यशवंत बोरोले	Shri Yashwant Borole .	178
शाह जांच आयोग द्वारा दिये गये प्रथम अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Interim Report given by Shah Commission of Enquiry—	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh .	173–174

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 13 मार्च, 1978/22 फाल्गुन, 1899 (शक)
Monday, March 13, 1978/Phalguna 22, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

काली बाड़ी, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट प्लाट

*265. श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली बाड़ी, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट एक प्लाट को, जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए नियत किया गया था नई दिल्ली नगर पालिका एक प्राइवेट कंपनी को टूरिस्ट होटल बनाने के लिए दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो यह प्लाट किन परिस्थितियों में दिया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinker): (a): Yes, Sir.

(b) The allotment was made irregularly by the New Delhi Municipal Committee.

(c) The C.B.I. is conducting an inquiry.

श्री जी० एम० बनातवाला : इस गैर-सरकारी कम्पनी का नाम क्या है ?

Shri Ram Kinkar: It has been given to Shri S. P. Aggrawal on lease.

श्री जी० एम० बनातवाला : जो प्लाट एक विशेष प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया था उसे पर्यटक होटल बनाने के लिए दे दिया गया। पहले तो यही एक बड़ी अनियमितता है। इसके अतिरिक्त कौन-कौन सी अनियमितताएं देखी गई है जिनकी जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों से कहा गया है ?

Shri Ram Kinkar: In Master Plan this place was earmarked for religious use. Instead, it has been leased for a hotel. The term of lease has also been increased from 30 years to 99 years.

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): In the Master Plan its land use has been termed as religious and a hotel could not be constructed there. Sometime later, efforts were made through D.D.A. to declare it institutional area. D.D.A. has the right to make minor changes but it should have been reported to the Central Government or L. & D.O. within a certain period. But this was not done. Even if we may take it as institutional land even then a hotel could not be constructed there. Actually that plot of land was divided into three parts. N.D.M.C. was the owner of one part. The second part was given on lease by L. & D.O. to N.D.M.C. with the condition that prior permission of L. & D.O. or Central Government will have to be taken if it was to be put to some other use. But that permission was not taken. The second part of land was also given to Shri S. P. Aggarwal. The third part of land clearly belonged to L. & D.O. which was neither on lease nor it was under the ownership of N.D.M.C. The third part was given when the firm said that the 24 inch pipe there may be shifted because it wastes some land. They claimed compensation and the third part was also given. All these are irregularities.

Chaudhari Balbir Singh: May I know why cases against guilty persons have not been filed in the courts in the first instance? Going in for C.B.I. report and other such things only makes the procedure lengthy and the matter is hushed up at one or the other level. When they have openly violated the conditions why court proceedings are not initiated aginst them ?

Shri Sikander Bakht: We thought it better to strengthen the case in all respects before prosecution proceedings are launched.

Chaudhari Balbir Singh: Whether any time-limit has been fixed for C.B.I. enquiry ?

Shri Sikander Bakht: No time-limit has been fixed but they have been asked to expedite the matter.

Shri Surendra Vikram: Whether it is a fact that D.D.A. had taken over certain plots more than 3 years ago and yet neither any notification has been issued nor any compensation has been paid to the owners ? If it is so, why any action is not being taken against them ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से पैदा नहीं होती।

Apprenticeship Scheme of the Government of India Presses

*266. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons trained under the Apprenticeship Scheme of the Printing Presses and the expenditure incurred thereon and whether the scheme still continues; and

(b) the number out of these trained persons given jobs in Presses and in case they have not been provided jobs, the reasons therefor and the future scheme regarding provision of employment to them ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinker): (a) Under the Apprentices Act, 1961 there is a statutory obligation on the part of certain industrial units, whether run by the Government or otherwise, to impart training to a specific number of apprentices. The Government of India Presses, by training apprentices, are fulfilling these statutory requirements. The expenditure incurred from 1968-69 upto January, 1978 is Rs. 66.99 lakhs. The number of apprentices trained is being collected.

(b) It is a facility which is required to be provided under the Act and it is not obligatory on the part of the employer to give a job to the apprentice whom he trains. Hence the question does not arise.

Shri Nawab Singh Chauhan : Information has been given about the expenditure incurred on apprentice's training from 1968-69. But this scheme has been in operation for a long time and Rs. 66.99 lakh have been spent on it. It has also been stated that the information regarding number of apprentices trained is being collected. There are about 12 or 13 presses. I had given notice at least one month before so I do not know why information has not been collected. These figures can be collected within one day. May I know since when this scheme is operating ? Even now hundreds of trained persons are unemployed. Although it is not obligatory but when due to retirement or otherwise many vacancies occur in various presses why these trained persons have not been absorbed ?

Shri Ram Kinkar : This scheme was introduced in 1966 in 18 presses within the country. But the expenditure shown relates to 10 years is from 1968-69 and rest of the information is being collected. It is not compulsory to employ all the persons who have received training but certainly we give them preference. The trained persons are not bound to work in a press. They can start their own business. I shall give any other information as and when it is received.

Shri Nawab Singh Chauhan : While collecting information, whether the hon'ble Minister will collect information regarding the number of vacancies occurred and the number of trainees absorbed after introduction of this scheme ? I know that people are employed in presses from the backdoor.

Shri Ram Kinkar : The hon'ble Member's suggestion has been noted but there is no obligation under the Act to employ only the trained persons but we give them preference because Government as well as employers spend so much on them.

Shri Chhabiram Argal : May I know the number of nuemployed trained persons after this scheme was introduced ? Whether reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been filled for the last many years and if so whether he will take stringent steps to fill that quota ?

Shri Sikander Bakht : No such quota is reserved.

Shri Laxminarain Nayak : May I know the number of training centres and the placess of their location ?

Shri Sikander Bakht: There are 18 Centres — Mathura Road, New Delhi, — Hastings Street Calcutta — Aligarh — Nasik — Temple Street, Calcutta — Faridabad — Simla — Santragachi — Coimbtore — Nelokheri — Kurethi — Raj Bhavan, New Delhi — Chandigarh — Bhuvaneshwar — Faridabad — Mysore and one centre has been working in Sikkim since August, 77.

Shri Kishore Lal : Sir, when Janata Government was formed, the Railway Minister had assured that 50 per cent vacancies will be filled by apprentices. It is the joint responsibility and this practice has already been introduced in Railways. Other ministries should also follow suit. Some clearcut policy should be framed in this regard.

Shri Chimanbhai H. Shukla : Sir, it is not proper for Janata Government to say that it is not obligatory or compulsory. So far as my information goes these persons are not called even for interview. After spending so much on training it does not look proper to say that it is not obilgatory. At least they should be called for interview. The question of employing them comes much later.

Shri Sikander Bakht: This training was started to equip the persons in a better way. So far as the process is concerned we have given these instructions :

> "The Directorate of Printing have issued instructions to the Head of Government of India Presses that for actual appointments, apprentices should get their names registered with the employment exchanges on completion of their training and qualified apprentices are given preference over other candidates in the matter of employment".

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का आगे किराये पर दिया जाना

*268. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों में इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था कि इन क्वार्टरों के कितने अलाटियों ने पूरे या आंशिक रूप में अपने क्वार्टर अन्य लोगों को आगे किराये पर दिए हैं और उनको अलाट किए गए गैरेज भी आगे किराये पर दे रखे हैं ;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

The State Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): During 1977-78, two random inspections were carried out in the D.I.Z. Area, one in December, 1977 and the other in January, 1978.

Out of the 30 houses inspected, no subletting was detected in 27 houses. In one case, subletting was not proved. The other two cases are still in the process of further investigation.

Shri Shiv Sampati Ram: May I know the number of quarters in the D.I.Z. area ? Is the hon. Minister aware of the fact that quarters and garages have been

sub-let there and a number of shop's are running. Most of such tenants belong to Estate office who conduct enquiries into such complaints. Will you let me know the particulars of enquiry?

Shri Ram Kinkar: I require notice for the details regarding number of quarters : We can conduct enquiry for a specific complaint. We found no case of sub-letting in random enquiry conducted on 23rd December, 1977. In another enquiry conducted in January, two cases of sub-letting came to light, which are during processed for necessary action.

Shri Shiv Sampati Ram: Will the Government obtain affidavits from all the Government employees and order C.B.I. enquiry thereafter?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): All Government employees know that they are not entitled to sub-let their houses. They are entitled for sharing in some cases. All these formalities are completed at the time of allotment of quarters.

श्री के० गोपाल : क्वार्टरों को सब-लेट करने की यह बुराई इसी क्षेत्र में नहीं है। हमारे एम० पी० क्वार्टरज में भी ऐसा हो रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या वे इस सम्बन्ध में जांच हम से ही शुरू करेंगे अन्यथा हमें औरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम इसका पालन स्वयं नहीं करते। प्रश्न तो यह होना चाहिये था कि एम० पी० क्वार्टर्ज और सरकारी क्वार्टरों में कितने क्वार्टर सब लेट किये गये हैं ?

Shri Sikander Bakht : The quarters referred to by the Hon. member are less in general pool and more in Lok Sabha Pool. We will certainly make enquiries into that.

आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए लेक्चरार

*269. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की मांग प्राप्त हुई है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में हुई लेक्चरारों की नियुक्तियों पर पुनः विचार किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ऐसी नियुक्तियों पर पुनः विचार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है कि वह आपात स्थिति के दौरान प्रत्येक कालेज में ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा पेश करे ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक कालेज में हुई ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटर को सम्बोधित दिनांक 13 मई, 1977 के अभ्यावेदन में दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में लक्चरारों की नियुक्ति के तीन मामलों की जांच की मांग की थी। इन तीन मामलों के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध एक महिला कालेज में लेक्चरार की नियुक्ति का दूसरा मामला भी दिनांक 23-7-1977 की डा०गोविन्द राय चौधरी, सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद और वित्त समिति की शिकायत में शामिल है, जो उन्होंने शाह जांच आयोग को भेजी है।

(ख) तथा (ग) : प्रधान मंत्री आपात काल के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1976-77 के दौरान सम्बद्ध कालेजों में की गई लेक्चरारों की नियुक्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय को अभी पूरे ब्यौरे आयोग को प्रस्तुत करने हैं।

Shri Durga Chand : The Hon. Minister has stated that Delhi University has received 3 complaints about appointment of 3 Lecturers during emergency. I want to know the names of the colleges where these Lecturers were appointed.

I would also like to know whether complaints from Teachers Association or some individuals were received by you ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : The names of these 3 colleges are :—

1. Bhagat Singh College — Smt. Damyanti Shastri.
2. Ramjas College — Shri Padmakar Pandeya.
3. Shyam Lal College — Shri Deepak Malhotra.

These 3 complaints were received. Besides this, Dr. Govind Rai Chaudhry also referred to these complaints in the complaint filed before Shah Commission. Our Prime Minister is looking into it, which is lying for preliminary enquiry before him.

Shri Durga Chand : I think main reason for such wrongful appointments is that Heads of the Department in the selection committee had more say. I want to know whether some guidlines have been issued in this behalf so that selection committee could be made broad-based and there is no irregularity in such appointments.

Dr. Pratap Chandra Chunder : The selection committee is being constituted according to University Rules and Regulations.

डा० सुब्राह्मण्यम् स्वामी : क्या लेक्चरारों के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोफेसरों की ऐसी नियुक्ति भी की गयी, जो संदेहपूर्ण थी। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मंत्री महोदय ने मधुरता से साथ में इसकी निंदा की है। वे कभी भी कठोर शब्द उपयोग नहीं करते।

यह नियुक्ति तथाकथित शिक्षाविद प्रोफेसर डा० नुरुल हसन की हुई थी जो कांग्रेस दल के सदस्य हैं। मंत्री जी द्वारा संसद में दिये गये वक्तव्य के बाद से क्या उन्होंने डा० नुरुल हसन को नियुक्त किये जाने के ढंग के निरनुमोदन की बात कुलपति को बता दी है और क्या उन्होंने आरम्भिक कदम के रूप में डा० नुरुल हसन के त्यागपत्र के लिए कहा है ताकि वह सन्मानपूर्वक चले जायें--ऐसा न होने पर क्या मंत्री जी डा० हसन को विश्वविद्यालय से हटाने के लिए ठोस कार्यवाही करेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि मामला विचाराधीन है क्योंकि कुछ अध्यापकों ने इन नियुक्तियों के बारे में शिकायत की है और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष है।

श्री सौगत राय : दिल्ला विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापकों ने शिकायत की है कि आपात स्थिति के दौरान गलत ढंग से नियुक्त किए गए व्यक्तियों का पता लगाने के नाम पर लोगों को बाकायदा चुन-चुन कर तंग किया जा रहा है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उपयुक्त अर्हता वाले व्यक्तियों को, चाहे आपात स्थिति से पहले या बाद में उनका कांग्रेस या किसी भी दल से सम्बन्ध रहा हो, दंडित नहीं किया जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि हम नियम और विनियमों का पालन करेंगे। अतः अब तक किसी को तंग करने की कोई बात नहीं है। हमें शिकायतें मिली है जिनकी उचित तरीके से जांच हो रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री इन मामलों की जांच कर रहे हैं। यह कब तक पूरी हो जायेगी और भाग (ग) और (य) में यह क्यों कहा गया है कि दिल्ली विश्व-विद्यालय ने अभी तक आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी है। आयोग ने वर्ष 1976-77 के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। एक वर्ष तो पूरा होने को है। विश्वविद्यालय जानकारी देने में इतना विलम्ब क्यों कर रहा है ? क्या उन्होंने आज की रिपोर्ट को देखा है कि विभिन्न कालेजों में 500 पद खाली हैं। मंत्रालय इस गम्भीर मामले में क्या कर रहा है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पहला प्रश्न आपका ठीक है कि प्रधान मंत्री शिकायतों की जांच कर रहे हैं पर उन्हें और भी अधिक महत्वपूर्ण मामले देखने होते हैं। कैम्पस में शांति स्थापना हेतु उन्होंने यह जिम्मेदारी ले ली है। आशा है वह इन शिकायतों की जांच के लिए शीघ्र ही समय निकालेंगे।

जहां तक जून, 1977 में हुए मामले का सम्बन्ध है दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ जानकारी दी है लेकिन आयोग ने इसे अपूर्ण जानकारी कह कर विस्तृत जानकारी मांगी है। विश्वविद्यालय यह जानकारी नहीं दे पाया है पता नहीं क्यों ? शायद विश्व-विद्यालय के साथ बहुत से कालेज सम्बद्ध हैं या उसे विलम्ब हुआ है पर आयोग ने उन्हें 26 फरवरी, 78 को पुनः स्मरण कराया है कि यह जानकारी दी जाये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस समय रिक्त पड़े 500 स्थानों के बारे में क्या किया जायगा?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि माननीय सदस्य अनुरोध कर रहे हैं तो मैं मामले की जांच करूंगा।

Shri Lalji Bhai: He has not replied as to how long these proceedings will continue.

Secondly I want to know the number of persons appointed during Emergency against whom court proceedings are going on and how long will they continue and when a decision will be announced?

Dr. Pratap Chandra Chunder: Sir, I may submit that it is not possible to tell as to how long the proceedings will continue. We have to find out the number of complaints and they are to be investigated. The hon'ble Prime Minister is looking into these complaints.

Shri Lalji Bhai: May I know the number of persons who have been prosecuted?

Dr. Pratap Chandra Chunder: I require notice for that.

Shri Roopnath Singh Yadav: Whether it is a fact that quota reserved for Harijans and other classes has not been filled? If so, will the Government give an assurance to end the injustice which is being done to these classes for the past many years? Will Government prescribe certain guidelines for the universities?

Dr. Pratap Chandra Chunder: It is a good question but I require notice for it.

Grants to Sanskrit Colleges

†*271. **Shri Yamuna Prasad Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission has laid down a condition that only those Sanskrit Colleges will be given grants which have been brought within the purview of the University Grants Commission Act and if so, whether the University Grants Commission does not bring Sanskrit Colleges within the purview of U.G.C. Act in spite of the requests made by them in this regard and for this very reason Sanskrit Colleges are unable to get grants from the University Grants Commission; and

(b) whether the University Grants Commission is considering the question of giving grants to Sanskrit Colleges run by State Governments for construction of building and hostel and for library and furniture on the same lines as it used to give grants to other Arts, Science and Agriculture Colleges etc. run by the State Governments?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) and (b): The University Grants Commission has not laid any conditions specifically for Sanskrit Colleges in the matter of giving grants. Any college which fulfils the general conditions enunciated by the University Grants Commission for coming within the purview of the UGC Act would be eligible for grants under such schemes as are formulated by the University Grants Commission from time to time.

Shri Yamuna Prasad Shastri: The hon. Minister has stated that a college which fulfils the general conditions prescribed by the University grants commission for coming within the purview of the U.G.C. Act will be eligible for grants. I want to know the names of the colleges that are receiving grant from the U.G.C.?

Sir, I can quote many instances in this regard. Whenever a Sanskrit College applied for grants they were asked to get themselves registered first and when they go for registration, U.G.C. refuses to register them. In such circumstances no college is able to get grant. I want to know how many colleges are getting grant from U.G.C.?

Dr. Pratap Chandra Chunder : The following colleges are getting grants from U.G.C.

1. M. R. Government Sanskrit College, Vizianagram (affiliated to Andhra University).
2. Sanskrit College, Calcutta (affiliated to Calicut University).
3. Govt. Sanskrit College, Pattambi (affiliated to Indore University).
4. Govt. Sanskrit Degree College, Indore (affiliated to Indore University).
5. Govt. Sanskrit College, Tripunilhura (affiliated to Kerala University).
6. Sanskrit College, Trivandrum (affiliated to Kerala University).
7. Govt. D.S.V. Sanskrit College, Raipur (affiliated to Ravi Shankar University).
8. L.P.T. Sanskrit Degree College, Dhana (affiliated to Sangar University),

Two Sanskrit Universities are also getting these grants.

1. K. S. Dharbhanga Sanskrit University.
2. Sumpoornanand Sanskrit Viswa vidayalaya, Varanasi.

If I start giving the exact amount of grant given to each college and university, it will take quite some time. I am, therefore, not going into that.

Shri Yamuna Prasad Shastri : It means that only colleges are getting grant from U.G.C. keeping in view the large number of the Sanskrit Colleges in the country this number is negligible. May I know from the hon. Minister whether a Sanskrit expert will be appointed as a member of the University Grants Commission to safeguard the interests of Sanskrit Colleges. Sanskrit is being neglected because no member of the commission has any interest in it. Even the lecturers of Sanskrit Colleges are not getting the same pay-scale as the lecturers of Arts and Science Colleges are getting. As far other colleges, U.G.C. has given instructions that if the State Government will give the U.G.C. pay scales eighty percent of the expenditure will be borne by Central Government or by U.G.C. but no such instructions have been given in case of Sanskrit Colleges. Even the principals of these colleges are getting much less salary. No instructions have been issued in their case. Will any Sanskrit Scholar be appointed as a member of the U.G.C.?

Shri Pratap Chandra Chunder : As I have already stated, the University Grants Commission has not laid any conditions pecificially for Sasnkrit Colleges in the matter of giving grants. The colleges that are fulfilling the general condition they are getting grants. I have mentioned the names of two Sanskrit Universities the commission has asked for lists from them. Darbhanga Sanskrit University has already sent the list but Sampoornanand Sanskrit University has not sent the list as yet. After receiving the information the commission will try to give them the possible grant.

Dr. Karan Singh : Sanskrit has been the base and main source of our ancient culture. It is evident from the reply of the hon. Minister that Government is not giving due attention towards this language. I want to know the amount that was given to Sanskrit Colleges during the past year and how much amount has been allotted this year for them. Whether the hon. Minister will give us an assurance that this amount will be raised?

Dr. Pratap Chandra Chunder : Nothing has been decided as yet. Discussion in this regard is still going on.

श्री विनोद भाई बो० शेठ : संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। हमारा सारा प्राचीन साहित्य और वेद इत्यादि इसी भाषा में हैं। क्या सरकार का विचार 12 वी कक्षा तक इसे अनिवार्य विषय के रूप में रखने का है? जैसा कि डा० कर्णसिंह ने ठीक ही कहा है कि सरकार संस्कृत भाषा की ओर ध्यान नहीं दे रही है। जामनगर शहर में हमारे विद्यार्थी संस्कृत भाषा में अन्ताक्षरी खेलते हैं लेकिन प्राइवेट संस्थानों द्वारा ही इसको प्रश्रय दिया जा रहा है। क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और 12 वीं कक्षा तक संस्कृत को अनिवार्य बनाएगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : संस्कृत के प्रति मेरी बहुत निष्ठा है। मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं। हम त्रिभाषायी रीति का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों को स्कूल में तीन भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है और इस पर यदि एक और भाषा को अनिवार्य बना दिया जाएगा तो वह भाषा बहुत अलोकप्रिय हो जाएगी और संस्कृत को भी इससे कुछ लाभ नहीं होगा।

Shri B. P. Mandal : May I know from the hon. Minister whether Government is aware of the fact that the number of teachers as well as students is negligible in Sanskrit Colleges and if so grant to such colleges will be given only if they employ more Harijan teachers and enroll more Harijan students.

Dr. Pratap Chandra Chunder : There are already general instructions for the Harijans and the Government will see if anything further can be done for them.

Shri Vijay Kumar Malhotra : Many Sanskrit Colleges have closed down on account of the existing policy and they are in much worst condition than they were before the freedom of the country. Sanskrit was neglected by the previous Government. The old policy is still being continued. Will the present Government do some thing to promote teaching of Sanskrit which is the fountain head of our languages and culture?

Shri Pratap Chandra Chunder : I want to assure the hon. member that Government is not indifferent towards this language and Government is doing its best to popularise and encourage the learning of this language.

वर्ष 1975 में फरक्का बांध को क्षति

*272. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के आरम्भ में फराक्का बांध को भारी क्षति पहुंची थी ;

(ख) क्या यह सच है कि नदी के बहाव से "शीट पाइल्स" के कट जाने के कारण क्षति पहुंची थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि बांध पर काम कर रहे मुख्य इंजीनियरों ने इस मामले को उठाया था और इस मामले की विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच करानी चाही थी;

(घ) क्या उसकी मरम्मत के लिए नौसना को सहायता मांगी गई थी ; और

(ङ) क्या निर्माण के लिए उत्तरदायी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और उसके दावों पर सहानुभुतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ङ) : एक विवरण सभापटल रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) 1975 में फराक्का बराज को कोई क्षति नहीं पहुंची थी । किन्तु 1974 की मानसून के पश्चात् फराक्का बराज के बिल्कुल निकट के क्षेत्रों में किये गये नदी सर्वेक्षणों से पता चला था कि बराज के अनुप्रवाह में 14 सें 20 नम्बर की खाड़ी में कटाव है और अनुप्रवाह की खाड़ी नम्बर 18 में दो पाइलों के बीच 1/2" से 4" का अन्तर आ गया है । बड़ी नदियों के मामले में रेतीली जमीनों पर बने बराजों के निकट कटाव की ऐसी समस्याएं साधारणत: पाई जाती है ।

(ग) जी, नहीं । महाप्रबन्धक, फराक्का बराज परियोजना ने इस मामले को परामर्श के लिए परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति के सन्मुख प्रस्तुत किया था । समिति ने जिसमें उच्च कोटि के इंजिनियर और विशेषज्ञ हैं और इस परियोजना से संबंधित तकनीकी मामलों पर परामर्श देती है, आवश्यक उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया और निर्देश दिया था कि इस कार्य को 1975 की मानसून से पहले पूरा कर लिया जाए और उसे पूरा कर लिया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) 1 से 21 नम्बर की खाड़ियों का निर्माण 1965 से 1970 की अवधि के बीच एक सरकारी उपक्रम अर्थात् राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा किया गया था । वास्तविक निर्माण के पूरा होने के वर्षों बाद प्रकाश में आई ऐसी किसी खराबी के बारे में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका कारण ठेकदारों द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्माण करना था ।

Dr. Baldev Prakash : The hon. Minister has stated that the matter was placed before the Technical Advisory Committee and it suggested necessary remedial measures. The damage was quite serious I want to know why an inquiry was not held in this regard? Why the responsibility was not fixed on somebody for this damage?

Shri Surjit Singh Barnala : These Piles were constructed by National Project's Construction Corporation between the period 1965 to 1970 these sheet piles were perfect till 1970 but some defect was noticed after the monsoon in 1974. It is not necessary that this defect was due to defective construction. Such problems are normal in case of major river projects.

Dr. Baldev Prakash : The hon. Minister has just now stated that the cause of such defects can not necessarily be attributed to defective construction. But no enquiry has been made in this regard as yet. Then how can the hon. Minister draw the conclusion that it was not due to defective construction? Is it also not a fact that the contractor who had undertaken the construction work did not get his payment for long and his case of payment remained pending for a long time but full payment was made afterwards and the matter was hushed up?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसाकि मैंने अर्ज किया है इसकी जांच हुई थी । बराज के अनुप्रवाह में 14 से 20 नम्बर की खाड़ी में कटाव है और अनुप्रवाह की खाड़ी नम्बर 18 में दो पाइलों के बीच 1/2"

से 4" का अंतर आ गया है। किसी प्राइवेट ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया इसका निर्माण राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, जो कि एक अर्द्ध-सरकारी निकाय है, द्वारा किया गया और सारे मामले की जाँच की गई है।

Shri Chandra Shekhar Singh: As this project was constructed by National Projects Construction Corporation, a public sector undertaking, it must have fixed the life of the Barrage also. If the Barrage gives way before that who should be held responsible for it, and if nobody is held responsible, will the public money be allowed to go waste in this manner?

Shri Surjit Singh Barnala: No such life-span is fixed for any Barrage that is to say that it will last for ten years or fifty years. Neither it has given way. As I have stated, the steel piles are planted 40 or 75 feet deep and then wall is constructed. A crack of 1/2" to 4" has appeared in that wall. That is the only thing that has happened. There is no question of giving way of the piles.

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : किसी भी बांध की उम्र 100 साल या उससे अधिक हो सकती है। बांध काफी लम्बे अरसे के लिए बनाये जाते है। यदि पांच छह वर्ष के भीतर कोई नुक्स सामने आ जाता है तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इसके लिए एक जांच समिति की नियुक्ति करनी चाहिए यह एक गंभीर मामला है। इस बांध का निर्माण राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, के द्वारा किया गया था। इस संबंध में जांच अवश्य कराई जानी चाहिए और इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इस मामले की जाँच कराएगी। मैं मंत्री महोदय से विशिष्ठ उत्तर चाहता हूँ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो भी दोष दिखाई दिया था उसको वर्षा से पहले ही मरम्मत करा दी गई थी। अतः इन सब बातों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी-बड़ी नदी परियोजनाओं के मामले में ऐसी बातें चलती रहती है क्योंकि यह बांध रेतीली भूमि पर बनाया हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ा नदी पर बहुत बड़ा बांध है। एक बहुत मामूली सी दरार आ गई थी उसकी मरम्मत करा दी गई है।

Shri Ramamurthy: The hon. Minister must be aware that generally a Barrage lasts a hundred years or more. Extra precautions are taken in the construction of barrages even stones are also put first in chilled water and then used so that a very thin crack like a hair also does not occur. Two or four inches crack is certainly considered a very big crack. Whether necessary repairs have been done so that the gap does not become more wide?

Shri Surjit Singh Barnala: Immediately after knowing this, Technical Advisory Committee held its meeting to examine it. Divers went inside and examined it. They felt a gap between half to four inch. It was repaired accordingly, since then a constant watch is being kept and it has been observed that it is working alright.

श्री प्रभातभाई मेहता : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि पूरे मामले की जाँच की गई थी। किस आदमी ने यह जांच की और उसने क्या निष्कर्ष निकाले।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह जाँच एक तकनीकी सलाहकार समिति ने की थी जिसके अध्यक्ष एक प्रसिद्ध इंजिनियर डा० ए० सी० मैत्र थे, जो पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख इंजिनियर थे। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसके आधार पर यही मरम्मत की गई।

प्राथमिक शिक्षा की प्रायोगिक परियोजनाएं

*277. श्री के० राममूर्ति : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता में नवीकरण और विकास की गतिविधि की दो प्रायोगिक परियोजनाओं में सहभागिता के लिए केवल 15 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का चयन करने के क्या कारण है; और

(ख) इन दो प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कब लाया जायगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) युनिसेफ के साथ हस्ताक्षरित कार्रवाई योजना के अनुसार, प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल 12 राज्यों को शामिल किया जाना था। 5 राज्यों को प्रथम वर्ष 1975-76 में तथा 7 राज्यों को 1976-77 में। तथापि, राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करते समय, 15 राज्यों को, जिन्होंने स्वेच्छा से भाग लेना स्वीकार किया था, प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अंतिम रूप से चुना गया था।

(ख) 1980 से आगामी कार्रवाई योजना (जिसके बारे में भारत सरकार तथा यूनिसेफ के बीच सहमति होनी है) में शेष राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

श्री के० राममूर्ति : यूनिसेफ से हुए इस समझौते के अन्तर्गत 15 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्या अन्य राज्यों ने भी इसमें शामिल किए जाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है तथा केन्द्र ने इसमें राज्यों को शामिल करने के लिए क्या आधार रखा है।

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : जैसा मैंने बताया 15 राज्यों को शामिल किया गया है। उनके चुने जाने का आधार था। (एक) राज्य की इच्छा, (दो) संसाधनों की उपलब्धता, (तीन) इस प्रकार की प्रायोगिक परियोजना की अधिकतम उपयोगिता का अनुमान भारत सरकार ने लगभग सभी राज्यों से पूछा था।

श्री के० राममूर्ति : किन-किन राज्यों को इन परियोजनाओं में शामिल करने से छोड़ दिया गया है? क्या तमिलनाडु सरकार इसके लिए फिर दो बारा अनुरोध किया था?

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : इसके लिए मुझे समय चाहिए।

खाद्यान्न की सप्लाई के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोध

*279. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत से फालतू खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये कह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जानकारी मांगी गई है, और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कितना खाद्यान्न फालतू है और चालू वर्ष में कितना खाद्यान्न होने की आशा है; और क्या सरकार ने उसका निर्यात करने का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो किन देशों को ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) : सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत बासमती चावल को छोड़कर गेहूं और चावल का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, कुछक मित्र देशों ने भारत से खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया ताकि उन्हें, देशों में कम सप्लाई की स्थिति के कारण पैदाशुदा कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सके। जिन्स उधार आधार पर वियतनाम को 70,000 मीटरी टन मैदा और 3 लाख मीटरी टन गेहूं तथा अफगानिस्तान को 50,000 मीटरी टन गेहूं देने का निर्णय किया गया है। सरकार ने सदभावना के रूप में इंडोनेशिया को भी 50,000 मीटरी टन चावल बेचा है। 1-2-78 को 171 लाख मीटरी टन का वर्तमान स्टाक, कुल मिलाकर, बफर स्टाक रखने की नीति से संबंधित तकनीकी ग्रुप द्वारा अभिस्तावित बफर और परिचलन स्टाक के आकार के अनुरूप है। सरकार ने इस ग्रुप की सिफारिशों को मान लिया है। इस समय यह बताना कठिन है कि सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान निर्यात के प्रयोजनो हेतु कोई अधिशेष खाद्यान्न उपलब्ध होंगे अथवा नहीं। वर्ष के दौरान सम्भावी मात्रा आन्तरिक वसूली और सार्वजनिक वितरण की मात्रा, जोकि स्वयं कई एक भिन्न भिन्न बातो पर निर्भर करती है, पर निर्भर करेगी।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या सोवियत संघ से उधार लिया पूरा गेहूँ लौटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी कितना गेहूं लौटाना शेष है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी पूरा गेहूँ नहीं लौटाया गया है। कुछ जहाज जा चुके है तथा लगभग हर मास कुछ जहाज गेहूँ यहाँ से ले जाते हैं। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इसमें कितना और समय लगेगा।

श्री एस० आर० दामाणी : मैंने पूछा था कि कितना लौटाया गया है और कितना शेष है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रश्न इसमें से नहीं उठता, यदि आप सूचना दें तो मैं बता सकता हूँ।

श्री एस० आर० दामाणी : देशमें बफर स्टाक के लिए कितनी मात्रा उचित होगी? कितना गेहूँ और कितना धान देश को बफर स्टाक के लिए चाहिए और जो इससे बचेगा उसका क्या किया जाएगा? कमी के समय निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को क्या आप अब हटाने का विचार कर रह है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एक बफर स्टाक कहलाता है और दूसरा वह स्टाक जिससे सप्लाई चलती रहती है। बफर स्टाक 120 लाख टन है। सप्लाई के लिए स्टाक प्रत्येक फसल पर बदलता रहता है। हम देश भर की खपत के, लिए पर्याप्त चावल और गेहूँ की वसूली करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Nathu Singh : Whether wheat is rotting in certain godowns of the country and since last many years that rotten wheat is supplied through ration shops at the time of scarcity? What is the quantity of this rotten wheat and why it is not being exported ? (*Interruptions*) I mean to say why Government do not export it before its getting rotten? Secondly, whether Government will make arrangement so as to save this from getting rotten?

Shri Surjit Singh Barnala : Though it does not arise out of this but I may inform the hon. member that grains are rotting. Yes, some quantity of grains are damaged in rain etc. but the grains which are not fit for human consumption are not supplied through the public distribution system.

Shri Kanwar Lal Gupta : There is a buffer stock of 17 million tonnes and it will increase in the next season as the next crop is supposed to be a record crop. I want to know whether any criteria has been evolved to find out the requirements of the country and to report the remaining stock or to find out any other remedy?

Secondly, whether arrangements will be made to supply good quality rice in Delhi?

Shri Surjit Singh Barnala : No doubt this year the crop is very good, but recently it has been badly damaged by hail storm. We only keep as much stock as we require. We do not want to have a large stock because it is very costly to maintain it. At the moment we are not in a position to export it, we will export when it will be surplus. We require 12 million tonne for buffer stock and 3.5 million for operational stock.

श्री कंवर लाल गुप्त : चावल की क्या स्थिति है ? दिल्ली में बड़ा खराब चावल दिया जा रहा है। अनेक बार स्मरण कराए जाने पर भी इस सम्बध में कुछ नहीं किया गया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं स्वयं इस बात की जाँच करता हूँ कि दिल्ली में अच्छे किस्म का अनाज दिया जाए। मैंने स्वयं नमूने मंगा कर देखा कि केवल दो तीन डिपुओं पर अच्छी किस्म नहीं थी हमने उसे तुरन्त बदल दिया।

श्री हरिकेश बहादुर : हमारे देश से कितने देशों ने अनाज मांगा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसी कोई मांग नहीं आ रही है क्योंकि अभी हम निर्यात नहीं करते है और इस प्रकार की मांग किसी से नहीं की है।

Shri Raghavji : F.C.I. purchases wheat at the rate of Rs. 110 per quintal and the same wheat is distributed through public distribution system at the rate of Rs. 142 per quintal. This is being done in Madhya Pradesh. I want to know the reason for this being difference of Rs. 32 at the same place?

Shri Surjit Singh Barnala : The wheat purchased by the F.C.I at the rate of Rs. 110 per quintal is issued at the rate of Rs. 125 per quintal throughout the country whether it is Kashmir or Mizoram, so as to have a uniform prices. After including the expenditure of state governments and public distribution it is sold at the rate of Rs. 137 or Rs. 138 at present.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में गन्ने की बकाया राशि

*267. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1978 के "इकानामिक्स टाइम्स" में "केन एरियर्स आफ यू० पी० टाप रुपीज फोर्टी फाइव करोर्स" (उत्तर प्रदेश में गन्ने की सर्वाधिक बकाया राशि 45 करोड़ रुपए) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 के दौरान 15-2-1978 तक उत्तर प्रदेश की निर्वात पात्र चीनी फैक्ट्रीयों द्वारा खरीदे गये गन्ने के लिए कुल देय मूल्य लगभग 97.5 करोड़ रुपये था। उस तारीख को बाकी बकाया राशि 20.43 करोड़ रुपये थी जो कि कुल देय राशि की 20.95% बैठती है।

2. सरकार द्वारा बकाया राशि को कम करने के लिए किए गए उपायों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(i) बकाया राशि को कम करने के लिए निरन्तर देखरेख की जाती है और राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

(ii) गन्ने के मूल्य को देर से अदायगी पर 15 प्रतिशत ब्याज देने के लिए ईख (नियंत्रण) आदेश में संशोधन किया गया है जोकि वाणिज्यीक ब्याज दरों के बराबार है ।

(iii) जिले के कलक्टर को चीनी वर्ष के अंत में बिना भुगतान किए गये गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का आन्तरण करने के लिए ईख (नियंत्रण) आदेश में भी व्यवस्था की गई है लेकिन उसमें शर्त यह है कि वास्तविक दावेदारों को भुगतान किया जाएगा और चीनी वर्ष के अंत से तीन वर्षों के अंत में अभी भी बची राशि राज्य सरकार की समेकित निधी का भाग बन जाएगी और राज्य सरकार यथा सम्भव इसका इस्तेमाल गन्ने के विकास के लिए करेगी ।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, सरकार द्वारा लिए गये निम्नलिखित निर्णय भी गन्ने के मूल्य की बकाया राशि समाप्त करने में सहायक होंगे :—

(i) अखिल भारतीय स्तर पर लेवी चीनी का भारित औसत निकासी मूल्य 1-3-1978 से 185.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। विभिन्न जोनों के लिए लागू मूल्यों को भी अधिसूचित किया गया है ।

(ii) क्योंकि अधिक उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में फैक्ट्रियों को अधिक स्टाक रखना पड़ेगा इसलिए ऋण सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों की ऋण सीमा में उपयुक्त ढंग से वृद्धि करने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के बारे में नये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*270. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 के बारे में नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बताते हुये दिसम्बर, 1977 में संशोधन जारी किये थे; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के कृषकों की कठिणाईयों को दूर करने के लिए भवन निर्माण की गतिविधि को आरम्भ करना, कुछ क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सौन्दर्यपरक कोटि को बनाये रखना तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकानों की संख्या में वृद्धि करना है। इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों की प्रतियां और भारत के असाधारण राजपत्र की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1778/78]**

Special Authority for conversion of barren land into cultivable land

*273. **Shri Ram Dhari Shatri :** Will the Minilter of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the area of barren land in the entire country;

(b) whether efforts are being made to convert the same into cultivable land and if so, the details in this regard ; and

(c) whether Government propose to create a special Authority for the purpose?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The area of barren land in the country is estimated at about 236 lakh Ha.

(b) The barren lands cover unculturable lands like mountains, desert, etc. which cannot be economically brought under cultivation. However, there are certain degraded lands such as saline alkali, ravine lands, water-logged areas and other waste lands which can be reclaimed to some extent. The culturable waste lands are estimated at about 169 lakh Ha. Efforts are being made to convert some of these lands into cultivable lands both under Central and State Sectors. These include application of amendments like gypsum, pyrites, etc. and providing engineering measures and terracing etc.

(c) There is no such proposal.

उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

274. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मछली पकड़ने के लिये बनाये जाने वाले चार बन्दरगाहों के बारे में निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने से उड़ीसा की जनता में काफी नाराजगी पैदा हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पारादीप प्रमुख पत्तन क्षेत्र में प्रस्तावित मछली पकड़ने के बन्दरगाह के मामले में मूल परियोजना रिपोर्ट में तकनीकी तथा वित्तीय कारणों से कुछ संशोधन करने की आवश्यकता थी। नवम्बर, 1977 में प्राप्त हुई अन्तिम रिपोर्ट पर सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जा रहा है ।

नौगर में मछली पकड़ने के एक छोटे बन्दरगाह के लिये जो परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1977 में प्राप्त हुई थी, राज्य सरकारों के परामर्श से उसकी जांच की जा रही है, चूंकी प्रस्ताविक सुविधाएं प्रयोग में लाए जाने वाले जहाजों की संख्या के अनुरूप नहीं हैं ।

हाल ही में राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें गोपालपुर में एक मछली पकड़ने के बन्दरगाह का प्रस्ताव किया गया है । उड़ीसा सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे आगे विचार करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें ।

वर्ष 1976–77 के दौरान हंसुआ और किर्तानिया में मछली पकड़ने के दो बन्दरगाह स्थापित करने के लिये भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । परीक्षण के पश्चात् राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि भारत सरकार द्वारा धामरा और चांदीपुर के लिये पहले से ही स्वीकृत मछली पकड़ने के बन्दरगाहो को दृष्टिगत रखते हुए, जोकि प्रस्तावित स्थलों के समीप ही हैं, वे इन परियोजनाकओ के प्रस्तावों पर पुनर्विचार करे ।

(ख) और (ग): भारत सरकार द्वारा पहले से ही स्वीकृत तथा स्वीकार किए जाने वाले मछली पकड़ने के बन्दगाहों के अलावा संभावित बंदरगाह स्थलों का अन्वेषण करने तथा मात्सिकी बन्दरगाह परियोजना के निवेश पूर्व सर्वेक्षण द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ।

सैनिक कर्मचारियों के नियुक्ति वाले स्थानों में सेंट्रल स्कूल

***275. श्री नटवरलाल बी० परमार : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस कौन-कौन से स्थान हैं जहां सैनिक कर्मचारी बड़ी संख्या में नियुक्त हैं, परन्तु वहां सेंट्रल स्कूल नहीं खोले गए हैं जिससे उनके बच्चों की शिक्षा में भारी असुविधा हो रही है; और

(ख) सेंट्रल स्कूलों का भविष्य में विस्तार करने के बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों के बिना अथवा केन्द्रीय विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या वाले ऐसे 56 सैनिक स्थान हैं, जहां केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने की अपेक्षा है ।

(ख) नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की वर्तमान अनुमोदित नीति के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रति वर्ष छः केन्द्रीय विद्यालय खोल सकता है—दो रक्षा प्रतिष्ठानों में और चार नागरिक स्थानो (सिविल स्टेशनों में । छः वर्षों की अवधि के लिए, 1973–74 शैक्षिक वर्ष से रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रति वर्ष छः अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालयो का एक विशेष कोटा अनुमोदित किया गया है ।

पांचवां विश्व हाकी कप टूर्नामेंट

*276. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 में भारत में पांचवां विश्व हाकी कप टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन): (क) भारत में, सन् 1981–82 में पांचवां विश्व कप हाकी टूर्नामेंट आयोजित करने के संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, भारतीय हाकी संघ द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय हाकी फैडरेशन ने स्वीकार कर लिया है ।

(ख) विस्तृत सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत में स्थान का चुनाव करने के लिए इसकी अनिवार्य आवश्वकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित राज्य हाकी संघों से परामर्श के पश्चात् भारतीय हाकी संघ की कार्यकारी समिति ने विश्व कप 1982 के लिए बम्बई को पहली तरजीह देने का निश्चय किया है। भारतीय हाकी संघ ने भारत में विश्व कप आयोजित करने के संबंध में निम्नलिखित विवरण भी दिया है :–

1. विश्व कप में 14 टीमें भाग लेंगी ।
2. प्रत्येक टीम में 20 खिलाड़ी होंगे ।
3. प्रत्येक टीम के साथ 2 अधिकारी होंगे ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के 12 प्रतिनिधि विश्व कप के लिए आएंगे ।
5. विदेशों से 2 तकनीकी प्रतिनिधि भारत आएंगे ।
6. विदेशों से 20 अम्पायर आएंगे ।
7. आने जाने का हवाई भाड़ा प्रत्येक देश द्वारा वहन किया जाएगा ।
8. 3 कप विजेता, रनर्स-अप और तीसरे स्थान वाले को मैडल-स्वर्ण, रजत और कांस्य तथा लगभग 400 मैडल भाग लेने वाली टीमों आदि को दिए जाएंगे ।
9. विश्व कप की तारीखें 29 दिसम्बर, 1981 से 12 जनवरी, 1982 होगी ।
10. खिलाड़ियों तथा अ० हा० संघ के प्रतिनिधियों को पांच सितारों वाले होटल में ठहराने की व्यवस्था । भारतीय हाकी संघ भारतीय टीम के खिलाड़ियों का आने जाने का भाड़ा देगा ।

11. अतिथ्य और स्थानीय परिवहन का खर्च आयोजक (बम्बई हाकी संघ) को देना होगा। विश्व कप में भारतीय हाकी संघ के 35 अधिकारी आएंगे और भारतीय हाकी संघ भाड़ा (आने जाने का) देगा; स्थानीय अतिथ्य एवं परिवहन का खर्च आयोजक वहन करेंगे।

12. सरकार, बम्बई के महापौर, भा० हा० संघ तथा बम्बई हाकी परिषद् द्वारा स्वागत।

13. बैठकें : अ०हा०संघ 6 बैठकें तथा भा०हा० संघ 1 बैठक आयोजित करेगा। आवश्यक प्रबन्ध, जैसे 150 व्यक्तियों के बैठने लायक एक सम्मेलन कक्ष, अल्पाहार इत्यादी का प्रबन्ध मेजवान संघ द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोजकों को यह भी उपलब्ध कराना होगा :—

14. ऊंचे दर्जे की प्राथमिक चिकित्सा सहायता और एम्बुलेंस।

15. सुरक्षा प्रबन्ध।

16. प्रत्येक टीम के लिए 1 बस, 1 कार भारतीय हॉकी संघ के अधिकारियों के लिए 4 कारें।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रशासकीय पद बनाना

*278. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में (मंडलीय तथा क्षेत्रीय स्टेशनों सहित) प्रशासन को सुदृढ बनाने की योजना के नाम पर 6 वीं योजना के लिये "1978-79 में अपेक्षित उपकरणों की सूची अनुबन्ध-I" शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियो में बड़े पैमाने पर प्रशासकीय पद बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पैमाने पर ये प्रशासकोय पद बनाना अवांछनीय नहीं है चूंकि कृषि अनुसंस्थान सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्यों के लिये आवश्वक वैज्ञानिक पद बनान के स्थाने पर अनुसचिवीय पद भरने के लिये धन व्यय करने के कारण कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियों में बाधाएं आयेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपनी छटी योजना के प्रस्तावों में, संस्थान के, जिनमें प्रभाग तथा क्षेत्रीय केन्द्र भी शामिल हैं, प्रशासन को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक पदो के बनाने का प्रस्ताव किया है। संस्थान के योजना-पत्र के अनुबन्ध I में दिया गया शीर्षक "1978-79 में अपेक्षित उपकरणों की सूची" मुद्रण की भूल है। ये प्रस्ताव अब भी विचाराधीन हैं और अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार, अतिरिक्त प्रशासनिक पदो को बनान का प्रस्ताव संस्थान के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक सहायता की कीमत पर नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक पद अनिवार्य है ताकि उनके अनुसंधान कार्यक्रम कुशलतापुर्वक एवं चुस्ती के साथ चलायें जायें।

अनुबंध 1

1978-79 में अपेक्षित उपकरणों की सूची

योजना का नाम-प्रभाग तथा क्षेत्रीय केन्द्रो सहित प्रशासन को सुदृढ़ करना

क्रम सं०	पद और वेतनमान	पदों की संख्या	वित्तीय परिव्यय	
			1978-79	1979-83
1	2	3	4	5
(क)	**निदेशालय (केन्द्रीय कार्यालय)**			
1	प्रशासनिक अधिकारी 700–1300	1	0.13	0.62
2	लेखा अधिकारी 650–1200	1	0.12	0.56
3	अधीक्षक / अधीक्षक (लेखा) 550–900	3	0.30	1.50
4	सहायक 425–700	25	2.00	9.25
5	वरिष्ठ लिपिक 330–560	20	1.20	5.60
6	कनिष्ठ लिपिक 260–400	9	0.45	2.25
7	कनिष्ठ लिपिक / हिन्दी टंकक 260–400	8	0.40	2.00
8	वैयक्तिक सहायक 650–1040	1	0.12	0.56
9	वरिष्ठ आशुलिपिक 550–900	7	0.70	3.50
10	सहायक सुरक्षा अधिकारी 550–900	2	0.20	1.00
11	सुरक्षा पर्यवेक्षक 425–700	7	0.55	2.55
12	सहायक कर्मचारी, सभी वर्ग (वाचमैन 196–308)	75	3.00	13.50
13	सहायक कर्मचारी, सभी वर्ग (स्वीपर) 196–308	50	2.50	11.00
14	सहायक कर्मचारी वर्ग–iii, 210–290	4	0.15	0.75
15	सहायक कर्मचारी वर्ग ii, 210–290 (दफ्तरी/सोर्टर)	12	0.45	2.25
	'क' का योग		12.27	56.89
(ख)	**प्रभाग और पुस्तकालय**			
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 1100-1600	1	0.20	1.00
2	प्रशासनिक अधिकारी 700- 1300	5	0.65	3.10
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी 650- 1200	3	0.35	1.65
4	अधीक्षक 550- 900	12	1.20	6.00
5	सहायक (भंडार) 425- 700	6	0.45	2.20
6	आशुलिपिक 425–700	15	0.30	1.20
7	वरिष्ठ लिपिक 330- 560	16	0.90	4.50
8	कनिष्ठ लिपिक 260–400 (हिन्दी)	12	0.60	2.90
9	हिन्दी अनुवादक 425–700	2	0.15	0.75
	'ख' का योग		4.80	23.30

*इसके बदले में, कनिष्ठ आशुलिपिकों के उतने ही पद (330–560) समाप्त कर दिये जायेंगे।

अनुबंध 1—जारी

क्रम सं०	पद और वेतनमान	पदों की संख्या	वित्तीय परिव्यय	
			1978-79	1979-83
1	2	3	4	5
	(ग) क्षेत्रीय केन्द्र			
1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी 650-1200 .	1	0.10	0.60
2	अधीक्षक 550-900 . . .	9	0.90	4.50
3	सहायक 425-700 . . .	9	0.70	3.25
4	वरिष्ट लिपिक 330-560 . . .	8	0.50	2.20
5	कनिष्ठ लिपिक (हिन्दी) 260-400 . .	10	0.50	2.40
6	सहायक पर्यवेक्षक 425-700 . . .	6	0.50	2.15
7	सहायक कर्मचारी खेत / प्रयोगशाला/कार्यशालाओं में देखभाल, सफाई और दूसरे मानवीय श्रम हेतु	205	8.20	36.90
	कुल 'ग' का योग		11.40	52.00
	कुल योग (क+ख+ग) .		28.47	132.19

अत्यधिक किरायें

*280. **श्री आर० कोलनथाईवलु :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नगरीय क्षेत्रो में मकानो के लिये बहुत अधिक किराये लिय जा रहे हैं जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति के लिये सिर छिपाने के लिये जगह पाना असम्भव हो गया है;

(ख) किराये पर नियंत्रण करने की किसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामान्य आदमी को उचित दरो पर आवास प्राप्त करने के संघर्ष में कुछ राहत देने के उद्देश्य से बैरको अथवा सामूहिक आवासों डार्मिटरीज का निर्माण करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख)—किराया नियंत्रण राज्य का विषय है। अधिकांश राज्यो में किराये पर नियंत्रण की दृष्टि से किराया नियंत्रण विधेयक बने हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, राज्य सरकार के कर्मचारियो के लिए किराया आवास योजना आदि जैसी आवास योजनाएं बनाई है जिनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये योजनाएं इस दृष्टि से बनाई गई है। ताकि एक सामान्य आदमी को उचित मूल्य पर मकान प्राप्त करने के प्रयत्नो में सहायता मिल सके।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*281. **श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान सिंचाई परियोजनाओ के लिए राज्यो को कितनी केन्द्रीय योजना सहायता दी गयी;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य को न्यूनतम केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या यह भी सच है, कि मध्य प्रदेश राज्य की अधिकांश सिंचाई परियोजनायें अन्तर-राज्यीय परियोजनायें हैं और इन परियोजनाओं से सम्पूर्ण देश को लाभ मिल रहा है; और

(घ) क्या उक्त तथ्य को देखते हुए सरकार ऐसी अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं की सम्पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी लने के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) – 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान चुनी हुई सिंचाई परियोजनायों की प्रगति को तेज करने के लिए राज्यों को दी गई अग्रिम योजना सहायता की जानकारी उपाबन्ध में दी गई है ।

चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओ के लिए अग्रिम योजना सहायता परियोजनाओ के तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के अपने परिव्ययों के अलावा धन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् और राज्यों की अतिरिक्त परिव्ययों को लाभदायक ढंग से खर्च करने की क्षमता तथा परियोजनाओ से शीघ्र लाभ प्राप्त होने की संभाव्यता को देखते हुए की जाती है ।

(ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन अधिकतर बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं राज्य के क्षेत्रों को ही लाभ देंगी । चम्बल परियोजना ही केवल एक ऐसी अन्तर्राज्यीय निर्माणाधीन परियोजना है जो राजस्थान के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है । 1977-78 में बृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर प्रत्याशित कुल खर्च 74.44 करोड़ रुपये है और इसमें से चम्बल परियोजना पर प्रत्याशित व्यय 6.28 करोड़ रुपये का है । बेतवा पर बनने वाले राजघाट बांध, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है और जिसका क्रियान्वयन बेतवा नदी बोर्ड द्वारा किया जाना है, और सोन पर बनने वाली बाणसागर परियोजना जिसके लाभ मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को मिलेंगे और जिसका क्रियान्वयन बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण में किया जाना है, के निर्माण-कार्य 1978-79 के दौरान हाथ में लिये जायेंगे ।

(घ) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओ के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय जिम्मेदारी लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय (अग्रिम योजना सहायता)

(करोड़ रुपये)

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78	
		दी गई वास्तविक धनराशि	बृहद/मध्यम (यथा स्वीकृत)	लघुयोजना
आंध्र प्रदेश	5.00	0.75	3.00	
बिहार	5.00	3.00	7.20	
गुजरात	7.30	3.00	11.00	
हरियाणा	5.00	6.50	6.00	
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	0.50
जम्मू और कश्मीर	0.75	..	..	
कर्नाटक	2.15	3.55	11.00	2.00
केरल	2.10	2.50	5.00	1.00
मध्य प्रदेश	..	1.75	11.00	2.00
महाराष्ट्र	5.50	3.85	15.00	2.00
उड़ीसा	1.00	2.00	4.00	1.00
पंजाब	..	1.50	8.00	
राजस्थान	6.00	3.00	7.30	
तमिलनाडु	..	..	कुछ नहीं	
उत्तर प्रदेश	15.00	8.00	6.50	
पश्चिम बंगाल	1.00	0.50	5.00	0.50
जोड़	55.80	39.90	100.00	9.00

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता में परिवर्तन

*282. **श्री शंकर सिंह जी बघेला :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रो में प्राथमिकता में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख)- जी, हां, छठी योजना में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और प्रौढ़ शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में राज्यों के लिये नये मार्गदर्शी सिद्धांत

*283. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते समय उन औद्योगिक फर्मों की कठिनाइयों का ध्यान रखा गया है जिनके पास भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है और जो भविष्य में उनके विस्तार अथवा विविधिकरण के लिये आवश्यक है; और

(ख) क्या अधिनियम में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियो पर लगे सब प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सब मिलाकर, नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के लागू किए जाने के कारण निर्माण गतिविधियों पर पड़े दबाव को काफी कम कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय शिशु बोर्ड

*284. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय शिशु बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यो के नाम क्या हैं; और

(ग) बोर्ड के निदेश-पद क्या हैं तथा उक्त बोर्ड के लिए सदस्यो का चुनाव करते समय किस बात का अधिक ध्यान रखा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग)-एक विवरण जिसमें पुनर्गठित राष्ट्रीय बाल बोर्ड की संरचना और विचारार्थ विषय दिये गये है सभा के पटल पर रखा जाता है । क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सदस्यों का चुनाव किया गया है । बाल कल्याण के लिये नीति और कार्यक्रम के आयोजन में सुविधा के लिए वित्तमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी शामिल कर लिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1779/78]**

थार रेगिस्तान का फैलाव

2487. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में थार रेगिस्तान का प्रतिवर्ष धीरे धीरे फैलाव हो रहा है और रेगिस्तान में पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां क्रमीक रूप से बिगड़ रही हैं; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में किए गए अध्ययनो से यह प्रकट नहीं होता है कि राजस्थान में थार रेगिस्तान का फैलाव हो रहा है। तथापि, मरु भूमि क्षेत्रों के अंदर मानव तथा पशुधन जनसंख्या के दबाव के कारण रेगिस्तानी परिस्थितियों में वृद्धि हुई है।

(ख) चालू वर्ष में शुरु हुए मरु भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पता लगाये गये राजस्थान के मरु भूमि जिले आते हैं। मरु भूमि विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त-पोशित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके लिए वर्ष 1977–78 हेतु 6.10 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1978–79 हेतु 20.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है। राजस्थान के लिए 3.29 करोड़ रुपये की लागत की योजनाए वर्ष 1977–78 हेतु अभी अनुमोदित की गई हैं। इस राज्य के लिए वर्ष 1978–79 हेतु अन्तिम परिव्यय 11.00 करोड़ रुपये है। राजस्थान में मरु भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण, चरागाह विकास, पशुपालन, डेरी विकास तथा जल-संरक्षण के क्षेत्रों पर बल दिया जाता है। ये उपाय राजस्थान में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत रेगिस्तान का अधिकांश भाग आता है, के अधीन पहले से किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, राजस्थान नहर परियोजना भी मरु भूमि इलाकों के बड़े भाग को अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए तैयार की गई है।

गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि

2488. **डा० सरदीश राय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करने की सोच रही है जबकि गन्ना खेती वाले क्षेत्रफल का 1/10 भाग उसके अंतर्गत लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : जी, हां। वर्ष 1978–79 के दौरान जारी रखी जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गन्ने का क्षेत्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है, परन्तु इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Proposal from M.P. for Central Assistance for Irrigation Scheme in Adivasi areas

†2489. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has submitted a proposal for Central assistance for medium irrigation schemes in Adivasi areas; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) : No such proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh. Central assistance to the States is given in the form of block loans/grants for the plan as a whole which is not related to any sector of development or individual scheme.

नारियल तथा धान उत्पादकों को राज सहायता

2490. **श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में धान तथा नारियल उत्पादको को कोई राज-सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार देश के धान तथा नारियल उत्पादकों को पहले से ही राज सहायता दे रही है ।

(ख) **धान**--विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत धान नर्सरो के लिए 400/- रुपए प्रति एकड़ की राज सहायता उन किसानो को दी जाती है जिनके पास सिंचाई सुविधाएं हैं तथा जो अन्य किसानों जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, के साथ मिलकर मामूली लागत पर धान की अधिशेष पौद पैदा करते हैं ।

नारियल :--(1) नारियल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में इस समय चलाए जा रहे केन्द्रीय प्रायोजित पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 500 हैक्टार की प्रत्येक पैकेज यूनिट में 0.25 हैक्टार के 10 प्रदर्शनो का आयोजन किया जाता है तथा उत्पादकों को उर्वरकों तथा वनस्पति रक्षण की लागत पर 150 रु० प्रति प्रदर्शन प्लाट को राज-सहायता दी जाती है ।

(2) केरल राज्य के एल्लेपी जिले में मुथुकुलम ब्लाक के प्रभावित बागों में लगाए जा रहे अत्यधिक रोगग्रस्त (मूल विगलन) पोदों के स्थान पर उन्हें फिर से लगाने के लिए संकर नारियल की पौदा की लागत पर 100 प्रतिशत राज सहायता दो जाती है । चूंकि यह एक मार्गदर्शी परियोजना है, अत: यह राज-सहायता 5 वर्ष तक की अवधि में अधिक से अधिक 5000 हैक्टार क्षेत्र तक के लिए दो जाती है ।

(3) केरल राज्य में रोग से प्रभावित अनुत्पादक नारियल को पौदों को फिर से लगाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भो चल रहा है । इसके अन्तर्गत, संकर पौदो, उर्वरको, मृदा सुधारकों तथा वनस्पति रक्षा के रासायनिको की लागत पर उत्पादकों को 50 प्रतिशत की राज-सहायता दी जाती है ।

उड़ीसा को आवास योजनाओं के लिए केन्द्रीय आवास ऋण

2491. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए वर्ष 1976–77 में केन्द्र सरकार से कितने ऋण की मांग की; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1976–77 में उस सरकार को कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : आवास का विषय राज्य सूची में होने के कारण, राज्य सरकारों को समस्त राज्य प्लान के लिए केन्द्रीय अनुदान, समेकित सहायता के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने 1976–77–के दौरान, उड़ीसा को आवास के लिए जीवन बीमा निगम से 125 लाख रुपये दिये हैं।

Fee at Taj

†2492. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1083 on the 21st November, 1977 regarding utilization of sale proceeds of tickets sold at historical places in Agra and state :

(a) whether Government propose to revert the entry fee to old rate of 50 paise; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) : The Central Government is charging only fifty paise per head from visitors above the age of fifteen years. The additional levy of Rs. 1.50 is being collected by the State Government. The matter is still under correspondence with the U.P. Government.

विश्व बैंक की सहायता से सिंचाई परियोजनाएं

2493. **श्री सो० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 में राज्यों में विश्व बैंक किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता देने पर सहमत हो गयी है ;

(ख) ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं जिन्हें विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हो गई है तत्संबंधी और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व बैंक ने वर्ष 1978–79 में सहायता देने के लिए निम्नलिखित चार परियोजनाओं पर विचार करना स्वीकार किया है :—

1. अपर कृष्णा परियोजना (कर्नाटक)
2. गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना (गुजरात की मध्यम सिंचाई स्कीमों का समूह)

3. हरियाणा आधुनीकरण और कमान क्षेत्र विकास परियोजना ।

4. पंजाब आधुनीकरण और कमान क्षेत्र विकास परियोजना ।

(ख) विश्व बैंक ने निम्नलिखित पांच सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जो निर्माणधीन हैं, सहायता प्रदान की है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की राशि (करोड़ रुपये)
1.	पेरियार-वैगई . .	तमिलनाडु	41	23
2.	जयकवाडी . .	महाराष्ट्र	126	70
3.	उड़ीसा मध्यम परियोजनाएँ . .	उड़ीसा	104	58
4.	नागार्जुन सागर परियोजना . .	आंध्र प्रदेश	267	145
5.	गोदावरी बराज . . .	आंध्र प्रदेश	56	45

(ग) लगभग 21 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

समुद्री तूफान राहत कार्य में आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका

2494. **श्री जी० एस रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में समुद्री तूफान राहत कार्य में कोई भूमिका निभाई थी :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सोलन से क्षतिग्रस्त हुई फसलों को बचाने में किसानों को इससे विशेष रुप से मदद मिली ; और

(घ) क्या उसने समुद्री तूफान के बाद कीड़ों और चूहों की वृद्धि की रोकथाम के लिए भी कोई कार्य किया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विशेष रुप से प्रभावित क्षेत्रों में फसलो, मिट्टीयों, फार्म उपस्कर, पशुधन को होने वाली हानि के विभिन्न पहलुओ का निर्धारण करने और तूफान के बाद की स्थिति का सामना करने के लिए कार्यवाही की योजना तैयार करने में लगा हुआ था । तूफान के बाद कृषि की स्थिति के विश्लेषण करने की दिशा में पहला कदम यह उठाया गया कि विशेषणों के छः दल (राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों तथा हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रायोजनाओ के वैज्ञानिकों के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के 17 वैज्ञानिकों सहित) मुख्यत: निम्नलिखित बातों के अध्ययन करने के लिए गठित किये गये :—

(i) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेत बिछाना और-कृषि औजारों तथा मशीनों से संबंधित समस्याएं ।

(ii) मिट्टी की लवणीयता तथा ज्वार की लहरों से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं ।

(iii) उच्च भूमि की फसलें और बीज उत्पादन के क्षेत्र व उनकी समस्याएं।

(iv) चार जिलों की डेल्टाई धान के क्षेत्रों की समस्याएं।

(v) ज्वार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार और वैकल्पिक फसल पद्धति, और

(vi) तूफान से प्रभावित गुंटूर जिले के अम्लीय चूने वाले क्षेत्र।

इन दलों ने संबधित सरकारी विभागों के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तूफान के बाद की कृषि की स्थिति को, कूता प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मिट्टी के सुधार के उपायों, प्रभावित फसलों को बचाने, फसलों की कीट-व्याधियो व चूहों से बचाव के उपायों, बचे गोपशुओं की देखभाल करने और भरण पोषण न्यूनता को समस्याओं पर मौके पर तत्काल सलाह दी। तत्काल वहीं सलाह देने के अतिरिक्त, ऐसी स्थितियों का कारगर तरोकों से सामना करने के लिए दीर्घकालिक सिफारिशें भी तैयार को गई हैं जो कि उपर बताए गए विभिन्न दलों की रिपोर्ट पर आधारित है। ये रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई एक अन्त: वैज्ञानिक शाखोय तथा अन्त: विभागीय बैठक में विचार विमर्श के बाद तैयार की गई।

(vii) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि पशु चिकित्सा तथा गृह विज्ञान संकायों के 246 विद्यार्थियों ने कृष्णा और गुंटूर जिलों के तूफान प्रभावित क्षेत्रों के सहायता एवं पुनर्वास कार्यों में भाग लिया। इन कार्यों में तकनीकी कार्यकलाप अगर कुल 32047 पशुओं को टीका लगाना भी शामिल है।

(ग) जी, हां श्रीमान। किसानो को मौके पर दी गई सलाह में सुधार के ये उपाय शामिल थे सस्य संबंधी, पौध-रक्षा आदि ताकि भावी हानि को रोका जा सके और वर्तमान स्थिति से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(घ) जो हाँ, श्रीमान। कीट व्याधियों और क्षतिग्रस्त फसलों की बीमारियों और चूहों आदि के नियंत्रण के उपाय भो किसानों को सुझाये गयें।

सुलतानगंज बटेश्वरस्थान, बिहार में उठाऊ सिंचाई योजना

2495. **डा० रामजी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंगेर जिले में डकरानाला पम्प योजना के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा और उससे सिंचाई कब तक प्रारम्भ होगी ;

(ख) सुलतान गंज कहलगांव में बटेश्वर स्थान में उठाऊ सिंचाई योजना का कार्य किस तिथि से प्रारम्भ होगा ;

(ग) क्या सरकार विचार फरक्का समझौते को देखते हुए सुलतानगंज और बटेश्वर स्थान में इस महत्वपूर्ण उठाऊ सिंचाई योजना को स्थगित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्य कब प्रारंभ होगा और यदि हां, तो इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकार द्वारा क्या वकल्पिक प्रबन्ध किये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) डकरानाला पम्प स्कीम पर निर्माण-कार्य 1977–78 के दौरान आरम्भ किया गया था। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण-कार्यों को पांच वर्ष में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है और उसके बाद सिंचाई की जा सकेगी।

(ख) बटेश्वरस्थान नहर स्कीम को, जिससे बिहार के भागलपूर जिले के क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा, दो चरणों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है । परियोजना के चरण एक का निर्माण-कार्य, जो योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1977 में अनुमोदित किया गया था, 1977–78 के दौरान आरम्भ कर दिया गया है ।

गंगा से सुलतानगंज को पानी लिफ्ट करने की परिकल्पना करने वाली स्कीम की जांच इस समय केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बटेश्वरस्थान पम्प नहर स्कीम के चरण एक का निर्माण कार्य 1977–78 के दौरान आरंभ किया जा चुका है । सुल्तानगंज में लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर निर्माण-कार्य राज्य सरकार द्वारा तभी आरंभ किया जा सकेगा जब यह परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई जाएगी और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी ।

Study Committee Report on U.G.C.

*2496. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the committee appointed to study the working of University Grants Commission has since submitted its report to Government;

(b) if so, the main recommendations contained therein and the time by which Government propose to implement them; and

(c) if not, the time by which the report is likely to be received by Government?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations of the Committee are given at the end of each chapter of its report, copies of which have been placed in the Library of the House. An empowered committee appointed by Government is presently examining the various recommendations.

(c) Does not arise.

सदाशीव संस्कृत कालेज, पुरी के लिये इमारत

2497. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहरा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरी (उड़ीसा) में सदाशिव संस्कृत कालेज के लिए इमारत का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके लिये कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) इस मंत्रालय के अधीन स्थापित स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा सदाशिव संस्कृत कालेज, पूरी, अगस्त, 1971 में अधिग्रहण कर लिया गया था, तथा उसका नाम बदलकर श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ रखा गया। इस संस्था के लिए आवश्यक भवननिर्माण का प्रस्ताव संस्थान के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : भवन-निर्माण का प्रश्न उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसके लिए उड़ीसा सरकार से बातचीत चल रही है। भूमि के अधिग्रहण होने तथा योजनाएं और अनुमान तैयार होने पर, निर्णय हेतु अपेक्षित राशि निश्चित की जाएगी।

रेंजर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना

2498. **श्री माधवराव सिन्धिया** :
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूरे देश में और अधिक रेंजर ट्रेनिंग कालेज खोलने पर विचार कर रही है और मध्य प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में इस मामले में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

पिछड़े वर्गों के लिये मकान

2499. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति तथा दुर्बल वर्ग के लोगों और अन्य संगठनों ने ये शिकायत की है कि इन वर्गों के चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में मकान नहीं बनाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) हिन्दुस्तान नगरीय विकास निगम और केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों, गुजरात तथा अन्य राज्यों के निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अगस्त, 1977 से फरवरी, 1978 तक इन वर्गों के लिए कितने मकान बनाये गये और वर्ष 1976–77 और 1977–78 में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इस कार्य के लिए कितना धन खर्च किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा निर्मित सामाजिक आवास योजनाएं जाति, धर्म और समुदाय का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को समान रूप से लागू होती है । किन्तु हरिजनों, आदिवासियों अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों की दयनीय आर्थिक स्थिति को विशेषकर ध्यान में रखते हुए उनसे आशा है कि वे विशेष कर निम्नलिखित योजनाओं से पर्याप्त लाभ उठाये :–

(i) ग्रामीण आवास प्रोजक्ट योजना ;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल देने की योजना ;

(iii) निम्न आय ग्रुप आवास योजना ;

(iv) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना ;

(v) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना ;

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों और गुजरात तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 6597 मकानों के बन जाने की सूचना मिली है ।

आवास के लिए राज्य क्षेत्र योजनाओं तथा बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में वर्ष 1976–77 और 1977–78 में वर्षवार क्रमश: 99.85 करोड़ रुपय और 135.30 करोड़ रुपये का परिव्यय है । इसके अलावा जीवन बीमा निगम से राज्य सरकारों को 1976–77 और 1977–78 के दौरान क्रमश: 19.75 करोड़ रुपये और 19.50 करोड़ रुपये के ऋण का नियतन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त हुडको ने 118.24 लाख रुपये के ऋण की दो योजनाओं के लिए मंजूरी दी थी जो केवल हरिजनों, अनुसूचित जातियों आदि के लिए ही बनाई गई है जिसमें से एक योजना केरल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति निगम की है और दूसरी मोचीनगर सहकारी समिति, राजकोट की है । इन दो योजनाओं के अधीन निर्मित किए जाने वाले रिहायशी मकानों की संख्या 2266 है ।

आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता

2500. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडक्रास तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत का राष्ट्रीय भवन संगठन

2501. **श्री धर्मवीर सिंह वशिष्ठ :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन (नैशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन) का ग्राम्य विंग एक समुचित रुप से अच्छे मकान का 3450 रुपये की लागत पर निर्माण करने में सफल हो गये हैं,

(ख) यदि हां, तो उक्त मकान के क्षेत्रफल, भवन सामग्री एवं बने हुए क्षेत्रफल संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी का भी एक ग्राम्य विंग है और यदि हां, तो उसकी प्रगती का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के ग्रामीण आवास विंग द्वारा निर्मित मकानों का क्षेत्रफल उपयोग की गई सामग्री तथा निर्मित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1780/78]**

(ग) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी में कोई ग्रामीण आवास विंग नहीं है ।

चने का उत्पादन

2502. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस फसल में चने का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों से चने का अधिक उत्पादन होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे राज्य से उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) चालू रबी मौसम के दौरान चने के उत्पादन के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 में किसी समय उपलब्ध होने की संभावना है । अतः इस अवस्था में चने के उत्पादन के बारे में राज्यवार वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं है । तथापि, वर्ष 1976-77 की तुलना में इस वर्ष चने के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय क कानून के छात्रों द्वारा हड़ताल

2503. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र फरवरी, 1978 के दौरान हड़ताल पर थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री : (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) तथा (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सुचना के अनुसार कानून के छात्रों के एक छोटे से दल ने फरवरी, 1978 के मास में चार दिन की अवधि की एक रिले भूख हड़ताल अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए की थी कि कानून पाठ्यक्रमों में अनुपूरक परीक्षाएं पुनः लागू करने के लिए पाठ्यक्रम समिति तथा विधि संकाय को सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए या तो विद्यापरिषद् की विशेष: बैठक बुलाई जाए अथवा कुलपति को अपने संकट-कालीन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्ताव विद्यापरिषद् द्वारा अपनी 28 फरवरी, 1978 की बैठक में स्वीकृत किया गया था ।

लद्दाख में खेती की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल

2504. **श्रीमती पावती देवी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में कुल कितनी भूमि में खेती की जाती है और इस क्षेत्र में वृद्धि करने तथा इसे कृषि के अंतर्गत लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले में 1974-75 तथा 1975-76 के दो वर्षों के दौरान (नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार) खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र से सम्बद्ध जानकारी नीचे दी गई है :—

हजार हैक्टार

	1974–75	1975–76
1. बोया गया निवल क्षेत्र . .	17.3	17.3
2. एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र .	1.4	1.2
3. चालू परती भूमि . . .	0.5	0.5
4. कुल सस्यगत क्षेत्र . . . (1)+(2)	18.7	18.5
5. खेती के अंतर्गत (1)+(3) . .	17.8	17.8

1977-78 में आरम्भ किए गए मरु भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों में लद्दाख भी है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का लक्ष्य इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का सघन विकास करके इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाना है ताकि इन क्षेत्रों में लोगों के आय स्तर तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सके। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रमों में कृषि विकास भी शामिल है। हाल ही में लद्दाख जिले में कृषि विकास के लिए बीजों तथा उर्वरकों का वितरण, चारा तथा वन-स्पति विकास, मृदा संरक्षण, जैसी कुछ योजनाएं पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

जमुना पार आवासीय कालोनी रमेश पार्क, दिल्ली को नियमित करना

2505. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लक्ष्मी नगर की जमुनापार कालोनी में रमेश पार्क आवासीय कालोनी को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि यह कालोनी 1965 से विकसित हो रही है लेकिन इसे पेय जल सुविधाएं तथा मल-निकास लाइनें नहीं दी गई हैं और न ही वहां कोई ठीक सड़कें बनाई गयी हैं ;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि कालोनी में अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा हो गई है जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है; और

(घ) सरकार का विचार रमेश पार्क कालोनी के लोगों की जीवन-दशाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) यह कालोनी 1967 के बाद बनी थी। इस कालोनी के नियमितिकरण पर निर्माण और आवास मन्त्रालय के दिनांक 16-2-77 के पत्र संख्या जे० 13037/113/74-यू०डी० 1/11 बी (प्रतिलिपि संलग्न है) में दी गई शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा। कालोनी के ले-आउट प्लान के अनुमोदित हो जाने के बाद ही नागरिक सुविधाएं उपलब्ध की जा सकेंगी। तथापि, इस कालोनी की सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों को लगाने का प्रस्ताव है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1781/78]**

मछली पकड़ने के ट्रालरों के आयात के लिए लाइसेंस

2506. **श्री विनोद भाई वी० शेठ** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने के ट्रालरों के आयात के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य को कितने कितने आबंटित किये गये ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों इन ट्रालरों के कार्यकरण से सन्तुष्ट हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अब तक 69 पार्टियों को मछली पकड़ने के 121 ट्रालरों के आयात के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) ये जलयान उद्यमियों/बड़े घरानों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों को आबंटित किए गए

थे। इन फर्मों के व्यापार संबंधी मुख्यालयों के आधार पर राज्यों के अनुसार ट्रालरों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पश्चिम बंगाल	20
उड़ीसा	16
आन्ध्र प्रदेश	26
तमिल नाडु	6
केरल	13
कर्नाटक	5
गोवा	2
महाराष्ट्र	14
गुजरात	8
दिल्ली	11
	121

(ग) हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

क० के० नगर तथा इन्दिरा नगर, मद्रास म केन्द्रीय विद्यालय

2507. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कल्याण समन्वय समिति, मद्रास ने शिक्षा मंत्रालय से केन्द्रीय सरकार की कालोनियों, के० के० नगर तथा इन्दिरा नगर में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और केन्द्री विद्यालय खोले जाने की संभावित तारीख क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय कल्याण समन्वय समिति को यह सूचित किया गया है कि मद्रास में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर अनुकुल दृष्टि से विचार किया जाएगा, यदि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भूमि तथा अस्थायी स्थान उपलब्ध करा दिया जाय। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित करना

2508. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान सेवा निकाले गये शिक्षकों को बहाल कर दिए जाने के कारण दिल्ली में बहुत से शिक्षक (हैड-मास्टरों सहित) फालतू हो गये हैं ;

(ख) क्या मुअत्तिल किए गए शिक्षकों की बहाली के कारण शिक्षकों में वरिष्ठता निश्चित किये जाने के प्रश्न पर शिक्षक वर्ग में बहुत असन्तोष है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन

2509. **श्री राघवजी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गेहूं के वसूली मूल्य में वृधि की मांग करते हुये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार कब घोषित करेगी ;

(ग) क्या गत एक वर्ष में गेहूं को उत्पादन लागत का कोई मूल्यांकन किया गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) जो गेहूं इस वर्ष मण्डियों में आयेगा उसकी वसूली का कार्य करने के लिए क्या भारतीय खाद्य निगम की व्यवस्था को पर्याप्त रुप से तैयार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख): कृषि मूल्य आयोग की विपणन मौसम 1978-79 के लिए गेहूं की मूल्य तथा वसूली नीति पर रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है । कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के बाद सरकार कटाई मौसम शुरू होने से पूर्व गेहूं के समर्थन/वसूली मूल्य की घोषणा करेगी । गेहूं के वसूली मूल्य में वृधि करने की मांग से संबंधित कुछेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं । नीति तय करने से पूर्व इन पर भी विचार किया जाएगा ।

(ग) फसल वर्ष 1975-76 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की उत्पादन के लागत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं जो कि पंजाब के लिए 99.45 रुपये, हरियाणा के लिए 83.65 रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 89.69 रुपये हैं । 1976-77 के अनुमानों की अभी भी जांच की जा रही है ।

(घ) जी हां ।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का हस्तान्तरण

2510. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक पद के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा कर 60 अथवा 62 वर्ष कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और क्या वर्तमान पदाधिकारी के लिए भी संशोधित नियम लागू होंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना पार क्षेत्र , दिल्ली के लिये पृथक् विकास बोर्ड

2511, श्री किशोर लाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे यमुना-पार क्षेत्र के विकास के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस मामलें में क्या प्रगति हुई हैं;

(ग) क्या यमुनापार क्षेत्र में दिल्ली के अन्य भागों के समान नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई, सीवर लाइन तथा बाढ़ नियंत्रण के कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रयत्न यह है कि विभिन्न भागों में एक समान नागरीक सुविधायें प्रदान की जाएं बशर्ते कि संसाधन और विभिन्न अन्य बातें उपलब्ध हों ।

(घ) दक्षिण शाहदरा में पम्पिग स्टेशन के साथ बड़ी सीवर लाइन बिछाने का काम शुरु किया गया है । मल शोधन संयंत्र के बनने बाद ये पम्पिग स्टेशन और सीवर लाइनें लगभग 3 वर्ष के अन्दर चालू हो जाएंगो । कुछ क्षेत्रों में मलजल की सुविधायें हैं जहां इसके निपटान का स्थानीय प्रबंध विद्यमान है । बाढ नियंत्रण कार्य को 1982 के अन्त-तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

Excavation at Historical Places

†2512. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the historical places where excavations were carried out from archaeological point of view in the years 1975, 1976 and 1977; and

(b) the names of places, out of them, where remarkable material of historical importance was found indicating the historical period to which it pertains and the facts in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Karkataki): (a) & (b) : A statement is attached. **(Placed in Library. See No. L.T. 1782/78)**

महाराष्ट्र के पर्वतारोहियों से अभ्यावेदन

2513. **श्री आर० के० महालगी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को महाराष्ट्र के पर्वतारोहियों से गत आठ मास के दौरान अपनी परियोजनायें आरंभ करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किस किस से प्राप्त हुये हैं ;

(ग) उक्त अभ्यावेदनों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क), (ख) तथा (ग) : गत आठ महीनों में पर्वतारोही अध्यक्ष श्री हरीश कपाडिया से पर्वतारोहण अभियान के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। नवम्बर, 1977 में 3,727 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। पर्वतारोहियों ने बांड तथा भुगतान की आवश्यक पूर्व प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की अतः राशि नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

2514. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकार कर लिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको किन विश्वविद्यालयों ने स्वीकार नहीं किया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा अनुमोदित वि० अ० आ० के संशोधित वेतनमान विचार तथा स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों को भेजे गए थे । राज्य सरकारों को भी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन वेतनमानों को संशोधित करने का विकल्प दिया गया था। अब तक केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा वि० अ० आ० के वेतनमानों को विश्वविदयालय अध्यापकों के लिये मंजूर किया

गया है । इन वेतनमानों को जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों के कालेज अध्यापकों को भी दिया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ संशोधित वेतनमानों को विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों दोनों के लिए मंजूर किया है और तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश सरकारों ने कालेजों में अध्यापकों के कुछ वर्गों को वि० अ० आ० के वेतनमानों से भिन्न वेतनमानों पर बनाए रखा है ।

Central Assistance for Dairy Development in Rajasthan

2515. **Shri Ram Kanwar Berwa:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government are giving assistance for a project to be started with Rs. 25 crores for dairy development in Rajasthan; and

(b) if so, the details in this regard?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Government have under consideration an integrated dairy development project for the entire country involving a total outlay of about Rs. 483 crores. However, no separate allocations have been made so far for individual States, including Rajasthan.

(b) This project will be on the lines of Operation Flood I and this programme is aimed primarily at increased milk poduction. 15 districts of Rajasthan are proposed to be coverd under this project. In addition, 148 towns in the country with over one lakh population are to be linked as a part of National Grid to ensure milk supply to these towns. Financial and other details are under examination.

केरल में गन्दी बस्ती हटाने और पिछड़े वर्गों के लिये आवास की योजनाएं

2516. **श्री वयालार रवि :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रयोजित गन्दी बस्ती हटाने और पिछड़े वर्गों के लिए मकानों की कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार को मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन योजनाओं के लिए सहायतानुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी योजनाओं के लिए और उन पर कितनी राशि दी जाएगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Single Cooperative Agencies for Loan to Farmers:

2517. **Shri Jagdish Prasad Mathur:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the types of Cooperative Agencies functioning in the country which advance loans to farmers for agricultural purposes at present; and

(b) whether Government propose to integrate them into a single agency so that farmers are not faced with any difficulty?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) and (b): Short and medium term loans for agricultural purposes are provided by the short term cooperative credit structure consisting of primary agricultural credit societies at the base level, central cooperative banks at the intermediate level and state cooperative banks at the apex level.

Long term loans for development of agriculture are given in some States by primary land development banks at the base level, financed by central land development banks and in other States, directly by the central land development banks through their own branches.

It is the policy of Government that the farmers should get all types of credit i.e. short term, medium term and long term, from a single cooperative credit institution at the base level. The programme of reorganisation of primary agricultural credit societies on a viable basis and organisation of farmers service societies and large-sized multi-purpose societies in tribal areas has been undertaken so that this objective could also be achieved.

दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में जांच

2518. **श्री शिव सम्पति राम :**
श्री दिलीप चक्रवर्ती :
श्री अगर राय प्रधान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने इस बीच दिल्ली विश्वविद्याय के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां तो क्या निष्कर्ष निकले और स्थिति में सुधार करने के लिए इस काम में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच प्रधान मंत्री द्वारा अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय जल आयोग में ग्रेड "ए" के कर्मचारियों की वरिष्ठता

2519. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जल आयोग में ग्रेड "ए" के कर्मचारियों के लिए अपनाए जाने वाले वरिष्ठता नियमों को अमान्य घोषित कर दिया है और गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तो पर उक्त वरिष्ठता सूची में संशोधन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय ने निर्णय को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जो, हां । केन्द्रीय जल आयोग के कुछ स्थायी सहायक निर्देशकों द्वारा फाइल की गई रिट याचिका (1970 की संख्या 1214) पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त, 1977 के अपने निर्णय में यह निर्देश दिया था कि इन अधिकारियों की वरियता (सीनियरटी) गृह मंत्रालय द्वारा 22 दिसम्बर, 1959 को निर्धारित सीनियरटी के सिद्धान्तों के आधार पर पुनः निर्धारित की जानी चाहिए ।

(ख) और (ग) ; सरकार ने उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बारे में अभी तक कोई मत निर्धारित नहीं किया है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को कानून की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

आपात काल के दौरान मुअत्तिल किये गये दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों का बहाल किया जाना

2520. **श्री उग्रसेन** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 जून, 1975 के पश्चात् आपातकाल के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा कितने अध्यापक मुअत्तिल किये गये थे ;

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उनमें से कितने अध्यापकों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये बिना बहाल कर दिया है;

(ग) आपातकाल के दौरान दिल्ली के कितने अध्यापकों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सक्रिय योगदान न देने के कारण स्थानान्तरित किया गया;

(घ) नसबन्दी न कराने के कारण दिल्ली प्रशासन ने कितने अध्यापकों का वेतन रोका था; और

(ङ) आपात काल के दौरान अध्यापकों को परेशान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

(क) 116

(ख) 116

(ग) 39

(घ) 37

(ङ) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में आपातकाल के दौरान की गई तथाकथित ज्यादतियों की शाह आयोग जांच कर रहा है । तथाकथित ज्यादतियों के लिये जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करनी होगी तो वह आयोग के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी ।

Persons Up-Rooted By Dughawa Dam in Bastar District, M.P.

†2521. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of persons have lost their employment and houses as a result of construction of Dughawa Dam in Bastar District in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to provide immediate assistance to such persons?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b): The Government of Madhya Pradesh has been requested for supply of necessary information. This will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

बाल कल्याण के लिये धनराशि का आबंटन

2522. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में बाल कल्याण के लिए अधिक धनराशि आबंटित करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1978-83 के लिए योजना आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि नई योजना में बाल कल्याण के लिए ठीक-ठीक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ।

फार्म आय की वृद्धि दर

2523. **श्री नरेंद्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में फार्म आय की औसत वृद्धि दर क्या थी ;

(ख) क्या सरकार आगामी दो वर्षों में इस दर को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) : राष्ट्रीय आय के अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र (पशुधन साहित्य) से होने वाली आय में 1974-75 की तुलना में 1975-76 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1975-76 की तुलना में 1976-77 के दौरान 6.1 प्रतिशत की कमी हुई । पहली अप्रैल, 1978

से शुरू किए जाने वाली योजना के अगले चरण में योजना की निवश प्राथमिकताओं को कृषि और ग्रामोण विकास के पक्ष में निर्धारित किया जाएगा । 1978-79 में कृषि के लिये योजना परिव्यय को 490 करोड़ रूपयों से बढ़ाकर 1754 करोड़ रुपय कर दिया गया है । यद्यपि वार्षिक योजना परिव्यय का 90 प्रतिशत चालू स्कीमों के लिये है, तथापि बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये लगभग 80 प्रतिशत या 828 करोड़ पए के नए आबंटन ग्रामोण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि तथा अन्य स्कीमों के लिये किए गए है ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजना कई वर्षों में पहली बार केन्द्रीय योजना से बड़ी होगी । कृषि, सिंचाई, बिजली तथा ग्रामोण विकास के पक्ष में योजना प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण का यह एक अन्य संकेतक है । कृषि, चालू बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ बिजली परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक राज्य की योजना में पूरी व्यवस्था की गई है । इन दो क्षत्रों में आवश्यक नयी स्कीमों के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

खाद्यान्नों के प्राइवेट खुदरा व्यापारियों द्वारा कदाचार

2524. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उचित दर की दुकानों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी सहकारी क्षेत्र में हैं ;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें मिली है कि प्राइवेट खुदरा व्यापारियों को अक्सर खाद्यान्नों में अपमिश्रण जैसे कदाचार के कार्य करते पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) : राज्य के अन्दर उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नो का वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । उचित दर की दुकानों द्वारा किसी प्रकार की, की गई अनियमितताओं/कदाचारों के बारे में प्राप्त शिकायतों की उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है । राज्य में उचित दर की दुकानों को दक्षता से चलाने के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव अपनाने के लिए कहा गया है :—

1. उचित दर की दुकानों से केवल वास्तविक कार्डधारियों/उपभोक्ताओं को खाद्यान्न जारी किए जाने चाहिए ।
2. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जारी किए गए कार्डों की वास्तविक संख्या की जनगणना और मतदाता सूचियों में प्रकाशित क्षेत्रों, नगरों अथवा शहरों की जनसंख्या से प्रत्यक्ष जांच करें ताकि नकली राशन कार्डों को समाप्त किया जा सके ।

3. प्रत्येक राज्य में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्नों के नमूनों तथा उनकी मूल्य सूची और अथ शेष तथा इतिशेष स्टाक का प्रदर्शन सख्ती से करवाया जाना चाहिए ।

4. राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों की देख-भाल की जानी चाहिए और जिनको दोषी पाया जाता है उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए ।

5. उचित दर की दुकानों द्वारा कदाचारों/अनियमितताओं के बारे में कार्डधारियों से प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

Import of Fertilisers from East European Countries

2525. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether fertilizers have been imported from East European countries during 1976-77 and 1977-78;

(b) if so, the total value thereof; and

(c) whether Government will purchase fertilizers direct from producer so that intermediaries are not benefited?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) The C & F value of the imports from East European Countries during 1976-77 and during April, 1977-February, 1978 is Rs. 89.58 crores and Rs. 82.01 crores respectively.

(c) Purchases of fertilisers from East European Countries are covered under the annual Trade Plan between India and respective countries and the terms of the contracts are negotiated by the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. (a Govt. of India undertaking) directly with the State Producer agencies in the concerned country or the official Trade Representation of that country in India. MMTC does not negotiate the purchases with the agents representing these countries in India.

दिल्ली के स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा वाइस प्रिंसिपलों का ग्रामीण क्षेत्रों को कथित स्थानान्तरण

2526. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृती मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 6 फरवरी, 1978 के पेट्रियाट में लगाये गये आरोप सच है कि (एक) मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री केदारनाथ साहनी ने कुछ शिक्षकों को कहा है कि यदि वे यह लिखकर नहीं देंगे कि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में प्रवश लेंगे तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा; और (दो) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रवेश लेने से इन्कार करने के कारण परेशान करने के लिए पिछले कुछ महीनों में लगभग 200 प्रिंसिपलों, वाइस प्रिंसिपलों और अन्यों को अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानान्तरित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि ये आरोप निराधार हैं ।

दिल्ली के विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

2527. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध किये गये आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन की मांगों की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) कालातीत हुई पदोन्नति और पुष्टिकरण की मांग

(2) कार्यप्रभारित तथा ड्याडी के कर्मचारियों को नियमित करना

(3) बोनस देना

(4) डी० डी० ए० के सभी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का आश्वासन

(5) प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को उनके मूलकार्यालयों में वापस लौटाना ।

चूंकि डी० डी० ए० के उपाध्यक्ष से बातचीत के बाद डी० डी० ए० कर्मचारी एसोसिएशन ने अपने आन्दोलन को 24-2-1978 को समाप्त कर दिया था, अतः सरकार ने इस मामले पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा ।

एकीकृत ग्रामीण विकास पर व्यय और उसकी देखरेख

2528. **श्री ए० मुहम्मद गेसन :**
श्री पी० कानन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के आरम्भ होने से अब तक इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में उस पर कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या चुने हुए केन्द्र में इस योजना के कार्यान्वयन की साथ-साथ देखरेख की गई है ; और

(घ) इसके कार्यान्वयन की प्रभावशालीनता के बारे में देख-रेख से क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) समन्वित ग्राम विकास योजना के लिए इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक 697.76 लाख रुपये

को धनराशि आबंटित की गई है । वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान की शेष धनराशि आबंटित की जा रही है ।

(ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों के दौरान व्यय की जाने वाली कुल धनराशि को अभी अंतिम रुप नहीं दिया है । तथापि, अगले वित्तीय वर्ष के लिए "पूर्ण रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना" से संबंधित कार्यक्रम हेतु 20.00 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन अभी हाल ही में शुरू हुआ है । कार्यक्रम को कुछ समय तक चलने के बाद ही समवर्ती प्रबोधन शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निश्चित समयावधि में पूरा रोजगार सुलभ करने के लिए कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

2529. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने कितनी शैक्षिक परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया था ;

(ख) इन में से कितनी परियोजनायों निश्चित अवधि में पूरी हो गई और कितनी परियोजनाओं को पूर्ति के लिये और अधिक समय मांगा गया ;

(ग) विषय-वार परियोजनाओं की संख्या क्या है ;

(घ) जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को कितनी परियोजनायों दी गई ? और

(ङ) इन परियोजनाओं के वित्त पोषण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(च) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण के बारे में मंत्रालय की समूचे तौर पर क्या धारणा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (च): परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जून 75 और मार्च 77 के बीच इसके द्वारा 200 परियोजनाओं की स्वीकृति को गई थी जिनमें से 17 के सम्बन्ध में समापन रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं और 68 के मामलों में समय में वृद्धि मांगी गई थी । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 13 परियोजनाएं दी गई थीं जिनपर 2,63,345 रु० की राशि का व्यय था । विषय-वार परियोजनाओं की संख्या के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय समाज विज्ञाण अनुसंधान परिषद् द्वारा आपात काल में स्वीकृत परियोजनाओं का विषय-वार वितरण

क्रम संख्या	विषय	परियोजनाओं की संख्या
1	मानव विज्ञान	1
2	अर्थ शास्त्र	79
3	शिक्षा	8
4	भूगोल	7
5	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	5
6	विधि	2
7	भाषा विज्ञान	1
8	प्रबन्ध	4
9	राजनीति शास्त्र	48
10	मनोविज्ञान	4
11	लोक प्रशासन	12
12	समाज कार्य	1
13	समाज शास्त्र	22
14	अन्तर्विषयक	6
	सभी विषय	200

भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास

2730. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आये कितने शरणार्थी परिवारों का उत्पादन कार्यों के लिये पुनर्वास किया जाना है ; और

(ख) उनके आर्थिक पुनर्वास के लिये यदि कोई सहायता दी गई अथवा दी जा रही है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 9,800 परिवारों को अभी पुनर्वास दिया जाना है।

(ख) जानकारी पुनर्वास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 1976-77 के परिशिष्ट VI से IX (पृष्ठ 102–107) में दी गई है ।

5—61 L.S.S. (N.D.)/78

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत में भिन्नता

2531. **श्री पी० कानन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बस्तियों में निर्मित मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण पर कितनी लागत आई ;

(ख) आबंटियों से कितनी राशि वसुल की गई ; और

(ग) प्रत्येक वर्ग में असाधारण अन्तर के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना अनुलग्नक 'क' में दी गई है ।

(ग) बिक्री की कीमत में विभागीय प्रभार, ब्याज प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था और भूमि की कीमत जैसे ऊपरि प्रभार शामिल हैं ।

जनता/निम्न आय वर्ग के आबंटियों को राहत पहुंचाने के लिए चार मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं में अर्थात प्रशाद नगर, लारेन्स रोड, राजौरी गार्डन तथा वजीरपुर योजनाओं में सरचार्ज लगाए गए थे ।

विवरण

वर्ष	योजना का नाम	निर्माण की लागत	बिक्री का मूल्य
		रुपये	रुपये
1973–74	वजीरपुर (निम्न आय वर्ग)	20089 से 22297 तक	30300 से 33300 तक
	पंखा रोड (मध्यम आय वर्ग)	23800 स 24800 तक	34000 से 37400 तक
	पंखा रोड (निम्न आय वर्ग)	14864 से 16926 तक	22000 से 25900 तक
	राजौरी गार्डन (मध्यम आय वर्ग)	27467 से 27967 तक	40500 से 43400 तक
	राजौरी गार्डन (निम्न आय वर्ग)	17927	27200 से 27800 तक
	मुनीरका (मध्यम आय वर्ग)	27922 से 30538 तक	40700 से 52000 तक
	मालवीय नगर (मध्यम आय वर्ग)	30635 से 39736 तक	39300 से 65800 तक
	सन लाईट कालोनी (निम्न आय वर्ग)	17399	26600 से 27500 तक

विवरण—जारी

वर्ष	योजना का नाम	निर्माण की लागत	बिक्री का मूल्य
		रुपये	रुपये
1974–75	ईस्ट आफ कैलाश (मध्यम आय वर्ग)	29821 से 30421 तक	45000 से 48000 तक
	पंखा रोड (मध्यम आय वर्ग)	32008 से 33559 तक	47700 से 48600 तक
	कालकाजी (निम्न आय वर्ग)	19847 से 24196 तक	28800 से 32000 तक
	राजौरी गार्डन (निम्न आय वर्ग)	24302 से 26661 तक	37700 से 39700 तक
	प्रशाद नगर (निम्न आय वर्ग)	16430 से 17195 तक	25400 से 28300 तक
	रैगरपुरा (निम्न आय वर्ग)	11238 से 15127 तक	17800 से 23700 तक
	शेख सराए (मध्यम आय वर्ग)	43693 से 43755 तक	63400 से 65700 तक
1975–76	वजीरपुर (मध्यम आय वर्ग)	37158 से 40582 तक	55400 से 61900 तक
	वजीरपुर (निम्न आय वर्ग)	19282 से 23299 तक	29100 से 35000 तक
	मदनगीर (निम्न आय वर्ग)	23470	34400
	कटवाड़िया सराए (मध्यम आय वर्ग)	37725 से 39029 तक	60800 से 62800 तक
	कटवाड़िया सराए (निम्न आय वर्ग)	23367 से 24173 तक	38300 से 38900 तक
1976–77	सफदरजंग (मध्यम आय वर्ग)	41665 से 50435 तक	59400 से 67400 तक
	वजीरपुर (मध्यम आय वर्ग)	40722 से 45214 तक	59000 से 66200 तक
	लारेन्स रोड (मध्यम आय वर्ग)	36613 से 39234 तक	58000 से 60000 तक

विवरण—समाप्त

वर्ष	योजना का नाम	निर्माण की लागत	बिक्री का मूल्य
		रुपय	रुपये
1976-77	कालकाजी (निम्न आय वर्ग)	19847 से 24196 तक	28800 से 32000 तक
	राजौरी गा न (मध्यम आय वर्ग)	37670 से 42038 तक	69000 से 72000 तक
	राजौरी गार्डन (निम्न आय वर्ग)	28398 से 30668 तक	42700 से 44400 तक
	मुनीरका (मध्यम आय वर्ग)	48301 से 57004 तक	67300 से 79500 तक
	मुनीरका (निम्न आय वर्ग)	26776 से 29317 तक	40900 से 44600 तक
	प्रशाद नगर (मध्यम आय	34054 से 37405 तक	75200 से 76200 तक
	वर्ग)		
	शख सराए 'डी०' श्रेणी	51310 से 59914 तक	76500 से 88900 तक
	बेर सराए (निम्न आय वर्ग)	26756 से 32166 तक	39500 से 44600 तक
	तम्बूर नगर (निम्न आय वर्ग)	32966 से 34811 तक	45700 से 48400 तक

Pollution of Yamuna

2532. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the drainage water and dirty water of Bagh Karekhan, Padam Nagar, Kashmiri Bagh flows direct into 'Daryai Nullah' (river drain) because these colonies are situated along with Nulah;

(b) whether it is also a fact that this drain through Najafgarh drain flows into Yamuna with the result that Yamuna water is polluted;

(c) the steps taken by Municipal Corporation to lay sewer lines in the said colonies for the disposal of dirty water and night soil so that sullage water does not fall into this Daryai Nullah; and

(d) whether it is also a fact that Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, Delhi Municipal Corporation had taken a decision on 5th March, 1974 to lay sewer lines in the said colonies; if so, the reasons for which this work still remains incomplete and the time by which it would be completed?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a), (b), (c) and (d): Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पाठ्य पुस्तकों को बंगला भाषा में प्रकाशित किया जाना

2533. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम-बंगाल सरकार ने अपनी पाठ्यपुस्तकों को बंगला भाषा में प्रकाशित करने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख): पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश के लिये पेय जल योजनायें

2534. **श्री महेंद्र सिंह सैंयानाला :**
श्री यशवन्त बोरोले :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल सप्लाई योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करने हेतु कोई प्रयत्न किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित नये त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने समस्यामूलक गांवों को शामिल किया गया है और उनका कुल कितना पूंजी परिव्यय है ; और

(घ) पेय जल सप्लाई की चल रही परियोजनाओं, तथा नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राज्यवार सहायता कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में कुल 3119 शहरों में से 1890 शहरों में पाइप द्वारा जलपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 5,75,936 गांवों में से, 64,000 गांवों (लगभग 40,000 समस्याग्रस्त गांवों सहित) को साफ़ पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया की गई है ।

(ग) मार्च, 1978 के अन्त तक लगभग 4600 समस्याग्रस्त गांवों को नये केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की आशा है । 38 करोड़ रुपये की राशि वर्ष के अन्त तक इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को दी जाएगी ।

(घ) 38 करोड़ रुपये का राज्यवार वितरण इस प्रकार है :—

विवरण

राज्य/संघ राज्य का नाम	नियत की गई राशि
	(लाख रुपयों में)
1. असम	57.60
2. आन्ध्र प्रदेश	152.30
3. बिहार	242.80
4. गुजरात	312.80
5. हरियाणा	142.10
6. हिमाचल प्रदेश	202.60
7. जम्मू तथा कश्मीर	152.80
8. कर्नाटक	142.30
9. केरल	102.00
10. मध्य प्रदेश	252.80
11. महाराष्ट्र	292.80
12. मणिपुर	52.50
13. मेघालय	57.50
14. नागालण्ड	77.50
15. उड़ीसा	182.80
16. पंजाब	102.10
17. राजस्थान	252.30
18. सिक्किम	36.50
19. तमिलनाडु	217.30
20. त्रिपुरा	80.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80
22. पश्चिम बंगाल	242.80
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	20.00
2. अरुणाचल प्रदेश	20.00
3. दिल्ली	10.00
4. गोआ, दमण तथा दीव	10.00
5. मिजोराम	15.00
6. पांडिचेरी	10.00
योग	3792.80

नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन में विभागीय पदोन्नतियां

2535. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, निर्माण और आवास मंत्रालय, नई दिल्ली में कुछ गत वर्षों में रिक्त इन्वेस्टिगेटर्स के रिक्त पदों पर कुछ लोअर डिवीजन क्लर्कों को पदोन्नत कर उच्च श्रणी लिपिक बना दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) इन्वेस्टिगेटर्स के रिक्त पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्कों को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) पांच ।

(ग) प्रशासन में कार्य के निपटान के लिए उच्च श्रेणी लिपिकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक समझा गया ।

भूमि की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना

2536. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा तथा गुजरात सरकार ने अपने-अपने राज्यों में वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव भेज हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : भारत सरकार को न तो उड़ीसा सरकार से और न ही गुजरात सरकार से विधेयकों के रूप में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए है । तथापि उड़िसा सरकार ने भारत सरकार की राय जानने के लिए कई प्रस्तावित संशोधन भेजे हैं । इन पर विचार किया जा रहा है ।

Wheat and Rice stock in godowns

2537. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the existing wheat and rice stock in Government foodgrains godowns in the country; and

(b) the steps being taken by Government to dispose of old stock expeditiously with a view to store rabi crop wheat?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The stocks of wheat and rice with various public agencies in the country were tentatively of the order of 10.7 and 6.2 million tonnes respectively as on 1-2 1978.

(b) In view of the need for turn-over of old stocks a number of measures have been initiated by the Government to increase the offtake of foodgrains through public distribution system. The demands of the State Governments for the allotment of wheat and rice from the Central pool are being met in full at present. Wheat quota for the consumers has been increased. Wheat is also being made available to the State Governments for gratuitous and other relief work in the flood/cyclone affected areas. Foodgrains are also being made available to State Governments under the scheme for generating additional employment opportunities by the utilisation of foodgrains stocks. The outstanding quantity of about 1.5 million tonnes of Russian wheat loan is being repaid in kind instead of cash as was decided earlier. Foodgrains are also being made available to other needy countries to help them in tiding over their short supply situation. In addition, all efforts are being made to construct additional storage capacity to store the coming Rabi crop of wheat. These include hiring of covered space from all available sources, construction of godowns on large scale by the Food Corporation of India and encouraging construction of godowns by the private parties under guarantee scheme as per FCI's specifications.

Criteria for opening Central Schools

†2538. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the basis of requirements or criteria for opening a Central School at a particular place;

(b) the number of schools opened so far in pursuance thereof;

(c) the names of places where demand has been made for opening such schools; and

(d) whether the Central Government employees in Ratlam (Madhya Pradesh) have submitted a demand for opening a central school there?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) The criteria for opening of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) are given in the statement attached.

(b) 244.

(c) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1783/78]**

(d) No such proposal sponsored by concerned authorities has so far been received.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल की जाने वाली पानी की दरें

2539. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं जहां यह प्राधिकरण सप्लाई किये गय पानी के लिए निवासियों से 40 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से वसूल कर रहा है जो दिल्ली नगर निगम द्वारा वसूल किये जाने वाली दर से दुगूना

है और इसके अतिरिक्त 17½ प्रतिशत की दर से विभागीय शुल्क भी वसूल किया जाता है ; और

(ख) क्या इन कालोनियों के निवासियों ने इस अन्याय के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण को बार-बार प्रतिवेदन दिये हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पानी का शुल्क दिल्ली नगर निगम की दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा और लिए गए अतिरिक्त भुगतान का समायोजन किया जाएगा और यदि हां, तो इस आश्वासन को कार्यान्वित न करने और इस वैध मांग को न मानने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) डी०डी०ए० कालोनियां में जलपूर्ति के संसाधनों तथा वसूल की गई दरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों पर जल प्रभारों की वसूली करने के लिए निवासियों को दिए गए किसी आश्वासन के बारे में डी० डी० ए० को मालूम नहीं है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वे वास्तविक व्यय के आधार पर ही प्रभार निर्धारित कर रहे हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	वसूल किये गये प्रभारों की दर	जलपूर्ति का साधन
1.	मालवीय नगर . .	40 पैसे प्रति कि० ली०	डी०डी०ए० के अपने ट्यूबैल से
2.	शेख सराय .	50 पैसे प्रति कि० ली०	—वही—
3.	(i) कटवाड़ी सराय चरण–I	28 पैसे प्रति कि० ली० पहले 20 कि० ली० के लिए तथा उसके बाद 50 पैसे प्रति कि० ली०	दिल्ली नगर निगम
	(ii) चरण–II . .	29 पैसे प्रति कि० ली० 20 कि० ली० के लिये और उसके बाद 51 पैसे प्रति कि० ली०	
	(iii) बाढसराय . .	28 पैसे प्रति कि० ली० पहले 20 कि० कि० ली० उसके बाद 50 पैसे प्रति कि० ली०	
4.	राजौरी गार्डन मीटर सप्लाई (मध्यम आय वर्ग)	15 रुपए प्रति मास प्रति फ्लैट	दिल्ली नगर निगम
	(निम्न आय वर्ग)	12 रुपये प्रति मास प्रति फ्लैट	

विवरण—समाप्त

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	वसूल किये गये प्रभारों की दर	जलपूर्ति का साधन
	मीटर सप्लाई		
	मध्यम आय वर्ग . .	7.50 रुपये प्रति मास प्रति फ्लट बुस्टीग के लिए	दिल्ली नगर निगम
	निम्न आय वर्ग . .	5 रुपये प्रति मास प्रति फ्लैट	दिल्ली नगर निगम
5.	लारेन्स रोड़ . .	40 पैसे प्रति कि० ली०+0.08 प्रति कि० ली० बुस्टीग के लिए	
6.	जो० बी० एरिया राजौरी गार्डन	50 पैसे प्रति कि० ली०	
7.	पच्छिमपुरी रिहायशी कालोनी	20 पैसे पहले 20 कि० ली० के लिए तथा उसके बाद 40 पैसे प्रति कि० ली०+17.25% विभागीय प्रभार	
8.	प्रसाद नगर में 316 एम०आई० जी० तथा 231 एल०आई०जी० के मकान	50 पैसे प्रति कि० ली० पहले 20 कि० ली० के लिये तथा उसके बाद 70 पैसे प्रति कि० ली०	
9.	मुनिरका–चरण–I	0.70	
10.	ईस्ट आफ कैलाश में 88 एम० आई० जी० के फ्लैट	0.65	
11.	कालका जी में 1288 जनता टेनामैन्टस	5.50 रुपए प्रति मास एक समान दर के रूप में	
12.	ईस्ट आफ कैलाश में 133 सी० एस० पी० फ्लैट	—वही— .	
13.	कालकाजी में 1026 एल०आई० जी०	0.75	
14.	मस्जिद मीठ रिहायशी योजना	0.70	
15.	मालवीय नगर एक्स्टेन्शन .	0.70	
16.	मदनगीर टैनामैन्टस .	5 रुपये प्रति मास एक समान दर के रूप में	
17.	सनलाईट टैनामैन्टस .	—वही—	

Scarcity of Drinking Water in Khajuraho

2540. **Shri Laxmi Narain Nayak:** Will the Minister of **Works and Housing, Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether many villages in Khajuraho, a parliamentary constituency, face serious drinking water crisis in the summer season;

(b) whether the State Government has asked for financial assistance and machines from the Central Government to overcome this crisis; and

(c) the amount given by the Central Government during 1976-77 and 1977-78 to overcome the crisis of drinking water in this area ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a), (b) & (c) The information is being collected and will be laid on the table of Sabha.

किसानों को कृषि साज-सामान की सप्लाई करने हेतु योजना

2541. **श्री कवरलाल हेमराज जैन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की किसानों को उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिये साज-सामान, जैसे हल बनाने की लकड़ी, बैलगाड़ी में उपयोग आने वाली लकड़ी, हल और बलगाड़ी में उपयोग किया जाने वाला लोहा आदि, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने सम्बन्ध कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किसानों को ये साज-सामान उचित दरों पर कब से उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : लघु कृषक विकास अभिकरणों, सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रमों, जनजाति विकास कार्यक्रमों दलहन विकास कार्यक्रम जैसी कई योजनाएं निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार साहाय्य की प्रक्रिया के जरिए किसानों के लक्षित दलों को उचित कीमतों पर कुछ उपकरण और/या औजार प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें भी ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सीमित कार्यक्रम चला रही हैं ।

भारत सरकार चुने हुए क्षेत्रों के किसानों को अभिज्ञान फार्म औजार, साज-सामान और पानी उठाने के यन्त्र साहाय्य दरों पर उपलब्ध कराने की एक योजना शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है । ऐसे औजारों, उपस्करों, साज-सामान या बैलगाड़ियों निर्माण के लिये किसानों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है ।

संघ राज्य क्षेत्रों में साक्षरता

2542. **श्री भगतराम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा, मनीपुर, मिजोरम, तथा नागालैंड में साक्षरता की प्रतिशतता के नवीनतम आंकड़े पृथक-पृथक् क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : 1971 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता प्रतिशतता (0-4 वायु वर्ग की जनसंख्या को छोड़कर) निम्नलिखित है:—

राज्य	
मणीपुर	38.47%
नागालैंड	31.32%
त्रिपुरा	36.19%
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	51.15%
अरुणाचल प्रदेश	13.26%
चण्डीगढ	70.43%
दादर तथा नगर हवेली	18.12%
दिल्ली	65.08%
गोवा, दमन व दीव	51.48%
लक्षद्वीप	51.76%
मिजोरम	62.71%
पांडिचेरी	53.38%

Smuggling of Foodgrains to Nepal and Bangladesh

2543. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4471 on 19th December, 1977 regarding smuggling of foodgrains to Nepal and Bangladesh and state:

(a) whether reports on smuggling foodgrains to Nepal and Bangladesh have since been received from the Governments of Assam, Bihar, Tripura and Sikkim, and if so, the details thereof; and

(b) the number of persons apprehended smuggling foodgrains to Nepal and Bangladesh during the last three years and whether this smuggling is being done by professional smugglers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Governments of Assam, Tripura and Sikkim have since stated that they have not received any report about the smuggling of foodgrains to Nepal and Bangladesh. Reply from Bihar is still awaited.

(b) Does not arise.

भारतीय हाकी टीम की पराजय

2544. **श्री रामानन्द तिवारी :**
श्री रामदास सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में कराची में भारत पाकिस्तान के बीच हुए हाकी मैच में भारतीय टीम की पराजय के कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या पराजय के लिए तथा टीम के चयन के लिए कोई उत्तरदायीत्व निश्चित किया गया है अथवा करने का विचार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारतीय हाकी संघ के अनुसार कराची में मैदान कि हालत भारतीय खिलाड़ियों के लिए कतई माफिक न थी क्यों कि मैदान बहुत ही चिपचिपा था । जबकि दूसरी और पाकिस्तान कि टीम को इस विशेष मैदान पर दो महिनों से अधिक व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था ।

(ख) जी नहीं, टीम का चयन तथा उसे तैयार करन की जिम्मेदारी पूर्णतः भारतीय हाकी संघ की है जो की एक स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय है ।

दिल्ली में कालोनियों का नियमित किया जाना

2545. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कालोनियों के नियमित किए जाने में सरकार ने कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान गति बनाए रखे जाने पर इस कार्य में वर्षों लग जाएंगे;

(ग) जब तक इन कालोनियों को नियमित नहीं किया जाता तब तक इन्हें मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे है;

(घ) क्या यह सच है कि इन कालोनियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ हैं, और इनमें जल निकाल नालियों, पक्की सडकों, पानी को अथवा सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मूल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक : एक हवाई सर्वेक्षण किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि प्रयेक कालोनी का भू-सर्वेक्षण भी किया जाए और विकास नक्शें बनाएं जाए । इन नक्शों कि जांच एक तकनीकी ग्रुप करेगा जिसमें दिल्ली नगर निगम और डी० डी० ए० के प्रतिनिधि है। दिल्ली नगर निगम ने 13 कालोनियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है

और उसके क्षेत्र में अन्य 33 कोलोनियों का सर्वेक्षण प्रगति पर है। डी० डी० ए० भी इसी प्रकार का सर्वेक्षण अपने क्षेत्र में कर रहा है। यद्यपि इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता किन्तु इस कार्य को दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है। कालोनियों के विन्यास नक्शे मंजूर हो जाने के बाद ही नागरिक सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं। किन्तु निम्नलिखित मूल सुविधाओं के लिए दिल्ली नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये की राशी का प्रावधान किया है :—

1. महामारी के विरुद्ध निवारणात्मक उपायों के लिए तथा स्वच्छता बनाये रखने के लिए।
2. गड्ढों को भरने के लिए
3. खड़जें बिछाने के लिए
4. खुली नालियां बनाने के लिए
5. म्युनिसिपल पार्कों के चारों ओर बाढ़ तथा जंगला लगाना
6. अनधिकृत कालोनियों में सम्पर्क मार्गों की अवस्था।

माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी का अध्यापन

2546. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्यों में तथा संघ क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापन की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ख) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापन के संबंध में सरकार कि नीति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रीय प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत सरकार का यह विचार है कि भाषाओं के अध्यापन के मामले में त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित किया जाए जिसके अन्तर्गत अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक भाषा के रूप में किया जा सकता है।

Drinking water for desert areas of Rajasthan

2547. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of villages in Rajasthan where drinking water is still a problem;

(b) whether the Government of Denmark has recently assured some assistance; and

(c) if so, the nature thereof?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) According to a survey of 1977 Rajasthan had 4227 problem villages, out of which 2831 villages have been provided with water supply, and the rest are yet to be provided.

(b) & (c): Under the Indo-Danish Technical Cooperation Programme there is a proposal for the Government of Denmark to give assistance for drinking water supply in difficult and scarcity villages. The Project has not, however been finalised as yet for being posed to the Government of Denmark for such assistance.

खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत

2548. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति औसतन खपत कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस समय खाद्यान्न के विशाल भण्डार को देखते हुये खाद्यान्न की राशन व्यवस्था को समाप्त करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, प्रत्येक वर्ष की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ें उपलब्ध हैं। वर्ष 1977 के दौरान खपत के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अस्थायी तौर पर 159.8 किलो बैठती है।

(ख) वृहत्तर कलकत्ता और दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक कम्प्लैस, जहां पर पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर सांविधिक राशन व्यवस्था चालू रखी जा रहीं है, को छोड़कर, देशभर में कहीं भी कोई राशन व्यवस्था नहीं है। इस समय केवल उचित दर की दुकान की प्रणाली चल रहीं है क्यों कि मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए एक उपयोगी साधन में रूप में कार्य जों करती है।

Import of Coarse Grain during 1978

2549. **Shri Brij Bhushan Tiwari:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to import coarse grains from foreign countries during 1978;

(b) if so, the total value thereof and the names of the countries from which it is being imported; and

(c) whether such coarse grains cannot be produced within the country itself?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singha): (a) As at present, import of coarse grains during the current year is not contemplated.

(b) Does not arise.

(c) Coarse grains are already being produced. Given incentive, production can be increased.

'आपरेशन फ्लड' द्वितीय चरण का वित्त पोषण

2550. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इंडिया डेरी कारपोरेशन के माध्यम से भारत में 'आपरेशन फ्लड' के द्वितीय चरण को वित्त घोषित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो समस्त ग्रामीण विकास परियोजना के लिए जो वर्ष 1978 के मध्य में शुरू होगी कितनी सहायता देने और किस रूप में देने की योजना है;

(ग) उपरोक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशी की वित्तीय सहायता की योजना बनाई गई है; और

(घ) देश में 'आपरेशन फ्लड' के उपरोक्त द्वितीय चरण से किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 1,86,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुध पाउडर तथा 1,14,000 मीटरी टन बटर आयल उपहार रूप में प्राप्त होने की आशा है। इनकी बिक्री से 235.20 करोड़ रुपये की धनराशी उपलब्ध होगी जिसे आंशिक रुप से आपरेशन फ्लड–2 के लिए काम में लाया जाएगा।

(ग) आशा है विश्व बैंक द्वारा 173.00 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप दिए जायेंगे।

(घ) प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत देश के 155 जिलों के ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन व विपणन का कार्य शुरू किया जाएगा। ये जिले राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का भाग होंगे जो 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 148 शहरों में बेचने योग्य अधिशेष दूध सप्लाई करेंगे।

दिल्ली के स्कूलों के हिन्दी/संस्कृत अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड

2551. **श्री महीलाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन को पत्रांक 11014/7/75–यू०टी०आई० दिनांक 4 मार्च, 1976 द्वारा निदेश दिया था कि सेलेक्शन ग्रेड के लिए हिन्दी तथा संस्कृत अध्यापकों को एक श्रेणी माना जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निर्देश मंत्रालय द्वारा पहले पत्रांक ए–11014/4/75–यू०टी०आई० दिनांक 9 अगस्त, 1973 को दिए गये इन निदेशों के विपरीत हैं कि सेलेक्शन ग्रेड के लिए हिन्दी तथा संस्कृत अध्यापकों को पृथक पृथक श्रेणी समझा जाये;

(ग) वर्ष 1972 के आदेशों के अंतर्गत कितने हिन्दी अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया और कितने योग्य हिन्दी शिक्षक इस ग्रेड उन्नति से वंचित रखे गये तथा उसके कारण क्या हैं;

(घ) वर्ष 1976 के आदेशों से किन किन स्कूलों के ऐसे कितने अध्यापक प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुये है; और

(ङ) आपातकाल के दौरान अर्थात् वर्ष 1976 में जारी किए गये आदेशों को रद्द करने तथा प्रभावित हिन्दी अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के बारे में क्या कदम उठाए गये हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय और सोवियत संघ के विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क

2552. **श्री समर मुखर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय सोवियत सहयोग बढ़ाने में सहायता के लिए चौदह-चौदह भारतीय और सोवियत संघ के विश्वविद्यालयों के सीधे सम्पर्क स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : भारत सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1976–78 में संकाय सदस्यों के विनिमय तथा विभिन्न क्षेत्रों के संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दोनों देशों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग की व्यवस्था है।

कार्यक्रम के ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे है।

बुक फाइनेन्स कारपोरेशन

2553. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रकाशन और पुस्तक वितरण उद्योग की आवश्यकताओं को उचित ब्याज दर पर पुरा करने के लिए बुक फाइनेन्स को स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे; और

6—61 L.S.S. (N.D.)/78

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बारकटकी) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित सलाहकार निकाय, राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड ने 1972 में एक पुस्तक वित्त निगम स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की जांच वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की गई थी। बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि भंडार में मौजूदा पुस्तकों के मूल्यांकन, पाण्डुलिपी तैयार करने, ग्राहकों से प्राप्त होने वाली छोटी राशियां और वह भी जो बहुत समय बाद वसूल होती है तथा मांग के न होने से पुस्तकों के भंडार की सुरक्षा केवल अस्पष्ट होगी, इसलिए पुस्तक वित्त निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं समझा गया था।

Potato Production

2554. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the area of land, in hectares, under potato cultivation during 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77 year-wise and annual production of potatoes, in tonnes, during the said period;

(b) the area of land, in hectares, likely to be brought under potato cultivation and the likely production thereof, in tonnes, in 1977-78;

(c) whether Government have chalked out any programme to increase the production of potatoes and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor and when this programme will be chalked out and the nature thereof; and

(d) whether any research has been conducted or is being conducted to develop an improved variety of potatoes and if so, where and the details thereof?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The area and production of potatoes during these years have been as under:—

	1973-74	1974-75	1975-1976	1976-77
Area ('000 hec).	543.4	587.4	622.4	634.0
Production ('000 tonnes)	4861.1	6225.4	7306.0	7287.0

(b) The estimates of area and production of potatoes during 1977-78 would become available after the close of the current agricultural year i.e. some times in middle of June, 1978.

(c) Yes Sir. The State Government had been advised to launch a motivational campaign to increase the production of potatoes through the following measures :—

(i) Adoption of full package of practices over large area,

(ii) Increasing the coverage under improved varieties of potatoes, and

(iii) Increasing the total area under the crop.

(d) Yes, Sir. The research work at national level is conducted by the Central Potato Research Institute, Simla. Names of other places for potato research and improved seed production are given below :—

Main Centres: Simla, Kanpur, Jullundur, Patna, Ootacamund, Shillong, Rajgurunagar, Chhindwara, Deesa, Ranchi, Kalyani, Bhubaneshwar, Hasan and Shopian.

Sub-Centres: Pantnagar, Bangalore, Palampur, Hissar and Jorhat.

Breeders' Seed Production Units: Kufri, Jullundur, Daurala and Kodaikanal.

प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का संग्रहालय

2555. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की झांकि प्रस्तुत करने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक मानव और उसकी गतिविधीयों का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा मंजूर किये गए स्थल तथा धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) तथा (ख): जी हां। मानव संग्रहालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। परियोजना के विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

जनता के लिये मकान

2556. **श्री सरत कार :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में जनता के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है अथवा कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए स्वीकृत धनराशी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता के लिए मकानों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करते समय क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) आवास कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले बकाया को निपटाना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और 20 वर्ष से अधिक अवधि वाले अनुपयोगी मकानों को बदलना है।

(ii) निम्न आय परिवारों के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग सीमित करना ताकि इस सैक्टर को नियत किए गए संसाधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके।

(iii) आवास निर्माण को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए प्रोत्साहन देने कि व्यवस्था करना।

(ख) तथा (ग): आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो उनकी किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए जिसमें आवास भी शामिल है, निधियों का उपयोग करने में स्वतंत्र है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1977–78 के लिए आवास का अनुमोदित प्लान परिव्यय 133.20 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय क्षेत्र प्लान की बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए वर्ष 1977–78 के लिए अनुमोदित प्लान परिव्यय 2.10 करोड़ रु० है। इस के अलावा 19.50 करोड़ रु० के जीवन बीमा निगम ऋण की राशि राज्य सरकारों को नियत की गई है।

धार्मिक संस्थाओं के लिये भूमि

2557. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने धार्मिक संस्थाओं को अलाट की जाने वाली भूमि के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : भूमि के अर्जन तथा विकास की लागत बढ़ जाने के कारण सरकार ने धार्मिक संस्थानों को आबंटित कि जानेवाली भूमि की किमत जो 1964 में 1 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई थी, सितम्बर 1977 से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी है।

राजधानी में गृह निर्माण कार्यक्रम

2558. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए राजधानी में प्रतिवर्ष 40,000 मकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या ऐसा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा जबकि पिछली सरकार के पतन के बाद यह तथ्य सामने आये है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्य निराशाजनक रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यदो उक्त कार्य उस एजेन्सी को सौंपा जाना है तो कार्य की उचित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। यह केवल पूरा करने के लिए लक्ष्य है।

(ख) यह लक्ष्य बहु-अभिकरण प्रणाली के जरिए पूरा किया जाएगा जिसमें डी०डी०ए० भी एक एजेन्सी होगी।

(ग) डी० डी०ए० का प्रस्ताव है कि भावी निर्माण-कार्यों के लिए हुडको द्वारा निर्धारित विशिष्टियों को अपनाया जायेगा। आशा है कि कार्य के नियमित निरीक्षण से उपयुक्त निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

टेकचन्द समिति का प्रतिवेदन

2559. **डा०सुशीला नायर** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तुरन्त कार्यन्वयन के लिए कौनसी सिफ़ारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(ग) उनके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मद्यनिषेध का विषय राज्य विषय होने के कारण जस्टिस टेकचन्द की अध्यक्षता में मद्यनिषेध संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी।

(ख) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति द्वारा 24 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में इन सिफ़ारिशों पर विचार किया गया था। उस बैठक में स्वीकृत बातें अनुबंध में दर्शाई गई हैं।

(ग) चार वर्ष की अवधि के भीतर देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने की नीति का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ।

विवरण

24 मार्च, 1973 को हुई केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक में स्वीकृति के मुख्य विषय

1. मद्यनिषेध के संबंध में राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्त का साधारण रूप से समर्थन किया गया ।

जबकि गुजरात के मंत्री, दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, श्री जस्टिस टेकचन्द, श्री पी० वी० पटवारी तथा जीवनलाल जयरामदास ने पूर्ण मद्यनिषेध का समर्थन किया परन्तु अन्यय लोगों का विचार था कि निम्नलिखित कारणों से निकट भविष्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करना सम्भव नहीं होगा:—

(क) वित्तीय दबाव;

(ख) लागू करने की प्रशासनिक समस्याएं;

(ग) अवध शराब निर्माण, तथा

(घ) नशीली और नकली शराब ।

2. यह स्वीकार किया गया कि शराब की खपत पर नियंत्रण करने तथा कम करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिएं । इस प्रयोजन के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) स्थानीय विकल्प के सिद्धान्त को स्वीकार करना;

(ख) शराब की दुकानों के स्थानों विनियमन—आराधना के स्थानों, शिक्षा संस्थाओं, बस्तियों विशेषकर हरिजनों की बस्तियों तथा राजमार्गों के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए;

(ग) मद्यनिषेध के दिनों की घोषणा — वेतन मिलने के दिन सामान्यतया सब जगह तथा दुकानों के खुल रहने के घंटों पर रोक;

(घ) निम्नलिखित पर सामान्य नियंत्रण लगाया जाए:—

(1) सार्वजनिक रूप से शराबनोशी,

(2) नकली शराब में एलकोहोल की मात्रा की शक्ति,

(3) अवैध शराब निर्माण, तथा

(4) नशीली और नकली शराब/औषधियों का सेवन ।

(ङ) निम्नलिखित द्वारा शराब पिए जाने पर विशेष रोक लगाना :—

(1) युवक,

(2) वाहनों के ड्राइवर,

यदि आवश्यक हो तो यह संबंधीत कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके किया जा सकता है। वाहनों के ड्राइवरो की श्वास परीक्षाएं होनी चाहिएं ।

(च) नकली उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यदी आवश्यक हो तो इसे लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं के लिए करार सम्बंधी दायित्व बना दिया जाए ।

(छ) आबकारी संबंधी नीतीयों का पुनरवलोकन किया जाना चाहिए जिससे मद्यनिषेध में सहायता मिले ।

3. सामान्य रूप से यह महसूस किया गया कि मद्यनिषेध का प्रचार करने के लिए शिक्षा पद्धति और सूचना के जन साधनों का उपयोग किया जाए । इस काम में लगे स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता दी जानी चाहिए ।

4. यह स्वीकार किया गया कि मंत्रीओं कि एक विशेष समिति आदिवासी क्षेत्रों कि समस्याओं कि विशेष रूप से जांच करें ताकि आदिवासीयों को शराब के व्यापारियों के शोषण से बचाया जा सके । इस समिती में निम्नलिखित राज्यों के (आबकारी के कार्यभारी) मंत्री शामिल होंगे:—

बिहार
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
उड़ीसा
राजस्थान
पश्चिम बंगाल

5. यह सुझाव दिया गया कि निम्नलिखित की विशेष जांच कि जानी चाहिए:—

(क) संघ शासित क्षेत्रों में मद्यनिषेध, तथा

(ख) जब तक मद्यनिषेध लागू न किया जाए शराब के उत्पादन और बिक्री को सरकार अपने हाथ में ले ले ।

6. यह स्वीकार किया गया कि मनुष्यों के स्वास्थ्य पोषाहार और प्रजनन शक्ति पर एल्कोहल सेवन के प्रभावों के बारे में अनुसंधान—समाज वैज्ञानिक और शारीरिक—किया जाना चाहिए ।

7. यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय सरकार को सम्बद्ध आंकडे नियमित रूप से दिए जाएं और विभिन्न परिस्थितियों के बारे में उन्हें सूचना भी दी जाती रहें ।

8. यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के साल में एक बार बैठक होनी चाहिए ।

नगरीय तथा कस्बा नियोजन के लिए संगठन

2560. **श्री के० मायातेवर :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अधीन नगरीय तथा कस्बा नियोजन के लिए संगठनों के नाम क्या है;

(ख) ये संगठन कबसे काम कर रहें है;

(ग) प्रत्येक संगठन पर वार्षिक व्यय कितना आता है; और

(घ) प्रत्येक संगठनों कि सेमिनारों तथा विद्वतापूर्ण शोध पत्रों के अलावा वास्तविक नगरीय नियोजन तथा विकास में योगदान कि प्रभावशीलता क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगरीय व क्षेत्रीय आयोजना गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन नगर व ग्राम आयोजना संगठन ही केवल एक संगठन है।

(ख) नगर व ग्राम आयोजना संगठन (जो पहले केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा नगरीय आयोजना संगठन कहलाता था) 1957 में स्थापित किया गया था।

(ग) वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख रुपये है ।

(घ) इसके कार्यकलापों से राज्यों तथा मुख्य संघराज्य क्षेत्रों में नगर आयोजना संगठनों की स्थापना हुई है तथा कई राज्यों में नगरीय विकास पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए गए है। इस संगठन की सहायता से समस्त देश में 500 से अधिक मास्टर प्लाने/विकास योजनाएं तैयार की गई है। इस संगठन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों के लिए विशिष्ट नगर आयोजना प्रोजेक्ट वास्तविक कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए है तथा तकनीकि मार्गदर्शन के लिए कई गाईडे तथा मैनुअल भी बनाई गई है।

संघ राज्य क्षेत्र इस संगठन के विशिष्ट उत्तरदायित्व है। इस संगठन ने दिल्ली के लिए बृहत योजना तथा आंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली तथा गोआ, दमण व दीव के लिए क्षेत्रीय योजनाएं भी बनाई हैं।

बटर आयल का गरीब लोगों में वितरण

2561. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बटर आयल जनता के के लिए निशुल्क उपहार स्वरूप दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसे 17 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रदर्शित इस सहभावना का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए इसे देश के गरीब लोगों को राशन कार्डों पर सस्ती दर पर बेचने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत को बटर आयल इस शर्त पर उपहारस्वरूप दिया था कि बटर आयल की बिक्री से प्राप्त धनराशि देश के डेरी विकास कार्यक्रमों के उपयोग में लाई जाएगी।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बिक्री मूल्य से देश में घी के उत्पादन तथा इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, बटर आयल का मूल्य 17 रूपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है, जो उचित समझा गया है ।

(ग) गरीब लोगों को सस्ती दर पर राशन कार्डों पर बटर आयल बेचने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पश्चिम बंगाल के लिये योजनाएं

2562. **श्री रोबिन सेन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के आई० ए० डब्ल्यु० विभाग ने आपके मंत्रालय के विचारार्थ और स्वीकृति के लिए कोई योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जल आयोग को पश्चिम बंगाल से दो बृहद् और पन्द्रह मध्यम सिंचाई स्कीमों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इन स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

(ग) जहां तक तिलाबानी पर अजय बांध की रिपोर्ट का संबंध है, राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक मध्यम सिंचाई स्कीमों का संबंध है, राज्य सरकार को 12 स्कीमों के बारे में टिप्पणियां भेजी गई हैं और राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य बृहद् परियोजना अर्थात् अपर कंग्सवती और तीन मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

विवरण

नई स्कीमें

बृहद् स्कीमें

1. तिलाबानी में अजय बांध
2. अपर कंग्सवती (पुरुलिया और बांकुरा)

मध्यम स्कीमें

1. गजल लिफ्ट स्कीम (माल्दा)
2. बंधु विस्तार (पुरुलिया)
3. रेल्ली खोला (दार्जिलिंग)
4. जलमार्गों का निर्माण (डी० बी० सी०)
5. सिंचाई प्रणाली का विस्तार और सुधार (डी० बी० सी०)
6. साल्दा (पुरुलिया)

7. कैरावरा (पुरुलिया)
8. दीमू (पुरुलिया)
9. कारु (पुरुलिया)
10. पुतियारी (पुरुलिया)
11. मयूराक्षी नदी प्रणाली की लाइनिंग
12. हरई सिंचाई स्कीम (पुरुलिया)
13. जरदा सिंचाई स्कीम (जलपाईगुड़ी)
14. कुमारी नदी की सहायक नदी पर सिंचाई स्कीम (पुरुलिया)
15. कुस्करनी सिंचाई स्कीम (बीरभूम)

सरकारी कृषि फार्म में धान का उत्पादन

2563. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कृषि फार्मों में धान उपजा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) धान की प्रति क्विंटल कीमत कितनी है ; और

(घ) सरकार किसानों से किस भाव पर धान खरीदती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । भारतीय राज्य फार्म निगम विभिन्न फार्मों में धान का उत्पादन करता है ।

(ख)

वर्ष (जुलाई-जून)	बोया गया क्षेत्र (हेक्टार)	उत्पादन (क्विंटल)	प्रति हेक्टार औसत उत्पादन (क्विंटल)
1976 . .	3280	118662	36.19
‡1977 . .	3407	123500	36.25

‡अनन्तिम

(ग) भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्म मुख्यतः बीजों के लिए धान उगाते हैं जिसकी लागत 79.38 रुपए प्रति क्विंटल पड़ती है ।

(घ) धान की मोटी किस्म का अधिप्राप्ति मूल्य वर्ष 1977–78 के विपणन के मौसम में 77 रुपए प्रति क्विंटल है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्या

2564. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की शष समस्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अन्य राज्यों की सरकारों से, जो पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रही है, कोई शिकायते/प्रतिवेदन/ज्ञापन/अनुरोध मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार ने कोई परामर्श किया है या करेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) : जी, हां । इस समय कुल 9749 परिवार हैं जिनका पुनर्वास किया जाना है । तयार की गई योजनाओं के अनुसार, इन सभी परिवारों को 1982-83 तक पुनर्वास दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) : भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को केवल पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों से पत्र प्राप्त हुए है । पश्चिमी बंगाल सरकार के पत्र में वर्णित विषय के बारे में जानकारी 21-11-1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1119 के उत्तर में पहले ही सभा की मेज पर रखी जा चुकी है । त्रिपुरा सरकार ने अपने पत्र में, बुनकरों और रेशम उत्पादन; लघु उद्योग स्थापित करने; स्थायी दायित्व गृहों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने शिविरों से निकाले गए परिवारों आदि को पुनर्वास सहायता के सम्बन्ध में योजना चालू करके प्रवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में मुद्दे उठाए है। चूंकी प्रस्ताव में पहले छोड़कर चले गए परिवारो को भी वित्तिय सहायता देना शामिल है, इसलिए यह परीक्षाधीन है ।

(ङ) और (च) : भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास योजनाएं/कार्यक्रम सदैव सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की जाती हैं ।

Setting up of University at Chhota Nagpur

†2565. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Universities have been set up in all Divisions in Bihar;

(b) whether Northern Chhota Nagpur Division is the most backward area where 95 per cent persons belonging to Adivasi and Backward Castes are living;

(c) whether Government propose to have a "Chhota Nagpur University" set up by the University Grants Commission to impart higher education to backward people of the Division; and

(d) if so, whether "Ramgarh Prasad Padma" situated in the heart of a scenic forestry near the "National Forest" Hazaribagh, will be accepted as a free gift and if so, by what time?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander): (a) Universities are established by the State Governments and generally they are not set up for each Division in a State.

(b) The Chhota Nagpur area has been identified by the State Government as a backward area.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय बीज निगम

2566. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के राष्ट्रीय बीज निगम में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं और उनमें से कितने हरिजन और आदिवासी हैं और हरिजन तथा आदिवासी कर्मचारियों का उसके कुल कर्मचारियों की तुलना में क्या अनुपात है ; और

(ख) इस बीज निगम में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और उनमें हरिजनों आदिवासी कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) (1) 31-12-1977 को अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या 1146

(2) हरिजनों/आदिवासियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या 142

(3) अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या में हरिजनों/आदिवासियों की प्रतिशतता . . . . 12.40 प्रतिशत

(ख) (1) निगम की स्थापना की तारीख से दिसम्बर, 1977 के अंत तक पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या . 617

(2) उपर्युक्त (1) में से पदोन्नत किए गए हरिजनों/आदिवासियों की संख्या 52

(3) पदोन्नत हरिजनों/आदिवासियों की प्रतिशतता . . 8.4 प्रतिशत

तिलहन तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिये दुहरी फसल योजना

2597. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि योग्य भूमि संबंधी छोटी सिंचाई और बहुत छोटी सिंचाई योजना के लिए सरकार का विस्तृत कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फसल के लिए सिंचाई मुख्य साधन है ;

(ग) पूरे वर्ष लगभग 30 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि का पूर्णतया उपयोग करने के लिए सरकार का कोई दुहरी फसल और इससे अधिक फसलों संबंधी योजना कार्यक्रम है ; और

(घ) क्या सरकार अल्पावधि में कृषि क्रांति लाना चाहती है जिससे खाद्यान्न और तिलहन के मामले में देश पूर्णतया आत्म निर्भर बन सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आगामी योजना, अर्थात् 1978–79 से 1983–84 तक, के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं (जिस में छोटी सिंचाई तथा बहुत छोटी सिंचाई योजनाएं भी शामिल होंगी) के द्वारा 90 लाख हैक्टार की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) 1973–74 दौरान बोया गया निवल क्षेत्र 1427.6 लाख हैक्टार था तथा फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 1691 लाख हैक्टार था। सिंचाई तथा अन्य उपायों के फल स्वरूप, मुख्यतः बहु फसल के अन्तर्गत क्षेत्रों के बढ़ जाने से 2000 इसवी में फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 2000 लाख हैक्टार तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

(घ) अल्पावधि में खाद्यान्न और तिलहन के मामले में देश को पूर्णतया आत्म निर्भर बनाने के लिए उपाय करने पर अधिकतम बल दिया जा रहा है।

सरकारी आवासों के किराये

2569. **श्री वसन्त साठे :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में सरकारी आवासों के स्टैण्डर्ड किराये को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विभिन्न टाइप के क्वार्टरों/बंगलों के स्टैण्डर्ड किराय कितने बढ़ाये जाएंगे ;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्वार्टरों/बंगलों में सप्लाई किए गए फर्नीचर के लिये जाने वाले किराये को युक्तिसंगत बनाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि 1-4-1978 से मूल नियम 45-ए० के अधीन सरकारी मकानों की लाइसेंस फीस का हिसाब लगाते समय भूमि की लागत तथा इसके विकास के व्यय को भी ध्यान में रखा जाएगा।

इस संबंध में लाइसेंस फीस में वृद्धि कूटीर वास के लिए 11 प्रतिशत, टाइप–II से IV तक के निवासों के लिए 8 प्रतिशत तथा टाइप V से टाइप VIIi तक के निवासों के लिए 9 प्रतिशत किए जाने की आशा है टाइप I के निवासों के लिए वृद्धि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) : सरकारी क्वार्टरों/बंगलों में फर्नीचर के लिए लिया जा रहा किराया पहले ही तर्कसंगत आधार पर है।

बम्बई को जल की सप्लाई

2570. **डा० बापु कालदाते** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर को जल की सप्लाई में वृद्धि करने की योजना है ;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा जिस ऋण का आश्वासन दिया गया था वह ऋण महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना प्रतिवेदन सप्लाई करने में विलम्ब के कारण व्यपगत हो गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारें में पुनः कोई प्रयास किए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बात) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यमनापार पुनर्वास बस्तियों को बिजली के कनेक्शन

2571. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1977 में यमुनापार की डी० डी० ए० की पुनर्वास बस्तियों में विशेषकर खिचडीपुर, कल्याणपुरी तथा त्रीलोकपुरी में बिजली के कनेक्शन देने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या इन कनेक्शनों के लिए सरकार को प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 40 रुपये की जमा राशि सहित कुछ आवेदन पत्रों की प्राप्ति हुई है ;

(ग) क्या ये आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पिछले ग्यारह महीनों से अभी तक विचाराधीन पडे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन निवासियों को बिजली की सप्लाई के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस बात का पता लगाने के लिए विभिन्न आवेदकों से आवेदन पत्र लेना आरम्भ कर दिया है कि कितने निवासी निजी बिजली के कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं। आवेदन बहुत कम आए और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से इस कार्य को करना लाभदायक नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए ।

(घ) इस परियोजना की वित्त व्यवस्था के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

गन्ने की बकाया राशि

2572. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिल मालिकों पर उत्पादकों के गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि करोड़ों रुपए जमा हो गई हैं, यदि हां, तो स्थिति का कारखानावार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली में हाल ही में हुई भारतीय गन्ना विकास परिषद की ग्यारहवी बैठक में गन्ना उत्पादकों द्वारा की गई इस मांग की ओर दिलाया गया है कि गन्ने के मूल्यों का देरी से भुगतान करने की दोषी मिलों पर जुर्माना किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बकाया राशि का शीघ्रता से भुगतान करवाने के बारें क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने के स्थान पर किसी अन्य फसल के उगाने से रोका जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। 1977-78 मौसम के लिए चीनी फैक्ट्रियों को सप्लाई किए गए गन्ने के लिए गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि 15-2-78 को 80.40 करोड़ रुपये बैठती है जबकि गन्ने के मूल्य की कुल देय राशि 332.01 करोड़ रुपये थी। 15-2-78 को गन्ने के बकायों की प्रतिशतता 24.2 बैठती है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1977-78 के दौरान 15-2-78 तक खरीदे गए गन्ने तथा पिछले मौसमों के लिए 15-2-78 तक गन्ने के मूल्य के बकायों की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा दिया है (परिशिष्ट-I) गन्ने के बकायों के फैक्ट्रीवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) नई दिल्ली में 6 फरवरी, 1978 को हुई भारतीय गन्ना विकास परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के दौरान ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था कि गन्ने के मूल्यों का विलम्ब से भुगतान करने के लिए चूक कर्ता मिल को कोई सजा दी जाए

तथापि, श्री एच० एस० संधु, अध्यक्ष, भारतीय गन्ना विकास परिषद ने अपने भाषण में सुझाव दिया था कि जो चीनी फैक्ट्रियां गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में गन्ना उत्पादकों द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने की तारीख से एक सप्ताह से अधिक समय लेती हैं, उनको राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सख़्त सजा दी जानी चाहिए। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में सप्लाई की तारीख से 14 दिनों में भुगतान करने की अनुमति है। इस अवधि से अधिक विलम्ब होने पर फैक्ट्री को 15 % की दर पर ब्याज देना पड़ेगा और उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जायगा।

(ग) एक और विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-II) जिसमें बकायों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1784/78]

विश्व हाकी कप के लिये भारतीय टीम का चयन

2573. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हाकी कप के लिये चुनी गई भारतीय हाकी टीम उनके विचार से सर्वश्रेष्ठ है ;

(ख) अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने इस बारे में इंडियन हाकी फेडरेशन को क्या सुझाव दिये है ;

(ग) क्या इंडियन हाकी फेडरेशन ने उक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम भेजी जाय ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारतीय हाकी संघ के अनुसार, इसके द्वारा चुनी गई टीम में देश के सर्वोत्तम खिलाड़ी होते हैं।

(ख) और (ग) : 5 दिसम्बर, 1977 को हुई अपनी बैठक में अखिल भारतीय खेल परिषद् की कार्यकारी समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय हाकी संघ के निमन्त्रण पर, नवम्बर, 1977 में प्रशिक्षण शिबिर, पटियाला में रिपोर्ट करने के तुरन्त बाद खिलाड़ियों में से दो को / भारतीय हाकी संघ द्वारा निकाला जाना न तो अनुशासन के अनुकूल था और न ही खिलाड़ियों के प्रति उचित। उसने भारतीय हाकी संघ को परिस्थिति पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया ताकि भारतीय हाकी के हित में उस विवाद का समाधान किया जा सके। तथापि, भारतीय हाकी संघ ने इस सुझाव को नहीं माना। परन्तु तत्पश्चात् फरवरी, 1978 में, भारत-पाकिस्तान टैस्ट सीरीज़ में इस टीम के खेल को देखने के बाद, उसने अपनी मर्जी से टीम में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

(घ) विश्व कप हाकी चैम्पीयनशीप में भाग लेने के लिए, भारतीय टीम का चयन करने में, सरकार ने न तो हस्तक्षेप किया है और न ही हस्तक्षेप करने का उसका विचार है क्योंकि यह मामला पूरी तरह भारतीय हाकी संघ के अधिकार क्षेत्र में है।

दण्डकारण्य (मध्य प्रदेश) के विस्थापित हुए बंगला देश के शरणार्थियों का पुनर्वास

2574. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य, मध्य प्रदेश में पुनर्वासित बंगला देश के बहुत से शरणार्थी एक बार फिर शरणार्थी हो गये हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री ने उन्हें यह वचन देते हुए उस राज्य में आ जाने को आमंत्रित किया है कि उन्हें भूमि तथा धन दिया जायेगा और ऐसे कुछ परिवार पहले ही कलकत्ता जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य अधिकारियों द्वारा उन्हें भूमि तथा अन्य पुनर्वास-सहायता से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं और इन लोगों के पश्चिम बंगाल चले जाने के लिये वहां के स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं ; और

(ग) इन शरणार्थियों को बंगला देश में उनके कुल निवास वापस दिलवाने अथवा उन्हें भारत के किसी अन्य भाग में इस तरह पुनर्वासित करने के लिए जिनमें कि उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा मिले, सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) स्वार्थी लोगों द्वारा किए गए इस प्रचार के बहकावे में आकर कि सुन्दरवन/पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की गुंजाइश है, बहुत से विस्थापित व्यक्ति परिवार 24-2-1978 से अब तक पश्चिमी बंगाल में गन्तव्य स्थानों में जाने के लिए दण्डकारण्य छोड़ कर चले गए हैं। भारत सरकार को इस की जानकारी नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के एक मंत्री ने इन विस्थापित व्यक्तियों को अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि शरणार्थियों के स्वैच्छा से छोड़कर जाने के कारण, भूमि और पुनर्वास सहायता से अपने को वंचित कर लिया है। उड़ीसा सरकार और परियोजना प्राधिकारियों से की गई पूछताछ से पता चलता है कि स्थानीय लोगों पर तंग करने के लगाए गए आरोप निराधार हैं।

(ग) बंगला देश में उनके मूल निवास वापस दिलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में उन्हें पुनर्वास देने के लिए दृढ़ है।

जोंक नदी पर पटोरा में बांध

2575. **श्री एन्थू साहू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटोरा गांव में जोंक नदी पर बांध का निर्माण करने का है जिससे मध्य प्रदेश में रायपुर और उड़ीसा में कालाहांड़ी जिले के नावा पाड़ा सब-डिवीजन में सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है क्योंकि उसका संबंध दो राज्यों के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों से है ?

7—61 L.S.S. (N.D.)/78

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार का अपना क्षेत्र मे सिंचाई प्रदान करने के लिए पटोरा गांव के निकट जोंक नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में इस बांध से सिंचाई का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस सबंध में उनके द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

खिलाड़ियों के लिय राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान

2576. **श्री सौगत राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे देश में होनहार जूनियर खिलाड़ियो को विशेषकर क्रिकेट, हाकी और फुटबाल में राष्ट्रीय स्तर पर नियमित कोचिंग आदि देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार हमारे देश में खेल-कूद के विकास हेतु एक स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण करने और समान नीतियां/कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न खेलकूद निकायों/मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जा, नहीं। तथापि, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, बंगलौर में अपने एक दूसरे कैम्पस और देश के विभिन्न भागों में 23 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो में क्रिकेट, हाकी और फुटबाल सहित 16 खेलो में पहले से ही प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका की मारकीटों में दुकानों के आगे किराये पर दिया जाना

2577. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में नई दिल्ली नगरपालिका की मारकिटो में बड़ी संख्या में दुकाने गैर कानूनी तौर पर आगे किराये पर दे दी गई हैं और अब उन पर गैर अलाटियों का कब्जा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन दुकानों को वर्तमान अनधिकृत कब्जाधारियों के नाम स्थानान्तरित करने या उनसे दुकानों को खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। राजपद के दक्षिण में स्थित नई दिल्ली नगरपालिका मार्कीटों की 62 दुकानों में उप-किरायदारो तथा गैर आवंटियों के दखल की सूचना मिली है।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. पृथ्वीराज मार्किट	5 दुकानें
2. पंडारा रोड मार्किट	5 दुकानें
3. सेन्ट्रल मार्किट किदवई नगर	11 दुकाने
4. सब्जी मार्किट, किदवई नगर	1 दुकान
5. साउथ मार्किट, किदवई नगर	2 दुकानें
6. नारोजी नगर मार्किट	2 दुकानें
7. अलीगंज मार्किट	1 दुकान
8. लक्ष्मीबाई नगर मार्किट	7 दुकानें
9. नेताजी नगर मार्किट	8 दुकानें
10. बसरूकर मार्किट	4 दुकानें
11. बंगम जैदी मार्किट	5 दुकानें
12. लोधी रोड मार्किट	11 दुकानें
	62 दुकानें

(ग) जो उप किरायेदार आवंटन अपने नाम नियमित नहीं करवाना चाहते उन्हें बदखल करने तथा जो उप किरायेदार आवंटन अपने नाम नियमित करवाने के लिए अनुरोध करते हैं उनके नाम आवंटन, समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार नियमित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नही उठता।

सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को धन दिया जाना

2578. **श्री रणजीत सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न राज्यों में सिंचाई योजनाओं को (बड़ी और छोटी) क्रियान्विति की ओर अधिक ध्यान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कन्द्र द्वारा गत वर्ष की तुलना में विभिन्न राज्यों को अधिक धनराशि उपलब्ध की गई थी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विकास शीर्ष अथवा स्कीम के साथ जुड़ी नहीं होती। किन्तु चुनी हुई बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से 1975-76 से 1977-78 तक

के वर्षों में अग्रिम योजना सहायता के रूप में अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गयी। 1975-76 और 1976-77 के दौरान दी गई अग्रिम सहायता योजना का राज्यवार ब्यौरा तथा 1977-78 में स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1975-76 से 1977-78 के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय (अग्रिम योजना सहायता)

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78	लघु
		वास्तविक दी गई राशि	स्वीकृत राशि बृहद और मध्यम	
आन्ध्र प्रदेश	5.00	0.75	3.00	
बिहार	5.00	3.00	7.20	
गुजरात	7.30	3.00	11.00	
हरियाणा	5.00	6.50	6.00	
जम्मू और कश्मीर	0.75	—	—	
कर्नाटक	2.15	3.55	11.00	2.00
केरल	2.10	2.50	5.00	1.00
मध्य प्रदेश	—	1.75	11.00	2.00
महाराष्ट्र	5.50	3.85	15.00	2.00
उड़ीसा	1.00	2.00	4.00	1.00
पंजाब	—	1.50	8.00	
राजस्थान	6.00	3.00	7.30	
तमिलनाडु	—	—	शून्य	
उत्तर प्रदेश	15.00	8.00	6.50	
पश्चिम बंगाल	1.00	0.50	5.00	0.50
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	0.50
कुल जोड़	55.80	39.90	100.00	9.00

Higher Secondary Examination in various States

†2579. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the name of the examination which is treated at par with Higher Secondary Examination in Central Government Institutions/Ministries;

(b) the name of the examination which is treated at par with Higher Secondary Examination in the States where there is no provision for Higher Secondary examination; and

(c) the names of Ministries/Government aided autonomous bodies in which examination of Uttar Pradesh Board, Bihar Board and such other Boards of the States is not treated at par with Higher Secondary examination?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a) For purposes of employment under the Central Government, the 11-year higher secondary course and the 12-year Intermediate course is treated as equivalent to higher secondary course of 12 years under the 10+2 pattern of school education.

(b) According to available information States which do not have higher secondary system have either the Intermediate, Pre-University or Pre-Degree system. It is within the competence of the various States to determine equivalence of these examinations vis-a-vis higher secondary examination.

(c) Ministries as well as autonomous bodies of the Government of India accept the equivalence as given in answer to part (a) of the Question.

चिन्ना मुट्टम में मत्स्य पत्तन

2580. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी के निकट चिन्ना मुट्टम में एक मत्स्य पत्तन स्थापित करने के बारे में जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या सरकार को व्यवहार्यता प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य का कार्यान्वयन कब आरम्भ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निवेश संबंधी निर्णय करने से पूर्व परियोजना के संबध में कुछ अतिरिक्त आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित चीनी के लिये अधिक लेवी मूल्य

2581. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित चीनी के लिये अधिक लवी मूल्य के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में लेवी चीनी के मूल्यों में संशोधन किया गया है और सभी जोनों में मूल्यों को बढ़ा दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश जोन में मूल्य को 141.96 रुपये प्रति

क्विंटल से बढ़ाकर 159.99 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है (डी-29 ग्रेड के लिए) अर्थात् 18.03 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

मध्य प्रदेश में पेय जल योजना के लिए मंजूर किये गये अनुदान का व्यपगत होना

2582. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पेय जल योजना के लिए स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण का अभी तग पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप 2.5 करोड़ रुपये की राशि व्यपगत हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा केन्द्र ने धनराशि का समय पर उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विती और स्वीकृत पूंजी के निवेश में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के समस्याग्रस्त ग्रामों में साफ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान 250 लाख रुपये शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में (न कि ब्याज मुक्त ऋण) दिए गए थे। इस राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन समस्याग्रस्त ग्रामों की ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन/पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 1978 के अन्त तक 57.277 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों के व्यक्तिगत सम्पर्क से राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अधीन दी गई केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपयोग करने के लिए अपने तंत्र को कारगर कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल

2583. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में (1977-78 में) पेय जल की सुविधायें बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता की शर्तें क्या हैं और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों को इस प्रयोजन हेतु दिए गए धन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में निर्धारित अवधि में पेय जल की सुविधायें बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं के बारे में तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सभी राज्य 31 मार्च, 1978 तक अपनी अपनी योजनाएं पूरी कर सकेंगे ; और

(ङ) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम इसी वर्ष चलाया गया है जिसके अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों को साफ पीने का पानी मुहैया करने के लिए 1977-78 के दौरान राज्यों/संघ राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान सहायता दी जा रही है जहां जल का स्रोत 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर है या जहां हैजा आदि जैसे पानी से पैदा होने वाले संक्रामक रोग हैं अथवा जहां पानी में लोहा; क्लोराइड या फ्लोराइड जसे विषैल दूषित तत्व घुले हुए हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों को दी जाने वाली निधियां इस प्रकार हैं :—

राज्य/संघराज्य का नाम	दी गई निधियां (लाख रुपयों में)
1. असम	57.60
2. आन्ध्र प्रदेश	152.30
3. बिहार	242.80
4. गुजरात	312.80
5. हरियाणा	142.10
6. हिमाचल प्रदेश	202.60
7. जम्मु तथा कश्मीर	152.80
9. कर्नाटक	142.30
9. केरल	102.00
10. मध्य प्रदेश	252.80
11. महाराष्ट्र	292.80
12. मणिपुर	52.50
13. मघालय	57.50
14. नागालैण्ड	77.50
15. उड़ीसा	182.80
16. पंजाब	102.10
17. राजस्थान	252.30
18. सिक्किम	36.50
19. तमिलनाडु	217.30
20. त्रिपुरा	80.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80
22. पश्चिम बंगाल	242.80

राज्य/संघराज्य का नाम	दी गई निधियां (लाख रुपयों में)
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	20.00
2. अरुणाचल प्रदेश	20.00
3. दिल्ली	10.00
4. गोवा, दमण तथा दीव	10.00
5. मिजोरम	15.00
6. पाण्डिचेरी	10.00
	3792.50

(ग), (घ) तथा (ङ) : विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों में मार्च, 1978 की समाप्ति तक लगभग 4600 समस्याग्रस्त गांवों को इस नये केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की आशा है। 5-6 वर्षों में लगभग 1.13 लाख (71-72 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार) सभी समस्याग्रस्त गांवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का विचार है।

प्रमुख नगरों में "काल गर्ल्स" गिरोह

2584. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के प्रमुख नगरों में प्रवृत्त "काल गर्ल्स" गिरोह एवं समाज पर उसके प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि यह बुराई किस सीमा तक फैली हुई है और इस व्यापार के लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक कारणों का विश्लेषण करने के लिए सरकार का विचार कोई अध्ययन करने का है; और

(ग) इस व्यवसाय को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) यद्यपि सरकार को इस बुराई का पता है तो भी "काल-गर्ल्स" गिरोह के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) समय-समय पर व्यक्तियों और समितियों द्वारा इस समस्या के संबंध में कुछ अध्ययन किए गए हैं। स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनयम, 1956 को लागू किए जाने के साथ ही वेश्यावृत्ति की बुराई को उसके सभी वाणिज्य रूपों के साथ निषिद्ध कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 का लागू करण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करती रही है । इस कानून को और कारगर बनाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

Government Accommodation

2585. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employees on waiting list in the various types of accommodation at present;

(b) the time by which all these employees are proposed to be provided with residential accommodation; and

(c) the additional number of quarters constructed for Government employees during 1976-77 and 1977-78 ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Applications for allotment of general pool accommodation in Delhi/New Delhi were invited during 1974 on a restricted basis. The number of employees who were included in the waiting list prepared by the Directorate of Estates and who are yet to get allotment is given below type-wise :—

Type	
I	1,445
II	2,030
III	1,456
IV	546
V	512
VI	279
VII	79
VIII	34
	329
Hostel	
Total	6,710

(b) It is not possible to indicate a firm date.

(c) The number of General Pool quarters constructed in Delhi/New Delhi during 1976-77 and 1977-78 (upto January, 1978) are 228 and 581 respectively.

लारेंस रोड, दिल्ली स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का रख-रखाव

2586. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लारेंस रोड में चार पांच साल पहले बनाये गए डी० डी० ए० के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की हालत टूटी फूटी है और उनके पलस्तर उतर रहे हैं छतें चू रही और प्रत्येक फ्लैट में सीलन है जिसके परिणाम स्वरूप फ्लैट जीर्णशीर्ण दिखाई देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन फ्लैटों में पिछले चार सालों से सफेदी नहीं की गई है और यदि हां, तो इन फ्लैटों के साझे के हिस्सों में किस प्रकार सफेदी किए जाने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री) सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उनके कार्यालय में ऐसी कोई सूचना दर्ज नहीं की गई है । किन्तु कुछ स्थानों पररेत में क्षार होने के कारण दीवारों से पलस्तर गिरता हुआ देखा गया है ।

(ख) आबंटन के छः महीने की अवधि के अन्तर्गत जो भी कमियां बताई जाती हैं उन्हें प्रचलित पद्धति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण दूर करता है । अन्यथा अन्य कमियां आबंटी ही स्वयं दूर करते हैं सिवाये ऐसे शामिलात के स्थान की कमी को जिसे पंजीकृत अभिकरण पूरा करते हैं ।

(ग) सफेदी प्रत्येक आबंटी को स्वयं करानी होती है । शमिलात स्थानों की सफेदी वहां के निवासियों द्वारा निर्वाचित पंजीकृत कल्याण समितियों द्वारा की जानी है ।

लोनी रोड, दिल्ली के प्लाट होल्डरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक स्थान दिया जाना

2587. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बीच लोनी में भूमि के प्लाटों के अलाटियों को वैकल्पिक स्थान देने का निर्णय कर लिया है जहां भूमि पर अभी भी विवाद चल रहा है;

(ख) जिन एलाटियों ने वैकल्पिक स्थानों के लिए आवेदन दिया था वे कितने हैं;

(क) क्या ये एलाटी वैकल्पिक स्थान के लिए अतिरिक्त खर्चा देने और रजिस्ट्री के लिए और खर्चा देने के लिए सहमत हो गए हैं यद्यपि एक बार लोनी रोड स्थित प्लाटों के लिए ये खर्चे दे चुके हैं;

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय करने में क्या कठिनाई है;

(ङ) क्या कोई व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति निर्णय करने में विलम्ब के उत्तरदायी हैं; यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उनसे तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों से इन एलाटियों के प्रतिनिधि कितनी बार मिले और उनको क्या आश्वासन दिए गए ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) 7-3-78 तक 189 आवंटियों ने आवेदन किया ।

(ग) जी, नहीं । पंजीकरण शुल्क और अतिरिक्त लागत की अदायगी के संबंध में किसी घोषणा की मांग नहीं की गई है ।

(घ) 1000 प्लाट उपलब्ध हो चुके हैं और 1000 अतिरिक्त प्लाट काटने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ङ) उच्च-न्यायालय द्वारा स्थगत आदेश को रद्द करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । चूंकि इसमें सफलता नहीं मिली है, अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लाटों के वैकल्पिक आबंटन का प्रबंध कर रहा है ।

(च) मिलने का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है । किन्तु अब कभी लोनी रोड प्लाट के आबंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मिले हैं तो उन्हें उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया ।

विष-विज्ञान-विषयक अध्ययन के लिये संस्थान

2588. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विष-विज्ञान-विषय अध्ययन करने की सुविधा वाले संस्थानों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कीड़ों को विशेष जातियों पर कीटनाशी पदार्थों का परीक्षण करने के लिए वे कितने पैसे लेते हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय कीटनाशी पदार्थ बोर्ड की पंजीकरण समिति ने पंजीकरण के लिए कोई मानक सूत्र निर्धारित किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में विष-विज्ञान-विषयक जांच (न कि टोक्सोलोनिकल—जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) करने लिए उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं/विशेषज्ञता के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, कृषि मंत्रालय और कृमिनाशी दवा उद्योग के एक संयुक्त दल ने कृमिनाशी दवाइयों की विष-विज्ञान-विषयक जांच करने के लिए कृमिनाशी दवाइयों पर विष के विज्ञान संबंधी परीक्षणों में रत पांच सार्वजनिक क्षेत्र की और तीन निजी क्षेत्र की प्रमुख प्रयोगशालाओं का पता लगाया है । जांच के प्रकार और संख्या व खोज करने वाली प्रयोगशाला के आधार पर शुल्क में 1,000 रुपयों से 60,000 रुपयों के बीच अंतर होता है ।

(ख) जी, हां ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्रों में रोष

2589. **श्री के० ए० राजन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1978 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे इस आशय के समाचार की ओर गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और

शोध छात्रों में कुछ विभागों द्वारा क्षेत्र-अनुदान खर्च करने के तरीके के बारे में व्यापक रूप से रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार न्यूज रिपोर्ट वास्तव में सही नहीं है। चीनी तथा जापानी अध्ययन विभाग के अध्यापकों और अनुसंधान अध्येताओं ने 30 जनवरी, 1978 को बैठक में सर्वसम्मति से पारित एक संकल्प द्वारा न्यूज रिपोर्ट का खण्डन किया है। चीनी तथा जापानी अध्ययन विभागाध्यक्ष ने भी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दिया, जो 8 फरवरी, 1978 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है।

Irrigation Scheme from Bihar

2590. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received a comprehensive irrigation scheme from Government of Bihar;

(b) if so, the action being taken by Government thereon;

(c) whether it is a fact that Bihar is the most economically backward State in the country ant its condition in the matter of irrigation also is very unsatisfactory ; and

(e) whether keeping in view the above facts, Government propose to help the Government of Bihar and if so, to what extent?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) : No comprehensive scheme has been received from the Government of Bihar.

(c) & (d) : The percentage of gross irrigated area to gross cultivated area in the State of Bihar in 1974-75 was 28.1 compared to 25.4 for the country as a whole. Efforts are continuously being made to increase the coverage of irrigation through major, medium and minor irrigation schemes. With a view to accelerate the progress on certain on-going Major and medium schemes as well as for making start on such new schemes in the State, Advance Plan Assistance of Rs. 15.20 crores was sanctioned by Government of India from 1975-76 to 1977-78.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को अदा की गई राशियां

2591. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 1977 के पश्चात् विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारी धनराशियां वितरित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई;

(ग) प्रत्येक विश्वविद्यालय के कितने अध्यापकों की उपरोक्त अवधि में यह राशि दी गई ;

(घ) प्रत्येक विश्वविद्यालय को उपरोक्त अवधि में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई;

(ङ) क्या अध्यापकों से योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(च) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (च) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग द्वारा अगस्त 1977 के बाद ऐसी कोई नई योजनाएं शुरू नहीं की गई थीं जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को बड़ी मात्रा में धनराशियां वितरित की जाती हों। तथापि, आयोग पिछले कई वर्षों से विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिनके अन्तर्गत आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान, अध्यापकों को अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने के प्रयोजन के लिये होते हैं। इन कार्यक्रमों में, विज्ञान के बड़े, छोटे और अल्पकालिक अनुसंधान कार्यक्रम; उच्च अनुसंधान अथवा मानविकों तथा सामाजिक विज्ञानों में अल्पकालिक परियोजना के लिए सहयोग, राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों एसोशिएटशिप, अनुसंधान एसोसिएट शिप प्रदान करना और विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने आदि के लिये अनुदान देना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत समय-समय पर विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उनपर विशेषज्ञ पेनलों, समितियों इत्यादि की सिफारिशों/सलाह पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है। अगस्त, 1977 से आयोग ने 74 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली 3 संस्थाओं को जिनमें लगभग 736 अध्यापक शामिल हैं, विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये लगभग 1,03,50,000/— रुपये वितरित किए हैं। इसी तरह, शिक्षावृत्ति/ एसोसिएटशिप और पुस्तकें तैयार करने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, अगस्त 1977 के बाद से लगभग 4,92,600 /- रुपये के अनुदान दिए गए हैं जो 57 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली 3 संस्थाओं में 149 अध्यापकों के बारे में है।

बाघों और सिंहों की संख्या

2592. **श्री दुर्गा चन्द :**
श्री धर्म सिंह भाई पटेल :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में बाघ और अन्य प्राणियों के परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस समय देश में सिंहों और बाघों की पृथक् पृथक् कुल कितनी संख्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:—

1. वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को बनाकर जिसे जम्मू तथा कश्मीर और नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों ने अपना लिया है, बाघों सहित खतरे में पड़ी हुई सभी जातियों को शिकार से विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है । अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए सख्त सजा की व्यवस्था की गई है ।

2. खतरे में पड़ी हुई अधिकांश जातियों के निर्यात व्यापार पर विशेषकर उस समय से नियंत्रण लगा लिया गया है, जब भारत ने 1976 में वन्य जीवजन्तु तथा वनस्पति की खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक सम्मेलन में भाग लिया था ।

3. बड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय स्थलों के रूप में परिवर्तित करके प्राकृतिक वास स्थलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिनमें वन्य प्राणियों का अभ्युदय हो सकता है । इन स्थानों पर वन्य प्राणियों को हर सम्भव संरक्षण प्रदान किया जा रहा है । खतरे में पड़ी हुई इस जाति की संरक्षण प्रदान करने के लिए दस चुने हुए वास स्थलों में "प्रोजेक्ट टाइगर" शुरु किया गया है ।

4. आश्रय स्थलों, राष्ट्रीय पार्कों तथा अन्य वन्य प्राणि क्षेत्रों का प्रभावी व वैज्ञानिक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों में पृथक वन्य प्राणि स्कंध स्थापित किए जा रहे हैं ।

(ग) अनुमान है कि देश में शेरों तथा बाघों की संख्या क्रमशः 180 और 2202 है । शेरों की अंतिम संगणना 1974 में की गई थी और ये गिर के वनों में ही पाए जाते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना के पास अतिविशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत दूध के टोकन के लिय आवेदन पत्र

2593. श्री दुर्गा चन्द : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च 1976 को दूध टोकनों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पास अतिविशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत कितने आवदन-पत्र दर्ज थे;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने 1 मार्च 1976 को अतिविशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज आवेदन-पत्रों पर अब तक दूध के कितने टोकन जारी कर दिय हैं और उस श्रेणी के अन्तर्गत शेष आवेदन-पत्रों का निपटारा न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत शेष आवदन-पत्रों का कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध के टोकनों के लिए नय आवेदन-पत्र नही ले रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है और नये आवदन-पत्र कब तक लेने का विचार है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) 4206 ।

(ख) 4206 । इस श्रेणी में कोई भी आवेदन-पत्र निपटान के लिए नही है ।

(ग) (ख) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न हो नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली दुग्ध पोजना ने पहले ही से अपना दुग्ध वितरण का इष्टतम स्तर प्राप्त कर लिया है । क्योंकि दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र की मौजुदा अधिष्टापित क्षमता को बढाने की कोई गंजाइश नहीं है अत: दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टाकनो को जारी करने के लिये नये आवेदन पत्रों का पंजोयन संभव नहीं होगा ।

उड़ीसा कृषि और सिचाई योजना

2594. श्री पद्माचरण सामन्त सिन्हेरा : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोई कृषि सिचाई विकास परियोजना (योजना) हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रारम्भ की गई थी और कहां पर है;

(ग) परियोजना के व्यय के लिए वर्षवार कितनी धनराशि उपलब्ध की गई;

(घ) यदि सारी राशि व्यय नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ङ) इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है और प्रारम्भ से लकर संस्थापना पर क्या व्यय किया गया है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) उड़ीसा कृषि विकास परियोजना तथ विश्व बैंक से सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय विकास सगठन की सहायता से एक उड़ीसा सिचाई परियोजना इस समय उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं ने क्रमश: 28 जून, 1977 तथा 16 जनवरी, 1978 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है । कृषि विकास परियोजना सम्पूर्ण उड़ीसा में कार्य करेगी । सिंचाई परियोजना का कार्यक्षेत्र तथा उसके अंतर्गत आने-वाला क्षेत्र निम्नलिखित है:--

(1) सम्पूर्ण राज्य में लगभग 66000 हेक्टार क्षेत्रफल में, पांच वर्ष से अधिक अवधि तक, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य,

(2) वर्तमान तीन मुख्य सिंचाई प्रणालियो हीराकुंड , सारांदी तथा महानदी डेल्टा, जिनमें सिंचाई वाली भूमि का लगभग 200,000 हेक्टार का चक-बंदी का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है, में कमान क्षेत्र विकास तथा लगभग 57,000 हेक्टार के समेकित क्षेत्र में आन-फार्म कार्यों (क्षेत्रीय जल वाहिकाएं तथा निकास नालियां, अभिगम क्रासिंग तथा अन्य संबद्ध ढांचों) का निर्माण ।

(ग) अनुमानित लागतो का वर्षवार स्वरुप जैसा कि संबद्ध परियोजनाओं की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित है:--

परियोजना का नाम	अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन से कुल ऋण (दस लाख डालर)	वर्षवार कुल लागत (लाख रुपए)					
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पांचवें वर्ष	योग
1. उड़ीसा कृषि विकास परियोजना	20.00	829.30	1202.80	794.40	382.90	390.60	3600.00
2. उड़ीसा सिंचाई परियोजना							
(1) मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	52.30	440.00	1112.00	2485.00	2743.00	2467.00	9747.00
(2) चक-बंदो तथा आनफार्म निर्माण कार्य	5.70	124.00	157.00	245.00	667.00	---	1193.00

(घ) तथा (ङ) प्रश्न के इन भागो से संबंधित पूर्ण जानकारी अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । जानकारो प्राप्त होते हो सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्न का आयात

2595. **श्री अमरसिंह बी० राठवा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान विभिन्न प्रकार के कितने खाद्यान्नों का विभिन्न देशों से आयात किया गया;

(ख) उसमें से कितना खाद्यान्न भारत को सहायता और कितना ऋण के रूप में मिला;

(ग) उपरोक्त अवधि में देश के भीतर खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के आयात की नीति में कोई परिवर्तन करने का निर्णय किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 1785/78]**

(ग) देश में 1976-77 के दौरान 1115.7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था । 1977-78 के लिए इसी प्रकार की सूचना कृषि वर्ष के अन्त के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 में किसी समय उपलब्ध होगी। तथापि, मौजूदा संकेतों के अनुसार आशा है कि 1977-78 में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष से काफी अधिक होगा ।

(घ) सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, फसल संबंधी संभावनाओं, खाद्यान्नों की आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता की समय समय पर समीक्षा करने और जब नितान्त आवश्यक समझा जाता है तभी खाद्यान्नों का आयात करने की व्यवस्था करने की नीति रही है। विदेशों से जून, 1976 और उसके बाद से वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्नों की कोई खरीदारी नहीं की गयी है और न ही निकट भविष्य में कोई आयात करने का इरादा ही है ।

Scholarship to Blind Students

2596. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enhanced the amount of scholarships to blind students;

(b) if so, how much and by what time; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dharma Singh Gulshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Thes cheme was revised only two years back in 1975-76, and rates of allowances for readers have been increased by 50%. A special ratefor students living in hostels has also been introduced. In view of this recent enhancement, there is no proposal for enhancement of scholarship rates at present.

Welfare and uplift of Blind students

2597. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have been urged upon to take over the work of welfare and uplift of blind students in the country; and

(b) if so, the decision taken so far by Government this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b): Relief to the disabled, including the visually handicapped, broadly comes under item 9 of List II i.e. the State List in the Seventh Schedule of the Constitution. The primary responsibility for the welfare and uplift of the visually handicapped students and adults, therefore, falls on the State Governments. Nevertheless, the Centre has invariably been assisting the State Governments, as well as voluntary organisations, in the programmes designed for education and welfare of the visually handicapped students throughout the country. Such assistance includes scholarships for blind students, financial assistance to voluntary agencies for economic rehabilitation of the adult blind and promoting integrated education for placing visually handicapped children in ordinary schools.

Small farmers and small farmers development agency

2598. **Shri Sukhendra Singh**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the estimated number of small and marginal farmers in the country and the number of S.F.D. agencies being run to help them and the number thereof in Madhya Pradesh;

(b) the number of small and marginal farmers benefited by these agencies and the number thereof in Madhya Pradesh; and

(c) the amount of financial assistance (including loan) given to these farmers by Cooperative Societies and Banks and total average amount of financial assistance provided to each of them and relevant figures thereof pertaining to 1975-76, 1976-77 and 1977-78?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) As per Agricultural Census 1970-71, the total number of small and marginal farmers having holdings upto 2.0 hectares was 491.14 lakhs. The number of Small Farmers Development Agencies (S.F.D.A.) functioning at present in different parts of the country is 169 of which 12 are operating in Madhya Pradesh.

(b) The number of small/marginal farmers and agricultural labourers benefited by these agencies, since inception, upto November, 1977 under various programmes is 53.74 lakhs. The number benefited in Madhya Pradesh during the above period is 4.00 lakhs in all the 12 project areas.

(c) The total financial assistance (subsidy from SFDA+short, medium and long term loans from cooperatives and commercial banks) given to the beneficiary farmers, year-wise, for 1975-76 to 1977-78 in 169 project areas and the average amount of assistance per beneficiary is indicated below:—

	1975-76	1976-77	1977-78 upto Nov. 1977
1. Total loaning (ST,MT& LT) in SFDA through cooperatives and Commercial Banks (in lakhs)	8353.58	13108.93	8430.84
2. Toatal subsidy given to farmers under SFDA programmes(in lakhs) . .	1871.30	2082.31	1560.78
3. Total assistance including loaning under SFDA(in lakhs) (Col.1+ Col.2) . . .	10224.88	15191.24	9991.62
4. Total No. of baneficiaries under SFDA programmes (in lakhs)	10.80	12.12	7.44
5. Average assistance per beneficiary under SFDAs. (in Rs.)	947	1253	1343

जल संसाधनों के उपयोग के बारे में राज्यों को निदेश

2599. **श्री सुखेन्द्र प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को जल संसाधनों के उपयोग का सुझाव देते हुए निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को बांध जलाशयों के जल संसाधन बहुत ही असंतोषजनक लगे हैं, और

(घ) विभिन्न राज्यों के कृषि 'आपरेशनल' (परिचालनात्मक) कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये भण्डारण क्षमता में वृद्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राज्यों पर इस बात के लिए बल दिया जाता है कि विभिन्न सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण की परियोजनाएं हाथ में लेकर और उनके लिए नियमित प्रचालन कार्यक्रम तैयार करके और उनकी प्रचालन-कुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए उनका मानीटरिंग करके मौजूदा सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए ।

(ग) और (घ) मानसून जल-प्रवाह के संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में स्टोरेज-स्थल उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे राज्य में उपलब्ध जल साधनों का उपयोग करने के लिए हाथ में ली जाने वाली सभी परियोजनाएं निर्धारित करके भावी विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करें । गंगा बेसिन में बाढ़ के जल के भूमिगत संचयन की पायलेट परियोजनाओं के लिए अध्ययन किये जाने का भी प्रस्ताव है ।

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगें

2600. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यलय के अध्यापकों की मांगे प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय हाकी टीम का अर्जेंटीना में विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में भाग लेना

2601. **श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी टीम द्वारा हाल में पाकिस्तान के साथ खेल का सन्तोषजनक प्रदर्शन न करने के बावजूद भी सरकार ने भारतीय हाकी टीम को विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लने के लिये अर्जेन्टीना भेजने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) : सरकार ने भारतीय टीम को विश्व कप टूर्नामेंट में भाग लने के लिए भेजने के भारतीय हाकी संघ के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है । यह अखिल भारतीय खेल परिषद् की कार्यकारणी समिति की सिफारिश पर किया गया है, जो इस बात को ध्यान में रखकर की गई थी कि भारतीय हाकी टीम के भाग न लेने से मास्को में 1980 में होने वाले ओलम्पिक में भाग लेने के लिये इसके अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

Demonstration by Delhi University Teachers

†2602. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that about 300 teachers of Delhi University demonstrated in front of the office of the Vice-Chancellor of the University on 20th February, 1978 in support of their demands; and

(b) if so, their demands and the steps being taken by Government to fulfil them?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b): According to the information furnished by the University of Delhi, a number of members of Delhi University Teachers' Association demonstrated in front of the office of the Vice-Chancellor. The Charter of demands presented by the teachers to the Vice-Chancellor related to repeal of the Code of Conduct for teachers, direct representation of teachers on the Executive Council, re-constitution of governing bodies of colleges to provide for larger teacher representation, regularization of temporary and ad-hoc teachers, restoration of examination remuneration, medical facilities and promotional avenues etc. Even before and subsequent to the demonstration, a number of meetings have been held between the Vice-Chancellor and his colleagues and the representatives of Delhi University Teachers' Association and due consideration is being given to the points raised by the Association.

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

2603. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कालोनियों को नियमित करने के संबंध में दिल्ली के "मास्टर प्लान" में संशोधन करने का है जहां 60 प्रतिशत से अधिक मकान बनाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) : नियमितिकरण की प्रक्रिया में, जहां कहीं आवश्यक हो, भूमि उपयोग बदल के लिए मास्टर प्लान/जोनल प्लान के उपबंधों को देखते हुए इस मंत्रालय के दिनांक 16-2-77 के पत्र संख्या ज० 13037/113/74 यू०डी० 1/11बी (प्रति संलग्न है) के पैरा 2 (V) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या/एल०टी०1786/28]**

University at Darbhanga

†2604. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Central University in Darbhanga division of Bihar;

(b) whether a proposal to this effect has been submitted; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b): No such proposal is under consideration of Central Government.

(c) Does not arise.

उल्हासनगर और कापोरी के सिंधी शरणार्थी

2605. **श्री आर० के० महालगी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के थाना जिले में उल्हासनगर और कापोरी के सिंधी शरणार्थियोंकी कुछ समस्याएं सरकार द्वारा सुलझाये जाने के लिए वर्षों से विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो वे समस्याएं क्या हैं और किस स्वरूप की है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) सिंधी शरणार्थियों की उक्त समस्याओं को सुलझाने के लिए निकट भविष्य में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) से (घ): उल्हासनगर और कापोरी कालोनियों के सिंधी शरणार्थियों से सम्बन्धित किसी विशिष्ट समस्या की सरकार को जानकारी नहीं है। भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था और वे अब राष्ट्रीय जीवन का एक अंग बन चुके हैं। तथापि, व्यक्तिगत दावेदारों के मुआवजे के कुछ मामले निपटान के लिए लम्बित पड़े है। उक्त उल्हासनगर और कापोरी कालोनियों के संबंध में इस प्रकार लम्बित पड़े मामलों की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है परन्तु फरवरी, 1978 के अन्त तक सम्पूर्ण बम्बई क्षेत्र के संबंध में, जिसमें उक्त दो कालोनियां भी शामिल हैं, लम्बित दावों की कुल संख्या 634 थी। अवशिष्ट कार्य में कालोनियों में मकानों के अलाटियों को हस्तांतरण संबंधी कागजात जारी करने के मामलों को अंतिम रूप दिया जाना है। 1-8-1971 से यह कार्य महाराष्ट्र राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के अधिकारीयों को आवश्यक शक्तियां दी गई है।

गेहू की प्रति हेक्टर उपज

2606. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) इस समय गेहूं की प्रति हेक्टर औसतन उपज कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में गेहूं की प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में (1976-77) गेहूं की औसत उपज 1394 किलोग्राम प्रति हैक्टार है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहें हैं :--

(1) गेहूं उत्पादक राज्यों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना ;

(2) गेहूं की सबसे उपयुक्त अधिक उपज देने वाले किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना;

(3) आदानों का पर्याप्त व समय पर आपूर्ति तथा चुने हुए जिलों में विशष उर्वरक अभियान;

(4) कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसीत नविनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी में विस्तार कर्मचारियों और कृषकों को प्रशिक्षित करना;

(5) बिजली व सिंचाई के जल की बिना रूकावट समय पर आपूर्ति करने के लिए राज्य के कृषि, सिंचाई व बिजली विभागों के बीच समन्वय करना; और

(6) सहायक कार्यक्रमों की गति को तेज करना, जैसे कि मिनी किट प्रदर्शनों की योजना, अनुकूलन परीक्षणों और पहाडी क्षेत्रों में किट्ट की संवेदनशील किस्मों को किट्ट प्रतिरोधी किस्मों से प्रतिस्थापना करना।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये हालों का किराया

2607. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परस्पर मेल करने, राष्ट्रीय एकता की भावना भरने और दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने हेतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों के संवर्द्धन में लगे सांस्कृतिक संगठन हालों के लिए वसुल किये जाने वाले अत्यधिक किराये के कारण प्रदर्शन और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने में अत्यधिक कठिनाई महसस करते है;

(ख) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि पहले की तरह सांस्कृतिक संगठनों से रियायती दरों पर किराया लिया जाए; और

(ग) तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस उद्देश के लिए दिल्ली में उपयोग किए जा रहे कई हालों में से दो हाल नामतः मावलंकर आडिटोरियम तथा विज्ञान भवन केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। इन दो हालों के निर्धारित किराए अत्याधिक नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास, दालों और तिलहनों का उत्पादन

2608. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री भारत भूषण :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री मूल्यों में वृध्दि के बारे में 24 जून 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास, दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विशेष समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार द्रुत योजना की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार दी गयी; और

(ग) क्या अपेक्षित परिणाम खरीफ मौसस में प्राप्त हो गये है और यदि हां, तो इन मदों के उत्पादन में कितनी वृध्दि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : द्रुत योजना की क्रियान्विति के संबंध में तथा इस उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

तिलहन

वनस्पति रक्षण.--मूंगफली और तोरीया सरसों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए विशष दल ने सिफारिश की थी कि अब तक की तुलना में अधिक बड़े पैमाने पर हवाई छिड़काव तथा क्षत्रिय अभियानों के जरिए इन फसलों को अधिक वनस्पति रक्षण उपायों के अंतर्गत लाया जाए। तदनुसार इस उद्देश के लिए 144.69 लाख रूपये कि राशि स्वीकृत कि गई। यह राशि छोटे व सीमान्त कृषकों के 25 रु० प्रति हैक्टार तथा अन्यों को 17.50 रुपये प्रति हैक्टार कि दर से हवाई छिड़काव कार्यों के लिए और 7.50 रुपये प्रति हेक्टर की दर स भूमि से छिड़काव करने के शुल्क के रूप में राजसहायता के रूप में दी जानी है ताकि संलग्न भूमि के बड़े बड़े खण्ड इसके अंतर्गत आ सके और छोटे व सीमांत कृषक इसमें शामिल हो सके।

ह्वाइट ग्रब कृमि के नियंत्रण हेतु राज सहायता रसायन की लागत के 50 प्रतिशत की दर तक बढ़ा दी गई है।

सरसों के प्रमख कृमि अर्थात "एफिस" के लिए एक पक्का निगरानी कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में ही छिड़काव का कार्य किया जा सके।

बीज उत्पादन.-- राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य बीज निगमों/भारतीय राज्य फार्म निगम को 150 रू० प्रति क्विटल की दर से राज सहायता हेतु 23 लाख रुपये कि अतिरिक्त राशि मुहैया कि गई है ताकि वे अच्छी किस्म के बीज पैदा कर सके और कृषकों को वाणिज्यिक उत्पाद के मूल्य से अधिक से अधिक 25 प्रतिशत मूल्य पर मुहैया करा सके। राज्य सरकारों तथा बीजोंत्पादक एजेंसियों से परामर्श करके ग्रीष्म ऋतु वर्ष 1977-78 के दौरान मूंगफली के बीजों का उत्पादन चक्र चलाने के लिए व्यवस्था कि गई है।

उर्वरक.—चूंकि फास्फेटयुक्त उर्वरक मूंगफली की फसल में जड़ों के विकास में सहायक होता है और इस प्रकार नमी से प्रभावित होने कि स्थिति से उबारने में सहायक सिद्ध होता है अतः उसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए खरीफ के मौसम के दौरान प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों ने एक जोरदार अभियान चलाया है।

ग्रीष्म की मूंगफली :

दक्षिणी राज्यों के नहरी सिंचित क्षेत्रों में धान मूंगफली के सस्य चक्र में ग्रीष्म सिंचित मूंगफली के अंतर्गत क्षेत्र को बढाने की काफी गुंजाईश है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मूंगफली के उत्पादन के उपयुक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित ढंग से कायक्रम क्रियान्वित करें :—

(1) रबी/ग्रोष्म के मौसम के दौरान मूंगफली जैसी हल्की सिंचित फसलों के लिए जल कि सप्लाई कम करे, और

(2) फसल के उगने के मौसम के दौरान जल को उपलब्धि को काफी पहले सूचना देकर।

साहाय्य मूल्य.—भारत सरकार ने वर्ष 1977–78 के लिए तिलहनों को मूल्य नीति घोषित कर दी है, जिसके अंतर्गत मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबिन के लिए साहाय्य मल्य निर्धारित किए गए है और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को इन मूल्यों पर खरीद करने का कार्य सौंपा गया है। साहाय्य मूल्य निम्नलिखित ढंग से निर्धारित किए गए है:—

1. वर्ष 1977-78 के मौसम के लिए छिलके सहित मूंगफली की उचित औसत किस्म के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल, जब कि वर्ष 1976–77 के मौसम के लिए साहाय्य मूल्य 140 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।

2. वर्ष 1977–78 के मौसम के लिए उचित औसत किस्म के लिए सोयाबिन और सूरजमुखी के बिजों के मामले में क्रमशः 145 रुपये प्रति क्विंटल और 165 रुपये प्रति क्विंटल, इसमें प्रत्येक के मामले में 10 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहनात्मक प्रीमियम भी शामिल है। सूरजमुखी के बोजों के वर्ष 1977-78 के मौसम के साहाय्य मूल्य से पता चलता है कि पिछले वर्ष के साहाय्य मूल्य की तुलना में इसमें प्रति क्विंटल 15 रुपये कि वृद्धि हुई।

दाल

निम्नलिखित बातों के जरिए उत्पादकता बढाना :

(क) **राईजोबियल को खेती का प्रयोग.**—राज्य सरकारों को सलाह दो गई है कि वे वर्ष 1977-78 के दौरान राईजोबियल को खतो का उत्पादन बढ़ाए, ताकी इसके अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाया जा सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मामले में, बडी मात्रा में राईजोबियल की खेती के उत्पादन हेतु सूक्ष्मजैविक प्रयोगशालाओं कि सुविधाए बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई।

(ख) **फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उपयोग.**—दाल विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए इस बात का स्पष्ट प्रदर्शन किया गया है कि प्रति हेक्टर में 10 किलोग्राम नायट्रोजन की आरम्भिक मात्रा के साथ 40 किलोग्राम पी2 ओ5 की दर से चना तथा अन्य दालों में फास्फेटयुक्त

उर्वरक का उपयोग करने से प्रति हेक्टार में लगभग 3–3–1/2 क्विंटल का अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। कि वे दाल उत्पादक क्षेत्रों में उर्वरकों कि सप्लाई करने के लिए उर्वरकों की अपेक्षीत मात्रा का स्टाक करे।

(ग) **आवश्यकतानुसार वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना.** —कुछ क्षेत्रों मे फली वेधक (पोडबोरर) चना तथा अरहर (तुर) का एक गम्भीर कृमि है। राज्य सरकारों को कृमि निगरानी एकक तेज करने और समय पर नियंत्रण उपायों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की सलाह दि गई है ।

(घ) **विस्तार तथा प्रशिक्षण.** —विशेषकर दाल की सघन खेती वाले जिलों के विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक मौसम के दौरान उपर्युक्त तकनौलोजी के आधार पर शेष प्रशिक्षण पाठयक्रमों कि व्यवस्था कि जा रही है।, ताकि वे आगे अपने संबंधित क्षेत्रों के कृषकों को यह प्रशिक्षण दे सके। चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये का आवंटन किया गया है ।

प्रमुख फसलों को नुकसान पहूंचाये बिना निम्नलिखित के जरिए दालों के अंतर्गत क्षेत्र को बढाना :

(क) ग्रीष्म की खेती : मूंग तथा उड़द की अल्पावधि किस्मों के पृथक्कीकरण से दो प्रमुख फसलों के बीच मूंग या उड़द की अतिरिक्त फसल प्रारम्भ करने के लिए नई संभावनाएं पैदा हो गई है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा हरियाणा में इस कार्यक्रम की काफी गुंजाइश मौजूद है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं ।

(ख) चावल की परती भूमि में मूंग तथा उड़द की खेती :

पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में चावल की कटाई के बाद शेष बची हुई नमी से मूंग या उड़द उगाने की संभावनाएं है। असम, आंध्र प्रदेश, कनार्टक, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सलाह दी गई है।

(ग) दालों को अंतर्वती फसल की खेती करना :

उत्तरी राज्यों म कपास तथा गन्ना की पंक्तियों के मध्य बीच की फसल के रूप में मूंग की खती की जा सकती है। इसी प्रकार अरहर तथा कपास उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग की बीच की फसल के रूप में खेती की जा सकती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मूंग के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं

दीर्घावधि :

बीज एक मूल आदान है और दालों का वृहत् कार्यक्रम, एक ठोस बीच वर्धन कार्यक्रम के बिना प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है ।

एक विशेष दल ने 7.81 लाख रुपए की लागत से अखिल भारतीय महत्व के प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणित बीजों की किस्मों के उत्पादन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का सुझाव दिया था । यह योजना खरीफ, 1977 से प्रारम्भ हो गई है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम तथा राजकीय बीज निगम को चरण-बार बीज वधन के कार्य में शामिल किया गया है ।

खरीफ मौसम के दौरान राज्य सरकारों से दालों विशेषत: "अरहर" के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है । राज्यों को यह परामर्श दिया गया कि अरहर उगाने वाले जिलों में पैकेज प्रणालियों अपनाई जानी चाहिए । राज्य सरकारों ने जिला/खण्ड और ग्राम स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके कृषि और विकास विभागों के कर्मचारियों को जुटाकर अभियान शुरू कर दिया है ।

तत्पश्चात् राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे रबी 1977–78 के दौरान दाल उत्पादन विशेषत: चने पर राष्ट्रीय अभियान आयोजित करें । राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे जिलों की सूची तैयार करें जोकि चने के क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । फास्फेटिक उर्वरकों की खपत के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और किसानों को इन उर्वरकों को समय पर उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थान पर इन का भंडारण करें । राज्य सरकारों को विभिन्न कृमिनाशिय वनस्पति संरक्षण उपस्करों के भंडारण किसानों के सामुहिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने और किसानों द्वारा निवेशों को खरीद के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है । इस संबंध में आपूर्तियों को सुनिश्चित करने और अभिकल्पित कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी ।

अच्छे बीच उत्पादन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को दिए गए वितीय समर्थन/सहायता का विवरण निम्नलिखित है:—

मद	केन्द्रीय सहायता/सहायक की दर का स्वरूप
1. प्रजनक बीज उत्पादन	
मूंग, उड़द और लोभिया .	500 रुपए प्रति क्विंटल
मसूर	350 रुपए प्रति क्विंटल
चना व अरहर . . .	300 रुपए प्रति क्विंटल
मटर	200 रुपए प्रति क्विंटल
2. आधार बीज उत्पादन . . .	150 रुपए प्रति क्विंटल
3. प्रमाणिकृत बीज उत्पादन . .	150 रुपए प्रति क्विंटल
4. विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण .	विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 1977–78 के दौरान 6000 रुपए प्रति प्रशिक्षण की दर से 50,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है ।

कपास

(1) कपास कृमियों का नियंत्रण : भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 5.76 लाख हैक्टार क्षेत्र में हवाई-छिड़काव करने के लिए 100 लाख की रुपए स्वीकृति दी है ।

(2) **बीज उत्पादन.** :—भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य सरकार बीज निगम के जरिए बीज उत्पादन और वितरण के कार्य को मजबूत बनाने के लिए साहाय्य राशि को 5 रुपए प्रति हैक्टार (या 25 रुपए प्रति क्विंटल) से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है ।

(3) वर्तमान गहन कपास जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 25.0 लाख रुपए की कुल लागत से वर्षा पर आश्रित कपास पैदा करने वाले 8 जिलों का 1.6 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है ।

(4) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चालू मौसम के दौरान किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेज करें, विशेषत: अच्छे किस्मों के बीजों का प्रयोग और कृमियों का नियंत्रण करके पौधों की संख्या को काफी बढ़ाएं ।

सचिवों के विशेष दलों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए, गहन कपास जिला कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1977–78 के दौरान 511.8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ग) 1977–78 के दौरान तिलहनों, दालों और कपास के उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 के आसपास उपलब्ध होंगे। तथापि, देश में 1977–78 के दौरान पांच मुख्य तिलहनों का कुल उत्पादन गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक होने की आशा है । दालों और कपास के कुल उत्पादन में भी 1976–77 में प्राप्त स्तरों की तुलना में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

Setting up of Auroville in Pondicherry

2609. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many years ago Arvind Ashram Trust of Pondicherry had made a beginning for setting up Auroville as an effort to organise entire human race as a family but during Emergency the then Central Government had tried to distort the real spiritual character thereof by nominating official members in the Auroville Committee;

(b) whether the Directors of Arvindashram, Pondicherry have submitted a representation to Government against nomination of official members to the Auroville Committee by the former Central Government; and

(c) if so, the action taken by Central Government to give an opportunity to Auroville for being run independently on the ideals of Maharashi Arvind?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The township of Auroville was founded on the basis of a Charter announced by The Mother on the 20th February, 1968. The Government of India on the 21st December, 1976 set up a committee to consider the problems of Auroville in depth and in their entirety and help in their solution with a view to promoting the objectives set forth by The Mother in the Auroville Charter.

(b) Some representations have been received against the constitution of this committee.

(c) The committee has since given its report and ceased to function.

नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में अमरीका और ब्रिटेन से सहायता

2610. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर और ब्रिटन के राष्ट्रपति जम्स कैलाहन ने जनवरी, 1978 के क्रमश: पहले और तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में भारतीय नेताओं के साथ हुई अपनी बातचीत के दौरान सिंचाई और विद्युत उत्पादन कार्यों के लिए भारत की पूर्वोत्तर भाग को नदियों के जल को उपयोग में लाने संबंधी कार्यक्रम से सहयोग देने का वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इन दो देशों की सहायता से 1978-79 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक देश से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना है तथा दूसरी किस प्रकार की सहायता मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गांवों के विकास के लिये विदेशी प्रोद्योगिकी

2611. **श्री अरविंद बाला पजनौर :**
श्री रागावलू मोहनरंगम :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों के विकास के लिए उचित प्रौद्योगिकी के सार्थक प्रयोग के लिए ठोक ठोक क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) क्या 30 विदेशी व्यापारियों के एक दल ने गांवों के विकास को गति तेज करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी की पेशकश की है ;

(ग) इस प्रौद्योगिकी का विवरण क्या है और क्या उसे हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से प्राप्त नहीं कर सकते ; और

(घ) इस पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) उद्योग मंत्रालय की उपयुक्त प्रौद्योगिकी युनिट देश विशेषीकृत अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं को विशिष्ट परियोजनाएं सौंपने के कार्य में लगी हुई हैं ताकि देश की तात्कालिक आवश्यकताओं से संबंधित उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके।

इन आवश्यकताओं का किस तरह पता लगाया गया है--

(1) सिंचाई प्रयोजनों से संबंधित जल प्रौद्योगिकी का विकास (इसमें सिंचाई कुओं का निर्माण, सिंचाई पम्पों तथा जल उठाऊ यंत्रों का विकास, जल साधन तथा वितरण पद्धतियों में सुधार शामिल है) भूमि विकास, भूमि को समतल बनाना त । भूमि को सही आकार देना और ग्रामीण/पिछड़े इलाकों में पेय जल प्रयोजनों से संबंधित सतह जल की समस्याएं ;

(2) ग्रामीण इलाकों में खाद्यन्नों का संरक्षण तथा रोगाणुनाशन ;

(3) ग्रामीण इलाकों में वायु शक्ति का उपयोग ;

(4) कृषि संबंधी तथा सब्जी छीजनों का उपयोग ;

(5) ग्रामीण/पिछड़े इलाकों में स्व-रोजगार के लिए अकेले परिवारो द्वारा ईंट-निर्माण ;

(6) इमारती लकड़ी को चीर-फाड़, लकड़ी विधायन, लकड़ी का बुरादा तथा इमारती लकड़ी के अपव्यय उत्पादों का उपयोग।

(7) अभिकल्प तथा उपस्करों में सुधार पर बल देते हुए चमड़ा सिझाना, खेल कूद का सामान तथा जूतों का विनिर्माण ; और

(8) उपयुक्त फार्म निर्माण तथा ग्रामीण आवास अभिकल्प जिसमें ग्रमीण आवास के लिए सुधार प्रौद्योगिकी शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अन्ध विद्यालयों को सहायता

2612. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रस' में "ब्लाइंड स्कूल फंसिंग क्राइसिस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार 2.5 लाख रुपये की सहायता की राशि में वृद्धि करने का है जिसका उसने पहले ही वचन दिया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अन्ध महाविद्यालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह वित्तीय सहायता के लिए एक औपचारिक आवेदन पत्र दे। आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर उसपर विधिवत विचार किया जायगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बोरों की खरीद

2614. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान की गयी पुरानी तथा नये (अलग-अलग) बोरों की वार्षिक खरीद का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सप्लाईकर्ताओं के नाम तथा पते क्या हैं तथा प्रत्येक ने कितना तथा कितने मूल्य का सप्लाई किया ; और

(ग) वर्तमान सप्लाईकर्ताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें पुराने तथा नये, अलग-अलग बोरे सप्लाई करने के लिए कहा गया है और कितने बोरे खरीदे जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से उनकी डंडेन्ट देकर बोरों की खरीदारी करता है। तथापि, आपातिक मामलों में कभी कभी निगम ने स्वयं भी सीधी खरीदारी की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई खरीदारियों का अलग अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की गई नये बोरों की खरीदारी	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधी की गई खरीदारी	
		नये बोरे	पुराने बोरे
1975 .	3,20,447 गांठें	10,90,271 बोरे	1,90,000 बोरे
1976 .	4,04,922 गांठें	1,50,400 बोरे	शुन्य
1977 .	93,520 गांठें	5,90,000 बोरे	शून्य

(ख) और (ग) : संलग्न विवरणों में ब्यौरे दिय गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1784/78]

Official Language implementation Committee

2615. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Official Language Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the details of the decisions taken in these meetings;

(c) the number of decisions out of them fully implemented; and

(d) the reasons for delay in implementing the remaining decisions?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is enclosed.

(c) Decisions which are of continuing nature have either been implemented or are in the process of implementation.

(d) Does not arise.

STATEMENT

	Name of the Department.	Date of the Meetings held in 1977
1.	Works and Housing.	27-10-1977
2.	Supply . .	25-7-1977
3.	Rehabilitation	31-3-1977, 29-6-1977, 30-9-1977, 27-12-1977

The following decisions regarding progressive use of Hindi for official purposes were taken :—

1. Conduct Hindi Workshops in the Departments.
2. Implement the Cash Award Scheme and review its progress.
3. Make arrangements for printing of Manuals in diglot form.
4. Take action for the creation of posts in Hindi Units in the Secretariat/Attached/Subordinate/Regional Office etc.
5. Inspect the progressive use of Hindi in the various Offices.
6. Sponsor more and more Officers for training in Hindi, Hindi Shorthand and Hindi Typewriting Scheme.
7. Make provision for more Hindi Typewriters.
8. Encourage Officers to use more and more Hindi in noting and drafting.
9. Purchase of Hindi Books and Periodicals.

Official Languages Act, 1963

2616. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the **Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Ministry/Department has informed their attached and subordinate offices of the provisions of Official Languages Act, 1963, and the rules of June, 1976 made thereunder and whether they have been asked to comply with the requirments;

(b) if so, whether the Minister/Department are ensuring full compliance of the said provisions and rules; and

(c) if not, the reasons therefor and the meausres being adopted to ensure that rules relating to Official Languages are complied with fully ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) All out efforts are being made to ensure full compliance.

(c) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता को बढ़ाने की योजनाएं

2617. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता को बढ़ाने की कोई योजनायें तयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं :—

(1) चल रहे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के अलावा, खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए 35.75 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता (जिसमें निर्माणाधीन लगभग 6 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है) के निर्माण के लिए जनवरी, 1978 में अन्तर-राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) प्राइवेट पार्टियों को अपनी भूमि पर गोदाम बनाकर और उन्हें कुछेक वर्षों के लिए अधिभोग का गारंटी पर भारतीय खाद्य निगम को पट्टे पर देने के लिए प्रोत्साहित करना। यह कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की रियायती ब्याज दर पर धनराशि सुलभ करने की योजना के अधीन किया जा रहा है।

(3) विभिन्न स्त्रोतों से भण्डारण स्थान किराये पर लेना।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

2618. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने में विलम्ब होने के विशेष कारण क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1970-72 में 53 बस्तियां नियमित की गई थी, यदि हां, तो क्या वहां पर कोई प्लाट पट्टे पर दिए गए हैं और निर्माण कार्य आरम्भ हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने 1970–72 में नियमित की गई बस्तियों में प्लाट पट्टे पर देने पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं ; और

(घ) क्या स्थिति को सुधारने और नियमित की गई बस्तियों के विकास में सहायता देने के लिए अब उन शर्तों को वापस लेने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नियमितिकरण प्लान तयार करने के लिए विस्तृत स्थल सर्वेक्षण आवश्यक है और ऐसा सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने 1970–72 के वर्षों के दौरान 53 अनधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण किया था। तथापि, प्लाटों को पट्टे पर नहीं दिया गया है।

9—61 L.S.S. (N.D.)/78

(ग) दिल्ली प्रशासन ने यह निर्धारित किया था कि कालोनियो द्वारा घेरी भूमि का अर्जन किया जायेगा और अनिवार्य न्यूनतम सामदायिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद कालोनियों का नियमितिकरण किया जायगा। इस कालोनियों में संरचनाओं के मालिकों को पट्टदारो बनाया जाना था।

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

पारादीप पत्तन क्षेत्र में मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

2619. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार पारादीप के वाणिज्यिक पत्तन क्षेत्र के भीतर एक मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिये केन्द्रोय सरकार से गत सात वर्षो से सहायगा मांग रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा 311.18 लाख पये की लागत वाली एक अन्तिम संशोधित परियोजना भेजे जाने के बावजूद औपचारिक मंजूरी देने में विलम्ब किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(ग) पत्तन न्यास से संशोधित परियोजना रिपोर्ट केवल नवम्बर, 1977 में प्राप्त हुई थी और विभिन्न मूल्याकन संबंधी एजेंसिया, इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

गोपाल पुर में मत्स्य पत्तन की मंजूरी

2620. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्र द्वारा गोपाल पुर पत्तन को मंजूरी न दिये जाने के कारण, चौथी योजना में मत्स्य पत्तन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई 5.22 लाख रुपये की धनराशि उस प्रयोजन के लिये खर्च नहीं की जा सकी ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन के लिए मंजूरी न दिय जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर फिर विचार करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) तक गोपालपुर में मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण से सम्बंधित प्रस्ताव जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय के अधीन एक वाणिज्यिक बन्दरगाह के प्रस्तावित विकास से सम्बद्ध था।

तथापि, राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है।

शुष्क क्षेत्र अनुसंधान तथा विकास पर जोधपुर में हुई गोष्ठी

2621. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या 14 फरवरी, 1978 को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीटयूट, जोधपुर में शुष्क क्षेत्र अनुसंधान तथा विकास पर एक पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समूचे देश से लगभग 200 विशेषज्ञों और 50 अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा प्रभावित देशों ने उक्त गोष्ठी में भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त निर्णयों पर विचार किया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस संगोष्ठी में 389 विज्ञानियों ने भाग लिया जिनमें से 41 प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विदेशों के थे ।

(ग) इस संगोष्ठी में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर चर्चा की गयी :--

(i) पुरा-पर्यावरण, मरुक्षेत्र का विकास,
(ii) जलवायु-विज्ञान का अध्ययन, जल-तुलन, सूखा विश्लेषण तथा सूक्ष्म-जलवायु सम्बंधी विशेषताएं,
(iii) भूमि स्त्रोत सर्वेक्षण, दूरवर्ती समझदारी, मुदा एवं भूमि उपयोग नियोजन,
(iv) वनस्पति-भूगोल, पारिस्थितिकीय-क्रम अध्ययन, आनुक्रमिक परिवर्तन, रेगिस्तानी फैलाव तथा विवेचनात्मक संकेतक,
(v) शरीरक्रियात्मक व्यवहार तथा कुछ मरूक्षेत्रीय पौधों की अनुक्रिया,
(vi) सीमित नम दशाओं तथा मृदा प्रबंध के अधीन फसल-उत्पादन,
(vii) सिंचाई तकनीक तथा जल-प्रबंध ,
(viii) सिंचाई में लवणीय जल का प्रयोग,
(ix) फसल-पौधों का आनुवंशिक सुधार,
(x) चरागाह प्रबंध तथा चारा फसल उत्पादन,
(xi) वन एवं वनों के चरागाहों का अध्ययन,
(xii) मरूक्षेत्रीय बागवानी,
(xiii) पशुधन उत्पादन, पोषण एवं शरीर-क्रिया विज्ञान,
(xiv) मरूक्षेत्रीय कृषि-तकनीक तथा अभियान्त्रिकी,
(xv) वन्य-जीवन संरक्षण, मरूक्षेत्रीय पारिस्थिकी तथा पादप-संरक्षण,
(xvi) मानवीय स्त्रोत तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाएं तथा
(xvii) मरूक्षेत्रीय प्रबंध तकनीक तथा इसका अपनाना ।

सिफारिशें :

प्रमुख सिफारिशें थी :--

(i) इस संगोष्टी ने, नैरोबी में 21-25 अगस्त, 1977 को आयोजित विज्ञान संघों के परिसंवाद द्वारा संस्कृत मरूक्षेत्र के फैलाव के भौतिक, जैविक तथा सामाजिक संकेतकों की पहचान के महान महत्व तथा उनकी विकासशील पद्धति और उनके चुनींदा क्षेत्रों में उपयोग करने से सम्बंधित संस्तुतियों को पृष्ठांकित किया था ;

(ii) सम्बंधित क्षेत्रों में अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय मरूक्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का मरूक्षेत्रीय फैलाव के संकेतकों को स्थापित करने तथा उनका, विशेषकर सामाजिक संकेतकों का उपयोग करने में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन किया जाना चाहिए ;

(iii) इस प्रकार के संकेतकों के उपयोग की वधता की जांच करने के लिए पश्चिमी राजस्थान चुनींदा क्षेत्रो में से एक होना चाहिए तथा केन्द्रीय मरूक्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को इस क्षेत्र में मरुक्षेत्रीय फैलाव को नियन्त्रित करने के लिये सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ;

(iv) अनुसंधान और विकास में प्राथमिकताओं का निर्धारण को जन सांख्यिकीय अध्ययन, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों द्वारा अधिक अधिक निकटता से संचालित एवं सबंर्मधित होना चाहिए ;

(v) वर्षाश्रित क्षेत्रों में, जल संचयन तकनीक तथा जल विभाजक प्रबंध तथा रिसने से होने वाली क्षति को कम करने के लिए संचित जल-भंडार के प्रकार और अभिक्रिया पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ;

(vi) उनके युक्तिसंगत तथा संचय सम्बंधी विकास को सुसाध्य बनाने के लिए भूमि-जल स्त्रोतों तथा भूमिजल के शेष का अनुमान लगाया जाना चाहिए ;

(vii) लवणीय जल का सिचाई हेतु उपयोग करने वाले क्षेत्रों में, लवणीय जल से सिचाई करने पर मृदा संरचना तथा फसल उपज तथा गुणवत्ता पर होने वाले प्रभावों तथा प्रतिमानों के विकास पर मिट्टी के लवणीयता के निर्माण का निर्धारण के आगे के अध्ययनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ;

(viii) प्राकृतिक अवक्षेपणों अथवा लवणीय या सोडा युक्त जल का उपयोग करके लवण प्रभावित भूमियों के फिर से सुधारने की प्रौद्योगिकी का विकास ;

(ix) गर्मी सह सकने वाली किस्मों पर आधारित तथा पशु उत्पादनों के लिये निम्न-पोषण चारे के संचयन को कार्यक्षमता पर आधारित पशुधन-प्रजनन कार्यक्रम ;

(x) देशी तथा विदेशी चारे तथा फलों के क्षेत्र में, जो कि मरूक्षेत्रीय वातावरण के अनुकूल हो, पर सधन अनुसंधान ;

(xi) मृदा प्रबंध तथा फसल उत्पादन पर अनुसंधान गतिविधियों का सधनीकरण, पारस्परिक प्रणालियों, मूलभूत स्त्रोत संरक्षण तथा वैकल्पिक शक्ति स्त्रोतों में सुधार ;

(xii) राष्ट्रीय मरूक्षत्रीय उद्यानों और वन्य जीवन संरक्षण की प्राथमिकता के आधार पर स्थापना ;

(xiii) अधिक वर्षों वाले वर्षो में अतिरिक्त चारा उत्पादन के सक्षम एवं मितव्ययी संरक्षण पर अनुसंधान ;

(घ) इस संगोष्ठी की सिफारिशों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जांचा जाच रहा है।

सबसे बड़ी सिंचाई योजना

2622. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री चित्त बसु :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार एक सबसे बड़ी सिंचाई योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या चार वर्ष पहले इस योजना को तैयार किया गया था परन्तु प्रधान मंत्री के आग्रह पर उस पर पुनः विचार किया गया है ; और

(घ) उसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : देश के जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के प्रस्तावों को सरकार द्वारा जांच की जा रही है। उनमें से एक प्रस्ताव गंगा-कावेरी परियोजना का है जो शोध-पत्रों के अध्ययनों पर आधारित धारणा है। इस परियोजना में अधिक प्रवाह-अवधि के दौरान लगभग 150 दिन गंगा के जल को पम्पिंग करने तथा इस क्षेत्र के सूखा-प्रवण क्षेत्रों को जल की मांग को अंशतः पूरा करने के लिए गंगा को एक ऐसी नहर द्वारा जोड़ने की परिकल्पना की गयी है, जो सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और पैनार बेसिनों में से होकर गजरेगा।

दूसरा ऐसा प्रस्ताव गारलैण्ड नहर स्कीम के बारे में है जो सितम्बर, 1975 में कैप्टन दस्तूर से प्राप्त हुआ था। इसमें 1500 मील लम्बी एक हिमालय नहर का निर्माण किया जाना है जो रावी को ब्रह्मपुत्र से जोड़ेगी इसमें हिमालय के दक्षिणी ढ़लानों के साथ-साथ 50 समेकित जलाशय होंगे और यह लगभग 40 समेकित जलाशयों के साथ ब्रह्मपुत्र से आगे 1100 मील तक बढ़ाई जाएगी। हिमालय नहर से दो-दो मील के अन्तराल पर समकोण में सहायक नहरें होंगी। इस स्कीम में लगभग 5800 मील लम्बी केन्द्रीय और दक्षिणी गारलैण्ड नहर का निर्माण भी परिकल्पित है जो 200 समेकित जलाशयों के साथ मध्यवर्ती पठार और दक्षिणी प्रायद्वीप के चारों ओर को होकर गुजरेगी तथा इसके 2-2 मील के अन्तराल पर सहायक नहरे होगी। हिमालय नहर से जल के ट्रांसफर के लिए इस नहर को हिमालय नहर से जोड़ना परिकल्पित है। राजस्थान में नागौर में 300 मि० एकड़ फुट की क्षमता वाले एवं सोन नदी पर 100 मि० एकड़ फुट की क्षमता वाले जलाशयों का निर्माण करना भी प्रस्तावित है।

कैप्टन दस्तूर ने नवम्बर, 1977 में अपने प्रस्ताव संशोधित कर दिए हैं। उनके प्रस्तावों में बहुत से जटिल मामले निहित हैं जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक सक्षमता, कानूनी और पर्यावरण विषयक पहलू आदि। ऐसी विशालकाय स्कीम के बारे में कोई मत निर्धारित करने से पूर्व यह अनिवार्य समझा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों, बेसिनो/उपबेसिनों में पानी की कमियों और अतिरिक्त पानी की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाये तथा इसके साथ-साथ सूखा प्रवण क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकताओं पर विचार करते हुए पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लाभकारी ढंग से ट्रांस्फर करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। इन अध्ययनों को केन्द्रीय जल आयोग में पहले से ही हाथ में ले लिया गया है।

इन प्रस्तावों पर कोई मत निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा। अभी इतनी जल्दी कोई समय-सूची निर्धारित नहीं की जा सकती।

भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री सेवा

2623. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पाया है कि खाद्य पदार्थों के परिष्करण और भंडारण के मामले में उसके द्वारा आरम्भ की गई नई परामर्शदात्री सेवा के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रम खाद्य परीक्षण और परिष्करण के मामले में अनुसंधान अध्ययन आरम्भ करने हेतु अपने प्रस्ताव लेकर निगम के पास पहुंचे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने कितने मामलों में अध्ययन को आरम्भ कर दिया है और भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) सात अध्ययन पूरे किए गए हैं और एक अध्ययन के मार्च, 1978 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

गन्ने का उत्पादन

2624. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गन्ने का उत्पादन गत वर्ष की रिकार्ड फसल से भी अधिक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष गन्ने का कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों से 1977-78 के मौसम में गन्ने के उत्पादन के विषय में अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि वर्तमान अनुमानों के आधार पर कहा जा सकता है कि गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के 1540 लाख मीटरी टन के स्तर से काफी अधिक होने की सम्भावना है।

स्कूल स्तर पर विषयों की संख्या में कमी करना

2625. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल-स्तर पर विषयों में कमी करने के सरकारी निर्णय को आगामी शिक्षा सत्र से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या तैयारियां आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) क्या इस निर्णय को सभी राज्यों ने क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा, समाज और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा की समाप्ति पर, परीक्षा विषयों की संख्या कम करने हेतु ईश्वरभाई पटेल पुनरीक्षण समिति की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। तथापि, उसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों के माध्यमिक शिक्षा-बोर्डों और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाना है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के हाल ही के सम्मेलन में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया गया था। सिद्धांत रूप में, माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्ड उनको कार्यान्वित करने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए सहमत हो गये हैं। आशा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से उनकी जांच करने हेतु विभिन्न विषय समितियों की स्थापना करेंगे।

रबी की फसल की सम्भावनाएं

2626. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में फरवरी में वर्षा हो जाने से रबी का उत्पादन बढ़ जाने की आशायें बन गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रबी की फसल सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : देश के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में फरवरी, 1978 में हुई वर्षा, रबी की खड़ी फसल के लिए विशेषतः असिंचित क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध हुई है। रबी की फसलों के अन्तिम अनुमान विभिन्न राज्य सरकारों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अनुकूल मौसमी परिस्थितियों, उर्वरकों की बिक्री में होने वाली वृद्धि और कृषि के लिए सिंचाई के जल और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि रबी की फसल अच्छी होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों को आवासी भू खंड और रोजगार

2627. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले यह निर्णय लिया था कि उन व्यक्तियों को जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाती है, आवासी भूखण्ड और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ख) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इन व्यक्तियों को अब तक कितने आवासी भूखंड दिए गए हैं तथा कितने पत्र विचाराधीन पड़े हैं और इनको आवेदन आवासी भूखंड कब तक आवंटित किए जाएंगे ; और

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा उन्हें किन श्रेणियों के पद दिए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में जिन व्यक्तियों को जमीन को अर्जित किया गया है उन्हें दिल्ली में भूमि का बड़ी मात्रा में अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक प्लाट का आवंटन किया गया है। डी० डी० ए० ने 1972/1973 में यह निर्णय किया है जिन व्यक्तियों की भूमि इस योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई है उनके बच्चोंको बिना रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्लाट के आकार और आवंटन किए जानेवाले क्षेत्र के संबंध में की गई सिफारिश के आधार पर प्लाट का आबंटन किया जाता है। जब कभी बच्चों की नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो रिक्तियों के होने पर उनके आवेदन पर विचार किया जाता है।

(ग) डी० डी० ए० ने सूचना दी है कि 2974 प्लाट आवंटित किए गए हैं और 194 आवेदन निलम्बित पड़े हैं। 194 निलम्बित मामलों में आवंटन शीघ्र ही किए जायेंगे।

(घ) निम्नलिखित श्रणियों में 11 व्यक्तियों को नौकरियां दी गई थीं :—

चपरासी	9
निम्न श्रणी लिपिक . . .	1
उद्धान पर्यवेक्षक	1

जिन दो व्यक्तियों को चपरासी के पद की पेशकश की गई थी उन्होंने अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है।

उन गांवों के लिए मास्टर प्लान जहां की जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई

2628. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय किया था कि उन गांवों का मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई है और उन्हें 'जोनल प्लान' का अंश बनाया जाए तथा इनकी पानी, सीवर और बिजली की मेन लाईन से जोड़ा जाए ;

(ख) कितने गांवों का मास्टर प्लान तैयार किया गया था और वहां उपभोक्ता सुविधायें प्रदान की गई थीं ;

(ग) कितने गांवों में अभी काम करना बाकी है ; और

(घ) शेष गांवों में काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है।

पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई के लिए धन

2629. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए धन देते समय पिछड़े क्षत्रों को उचित तथा विशेष महत्व दिया जा रहा है जहां सिंचित भूमि कम है तथा राष्ट्रीय औसत से भी कम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : सिंचाई राज्य-विषय है, इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करने का काम राज्य सरकारों का है। राज्यों पर बल दिया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सिंचाई का विकास राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, सिंचाई विकास अत्यावश्यक है और इसके लिए मास्टर योजना तैयार करने की जरूरत है। पांचवीं योजना में उप-योजनाओं द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास की नीति अपनाई गई है। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति जनसंख्या है, उन्हें उप-योजनाएं तयार करने के लिए निर्धारित किया गया है और इनके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, तथा गोवा, दमन और दीव के राज्य आते हैं। वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श में, जनजातीय उप-योजना के लिए राज्य योजना से दी जाने वाली धन-राशि और विशेष केन्द्रीय सहायता में से आबंटित की जाने वाली राशि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। 1978-79 के दौरान लगभग 12 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता जन-जातीय क्षेत्रों में सिंचाई विकास के लिए दी जाएगी। पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को विशेष रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

स्लम बस्तियां

2630. **श्री पी० कानन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लम बस्तियों का विस्तार और उनकी संख्या आधिक्य को रोकने के लिए सभी राज्यों ने योजनाओं के प्रयोजन पूर्ण क्रियान्विति के लिए कोई नई नीति बनाई है ; और

(ख) इस समस्या के विस्तार को रोकने के लिए अभी तक किए गए सभी उपायों की समीक्षा क्या है और उनका परिणाम क्या रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण करने के लिए राज्यों को सहायता

2631. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने काम-काजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण की लागत की 75 प्रतिशत राशि की सहायता राज्य सरकारों को देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों को यह पेशकश की गई है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं। श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों की योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को निर्माण की लागत के 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Scholarships by Federal Republic of Germany

2632. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Scholarships under various schemes are given in India by Federal Republic of Germany;

(b) whether such scholarships are properly utilised by Government; and

(c) whether Government's reaction thereto is fevourable?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a), (b) and (c): Yes Sir.

Damage of Rice in Jammu Godowns

2633. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of tonnes of rice in the godowns in Jammu has been damaged;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government Officers were responsible therefor; and

(c) if so, the action taken against the guilty officers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) No, Sir. Only 96 tonnes of rice was found damaged after salvaging wet stocks received from other regions during 1977-78.

(b) & (c): Do not arise.

Production of Seeds with world Bank Aid in Rajasthan

2634. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the National Seed Corporation is formulating schemes for the production of improved varieties of Seeds in five States with the assistance of World Bank and the outline of the work to be done in Rajasthan under this scheme;

(b) the names of the places to be selected therefor in Rajasthan and the expenditure to be incurred thereon as also the quantity of seeds to be produced there; and

(c) whether the producers would also be given a share thereof by involving them in this programme?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a), (b) and (c): The State Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Karnataka and Rajasthan have prepared projects for carrying out certified seed production. These have been appraised by the World Bank. The Government of Rajasthan intends to set up a State Seeds Corporation similar to these which have already been established in some other States. This Seeds Corporation would carry out certified seed production in identified project areas of Kota, Bundi and Sriganganagar districts. As the project, together with those of other States, is being considered by the Government of India, no firm figures of expenditure to be incurred and quantity of seeds to be produced in Rajasthan can be given at this stage. It is envisaged that 35% of the shares of the proposed Corporation would be held by seed growers.

नगर तथा देहात आयोजना संगठन में इंन्वेस्टिगेटर्स के पद

2635. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा देहात आयोजना संगठन में रिक्त इन्वेस्टिगेटर्स के रिक्त पदों पर कुछ अपर डिवीजन क्लर्क हैड क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या संगठन के तकनीकी कार्य को इंवेस्टिगेटर्स के पदों के न भरे जाने के कारण नुकसान हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पदों को भरने के लिए संगठन द्वारा क्या शीघ्र कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन विभाग में इनवैस्टीगेटर क रूप में कार्य कर रहे हेड क्लर्क

2636. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन में इनवेस्टीगेटरों के रिक्त पदों पर पदोन्नत कुछ उच्च श्रेणी लिपिक स्थानापन्न रूप में हैडक्लर्कों के पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह सही सही तारीख कौन सी है जब से वे इनवेस्टीगेटर के रिक्त पदों पर स्थानापन्न रूप में हैडक्लर्कों की स्थिति में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या आर्गेनाइजशन को किसी एसोसिएशन ने अथवा वरिष्ठ अधिकारियों ने इनवैस्टीगेटर के पदों पर भर्ती करने के बारे में भर्ती करने वाले प्राधिकारी का ध्यान दिलाया ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दो व्यक्ति 3-1-1977 से और अन्य दो व्यक्ति 24-2-1977 से कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रशासनिक विंग में निचले स्तर के पर्यवेक्षकीय पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया है कि इस प्रबंध को जारी रखा जाए ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में प्राइवेट एजेंसियां द्वारा मकान बनाया जाना

2637. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राइवेट निर्माण कम्पनियों को आम जनता के लिए बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहन देगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलू, विशेषकर ऐसे उद्धमों की लाभप्रदता की जांच कर ली है ; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी कि इन निर्माण कम्पनियों द्वारा प्राइवेट मालिकों की अपेक्षा उनके पास अधिक अच्छे संसाधन होने के कारण किरायदारों से अत्यधिक किराया न लिया जाए और उनका शोषण न हो ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ जोड़ने हेतु विश्व बैंक के माध्यम से अमरीकी प्रस्ताव

2638. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा के साथ जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना के बारे में विश्व बैंक के माध्यम से अमरीकी वित्त से प्रायोजित कोई प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा नहीं होते ।

औद्योगिक आवास योजना

2639. **श्री चित्त बसु :** क्या निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद नियोजकों ने औद्योगिक आवास योजना में रूचि नहीं दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सांस्कृतिक समझौते

2640. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों के साथ भारत का अधिकाधिक सांस्कृतिक समझौता अथवा समझौते हैं जिनके अन्तर्गत कलाकारों, विद्वानों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवा नेताओं, सांस्कृतिक ग्रुपों तथा शोधकर्त्ताओं के आदान प्रदान की व्यवस्था है ।

(ख) ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के आदान प्रदान की व्यवस्था है तथा सरकार इन व्यक्तियों का चयन किस प्रकार करती है;

(ग) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत भारतीय शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शोध सामग्री एकत्रित करने अथवा क्षेत्र कार्य करने हेतु अल्पावधि के लिए विदेशों को भेजा जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जिन देशों के साथ भारत ने सांस्कृतिक करार और सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम किए हैं, उनके नाम विवरण i और ii में दिये गये हैं ।

(ख) इन करारों में शिक्षा, कला और संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकों के शैक्षिक कार्यकलाप जन-स्वास्थ्य जन संचार माध्यम आदि भिन्न भिन्न प्रकार के विनियमों की व्यवस्था है ।

कलाकारों के चयन का प्रमुख मानदण्ड यह है कि सम्बधित व्यक्ति/दल क्षेत्र विशेष में विख्यात और उच्च कोटि के होने चाहिए तथा सम्बंधित संगठनों तथा संस्कृति विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित अन्तर-मंत्रालय स्थायी समिति की दृष्टि में भी ऐसी ही होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि चयन निष्पक्ष और विषय पूरक तथा योग्यता के आधार पर उस उद्देश्य को जिसके लिए शिष्टमण्डल भेजा जाना है और विदेशों में भारतीय मिशनों की सिफारिशों को, यदि कोई हो, ध्यान में रख कर किया जाए ।

जहां तक सांस्कृतिक कारारों और सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के उपबन्धो के आधार पर विदेशों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति शिक्षावृत्ति योजना, पारस्परिक छात्रवृत्तियां और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा परिचालित अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रश्न है, आवेदन पत्र समाचार पत्रों में खुल विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं और चयन इस कार्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों के दौरे के लिए शिक्षकों और छात्रों के चयन के लिए विश्वविद्यालयों से नामांकन आमंवित किए जाते हैं जिनकी जांच आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाती है और अन्तिम चयन इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। कुछ छात्रवृत्तियों के मामलों में आवेदन पत्र समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन के माध्यम से भी आमंत्रित किए जाते हैं।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारत को और सम्बंधित विदेश की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीज द्विपक्षीय शैक्षिक सम्बन्धो को विकसित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहयोग के प्राथमिकता क्षेत्रों और संस्थाओं का निर्धारण विशेषज्ञ समितियों की सहायता से करता है।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना विवरण III में दी गई है।

विवरण I

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक करार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	क्र० सं०	देश का नाम
1	अफगानिस्तान	11	कोलम्बिया
2	आस्ट्रेलिया	12	क्यूबा
3	अर्जेन्टीना	13	कोरिया जनवादी गणराज्य
4	अल्जीरिया	14	फ्रांस
5	बुल्गारिया	15	जर्मन संघीय गणराज्य
6	ब्राजील	16	यनान
7	बेंगलादेश	17	जर्मन जनवादी गणतंत्र
8	बेल्जियम	18	गुयाना
9	बेहरीन	19	हंगरी
10	चेकोस्लोवाकिया	20	ईराक

क्र०सं०	देश का नाम	क्र० सं०	देश का नाम
21	इन्डोनेशिया	37	रवन्डा
22	ईरान	38	सेनेगल
23	इटली	39	श्रीलंका
24	जापान	40	सूडान
25	जोरडन	41	सीरिया
26	कुवैत	42	तुर्की
27	लेसेथो	43	तुनिसिया
28	मंगोलिया	44	तंजानिया
29	मोरिशस	45	थइदेश
30	मेक्सिको	46	रुस
31	नार्वे	47	संयुक्त अरब अमीरात
32	पोलैंड	48	(संयुक्त अरब गणतंत्र) अरब मिश्र गणराज्य
33	फिलिपिन्स		
34	यमन जनवादी गणतंत्र	49	वियतनाम
35	रोमानिया	50	युगोस्लाविया
36	कोरिया गणतंत्र	51	जाम्बिया

विवरण II

उन देशों की सूची जिनके साथ भारत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम किये हैं

1. अफगाणिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. अरब मिश्र गणराज्य
4. बंगलादेश
5. बेल्जियम
6. बूल्गारिया
7. चैकोस्लोवाकिया
8. फ्रांस
9. जर्मनी का संघीय गणतंत्र
10. जर्मन जनवादी गणतंत्र
11. हंगरी
12. ईरान
13. ईराक
14. मोरिशस
15. मंगोलिया
16. मैक्सिको
17. पोलैंड
18. रोमानिया

19. सेनेगल
20. तुर्की
21. रुस
22. यमन जनवादी गणतंत्र
23. यूगोस्लाविया
24. सिरिया
25. वियतनाम

विवरण III

उस व्यवस्था को जिसके अन्तर्गत भारतीय अनुसंधान अध्येता और वैज्ञानिक अल्पावधि के लिए विदेश जा सकते हैं दर्शाने वाला विवरण

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में अध्यापकों और अध्येताओं के लिए अल्पावधि के लिए विदेश जाने की व्यवस्था होती है। अध्यापकों/अध्येताओं द्वारा इन दौरों का उपयोग अपने अनुसंधान कार्य हेतु सामग्री एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। विदेशों में क्षेत्रीय कार्य के लिए अध्येताओं को प्रतिनियुक्त करने हेतु भी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के उपबन्धों का उपयोग किया जा सकता है।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, ब्रिटिश परिषद्, भारतीय अध्यताओं को अपने अनुसंधान कार्य के लिए ऐसी स्त्रोत सामग्री एकत्र करने के लिए जो भारत में उपलब्ध नहीं है, इंग्लड का दौरा करने के लिए प्रति वर्ष एक सीमित अवधि उपलब्ध कराने हेतु भी सहमत हो गई है। अपने क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्य हेतु विदेशों में अध्यताओं को नियुक्त करने के लिए 5वीं योजनावधि के वास्ते विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराये गये आवंटन में भी व्यवस्था की गई है। फोर्ड फाउन्डशन भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्षेत्रीय अध्ययनों के विकास हेतु 3,00,000 डालर की राशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ साथ अध्यताओं को क्षत्रीय कार्य हेतु विदेश यात्रा के लिए भी किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग हेतु निम्नलिखित देशों के साथ अनुबन्धों का परिचालन करता है :--

सोवियत रुस, रोमानिया, बुल्गारिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, पोलैंड, चकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, तुर्की, श्रीलंका, पेरु, कोरिया गणराज्य, वियतनाम, जाम्बिया, जर्मन संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया और मैक्सिको।

इन अनुबन्धों में आमतौर पर वैज्ञानिकों और अनुसंधान अध्येताओं के विनिमय की व्यवस्था होती है। इन अनुबन्धों के अन्तर्गत, वैज्ञानिक और अनसंधान अध्येताओं के दौरों का प्रयोजन आमतौर पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगाना और उनका निष्पादन करना होता है विदेशो के साथ सहयोग के क्षत्रों का निर्धारण उन दशों के साथ परामर्श करके आपसी सम्बद्धता और लाभ के आधार पर किया जाता है।

Supply of water from Rajghat Dam for Irrigation

2641. **Shri Laxmi Narain Nayak:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of districts proposed to be supplied water from Rajghat dam for irrigation;

(b) whether survey of canal has been conducted with a view to supply water for irrigation to Tikamgarh district from Rajghat dam;

(c) whether it is a fact that the proposal to supply water for irrigation to Tikamgarh district is now being dropped and whether the Central Government will make efforts to ensure supply of water to Tikamgarh district; and

(d) the stage of construction work at Rajghat dam?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Lalitpur, Jhansi and Jalaun Districts of Uttar Pradesh and Guna, Shivpuri, Tikamgarh, Datia, Gwalior and Bhind Districts of Madhya Pradesh.

(b) Rajghat canal project has since been submitted by the Government of Madhya pradesh to Central Water Commission for technical examination. According to the project report an area of about 2800 ha. in Tikamgarh district would get irrigation benefits from the proposed canal systems during Rabi season.

(c) Does not arise.

(d) The construction of Rajghat Dam would be commenced soon under Betwa River Board.

सरकार के पास खाद्यान्न का स्टाक

2642. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्न के स्टाक में से कितना स्टाक पक्के गोदामों में रखा गया है और कितनी मात्रा खुले में रखी गई है; तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) दोनों प्रणालियों में भण्डारण पर प्रति टन कितनी लागत आती है; और

(ग) दोनों ही प्रणालियों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के कम हो जाने अथवा उनके खराब हो जाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई और इस हानि को कम करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31-12-1977 को केन्द्रीय/राज्य सरकार के खाते में खाद्यान्नों का कुल स्टाक 146.2 लाख मीटरी टन था, जिसमें से 92.2 लाख मीटरी टन पक्के गोदामों में और 54 लाख मीटरी टन पोलिथीन की चादरों से ढंक कर लकड़ी के क्रेटों पर खुले स्थान पर रखा गया था।

(ख) परम्परागत भण्डारण, साईलो और खुले मैदान में भण्डारण पर भारतीय खाद्य निगम को क्रमशः 55.30 रुपये, 82.70 रुपये और 40.90 रुपये प्रति मीटरी टन की परिचालन लागत पड़ती है ।

10—61 L.S.S. (N.D.)/78

(ग) पिछल तीन वर्षों के दौरान कमी तथा क्षतिग्रस्त स्टाक दोनों के कारण खाद्य निगम को जो कुल क्षति हुई वह इस प्रकार है :–

	भण्डारण में कमी मीटरी टन में	क्षतिग्रस्त मात्रा मीटरी टन में
1974–75	57,689	1650
1975–76	26,175	1696
1976–77	68,254	44126

जो उपचारी कार्यवाही की गई है उसे बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भण्डारण में क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये है :–

1. जो गोदाम बनाए गये हैं वे चूहें, दीमक तथा नमी से सुरक्षित है ।
2. मानसून से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी के रिसने को रोकने के लिए मरम्मत कराई जाती है ।
3. कीड़े, चूहें और पक्षियों के उत्पात को रोकने के लिए "पेस्ट कन्ट्रोल संबंधी" आधुनिक वैज्ञानिक उपाय किए जाते हैं ।
4. खाद्यान्नों के आवधिक निरीक्षण तथा उचित रखरखाव के लिए योग्य तथा तकनीकी रुप से प्रशिक्षित स्टाफ लगाये जाते है ।
5. खुले में रखे खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जाते हैं :—

1. स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उन्हें विशेष रुप से तैयार की गई पानी से सुरक्षित पोलिथीन की चादरीं से ढका जाता है ।
2. आंधी के कारण चादरों का उड़ने से बचाव करने के लिए पोलिथीन की चादरीं को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रसियां सुलभ की जाती है ।
3. मौसम के प्रकोप से और खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए प्रमुख केप काम्पलेक्सों में मोनो-फिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं ।
4. खाद्यान्नों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलिथीन को चादरों को समय समय पर बदलने की हमेशा व्यवस्था की जाती है ।
5. खाद्यान्नों को ठीक रखने के लिए मौसम के लिए खुले में रखे स्टाक का विशेष सावधानी से वातन किया जाता है ।
6. खुले मैदान में रखे स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण उपचार तथा परिरक्षण करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । लगभग दो वर्ष के बाद भी खुले मैदान में भंडारित काफी मात्राएं अच्छी हालत में है ।

कम लागत क रिहायशी मकान

2643. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण लागत कम करने के लिए किए गए अनुसंधान कार्यों में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) ढके हुए क्षेत्र (कवर्ड एरिया) की प्रति वर्गफूट क्या लागत होगी ;

(ग) क्या कोई माडल तैयार किए गए हैं और कालोनियां बनाई गई है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये इमारतें केवल निचली मंजिले (ग्राऊंड फ्लोर) की ही बनाई गई है; और

(ङ) कम लागत करने को दृष्टि से कितनी मंजिले उसमें और जोड़ी जा सकती हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां। मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी मकानों को लागत में कमी करने के लिए केन्द्रोय भवन अनुसंधान संस्थान, संरचनात्मक इंजोनियरी अनुसंधान केन्द्र आदि जैसे देश के विभिन्न अनुसंधान प्रयोग शालाओं/संस्थाओ ने बहुत अधिक अनुसंधान कार्य किया है ।

(ख) निर्मित क्षेत्र को प्रति वर्गफुट लागत भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है जो मुख्यतया भवन निर्माण सामुग्री की लागत, विशिष्टियों, निर्माण को तकनीकीयों और मकानो के डिजाइनो पर निर्भर करती है। 1975 में राष्ट्रोय भवन निर्माण संगठन और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बेर सराय, दिल्ली में लगाई गई निम्न लागत आवास प्रदर्शनी में विभिन्न अभिकरणों ने कुछ मकान बनाये थे जबकि उस समय 40 वर्ग मोटर कुर्सी क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के आवास के मामले में लागत 265 रुपये से 337 रुपये प्रति वर्गमीटर थो (24.65 रुपये से 31.35 रुपये प्रति वर्ग फुट) जिसमें स्वच्छता और विद्युत संस्थापना शामिल है ।

(ग) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की प्रयोगात्मक आवास परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधानों द्वारा निर्माण की तथा भवन निर्माण सामग्री की नई तकनीकियों को अपना कर निर्माण की लागत में कमी करने के लिए अनेक प्रयोगात्मक आवास परियोजनाएं बनाई गई है । आवास तथा नगर विकास निगम ने आगरा में एक प्रदर्शन परियोजना पूर्ण को है और गाजियाबाद, हैदराबाद और बम्बई में फिलहाल तीन अन्य प्रदर्शन परियोजनाएं फिलहाल निर्माणाधोन है । इन प्रयोगात्मक आवास योजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं में नई तकनीक और नई भवन निर्माण सामग्री प्रयोग की गई है ।

(घ) मकानों का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि स्थानोय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए इन पर एक अथवा इससे अधिक मंजिल बन सकती है ।

(ङ) जहां भूमि की कीमत अधिक है वहां बहु मंजिले मकान अपेक्षाकृत अधिक किफायती होते हैं । ऐसे मामलों में किफायत करने के लिए चार अथवा पांच मंजिल तक एक ईंट मोटी भारवाही दीवारों का निर्माण किया जाता है । आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा आगरा,

गाजियाबाद और हैदराबाद में जहां भूमि की कीमत अपेक्षाकृत कम है वहां प्रदर्शन परियोजनाओं के मकानों को एक मंजिला बनाया जा रहा है किन्तु इनका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जब दखलकार प्रत्येक मकान के ऊपर एक और मंजिल बनाना चाहें तो वे बना सकते हैं।

आगामी पांच वर्षों के दौरान सिंचित की जाने वाली भूमि का अतिरिक्त क्षेत्रफल

2644. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए उनके द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को देखते हुए आगामी पांच वर्षों में सींची जाने वाली भूमि के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) चालू वर्ष में वास्तविक उपलब्धि क्या है और ऐसी कौन-कौन सी योजनायें थीं जिनके अन्तर्गत यह प्राप्त हुई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अप्रैल 1978 से आरम्भ होने वाली मध्यावधिक पंचवर्षीय योजना में 17 मिलियन हैक्टयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के सृजन की परिकल्पना है, जिसमें से 8 मिलियन हैक्टेयर क्षमता का बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से और 9 मिलियन हैक्टेयर शक्यता का लघु सिंचाई कार्यों से सृजन किया जाना है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान सृजित की जाने वाली सम्भाव्य अतिरिक्त सिंचाई शक्यता 8.73 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 1.48 मिलियन हैक्टेयर शक्यता बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से और 1.25 मिलियन हैक्टेयर शक्यता लघु सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित की जानी है।

Central aid for Minor Irrigation Scheme

2645. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister for **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given by the Central Government to various States for minor irrigation schemes during 1977-78;

(b) the State-wise amount of assistance sought for the purpose;

(c) the additional area of land proposed to be brought under irrigation or the percentage of irrigation proposed to be increased during 1978-79 through the joint efforts of the Central and State Governments or in accordance with the plan; and

(d) whether it will be obligatory on the Central Government to give assistance to the States which intend to meet 70 to 80 percent expenditure from their own income on such schemes of Five Year Plans ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b) : An additional amount of Rs. 9 crores (over and above of State Plan outlays for minor irrigation) has been provided to the States by way of Central assistance during 1977-78. The State-wise amount of assistance sought and provided are given below:

(Rs. in crores)

S. No.	Name of State	As sought by the State Govt.	As sanctioned by the Planning Commission
1.	Himachal Pradesh	1.14	0.50
2.	Karnataka	4.52	2.00
3.	Kerala	2.00	1.00
4.	Madhya Pradesh	2.00	2.00
5.	Maharashtra	8.25	2.00
6.	Orissa	1.34	1.00
7.	West Bengal	0.66	0.50
	TOTAL :	19.91	9.00

(c) The additional area of land proposed to be brought under irrigation facilities during 1978-79 is yet to be finalised.

(d) No such scheme is under consideration of the Central Government.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में समिति का प्रतिवेदन

2646. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की जांच करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव देने के लिए गठित की गई समिति स सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है और उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी के लिए कोई अध्ययन किया है कि जिस उद्देश्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाया गया था वह किस सीमा तक पूरा हुआ है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) : 25 अक्तूबर 1977 के संकल्प संख्या 5 (33)-एफ० डी० (एल०)/77 द्वारा बनाई गई समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के लिए पुनरीक्षित बृहद् योजना

2647. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली की वर्तमान बृहद् योजना बहुत त्रुटिपूर्ण है और इसमें पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है;

(ख) दिल्ली के लिए दूसरी वास्तविक बृहद् योजना तैयार करने हेतु क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है;

(ग) दूसरी बृहद् योजना कब तक पूरी होगी; और

(घ) सरकार ने दूसरी बृहद् योजना के बारे में योजना निर्माताओं के सामने क्या मार्गदर्शी सिद्धांत रखे है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आयोजना की प्रक्रिया शहरों की वृद्धि की तरह ही एक सतत प्रक्रिया है और दिल्ली जैसे विकासशील शहर के लिए एक व्यापक पैमाने पर कोई भी भावी योजना युक्तियुक्त नहीं हो सकती ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को बृहत योजना के पुनरीक्षण/बनाने का कार्य सौंप दिया गया है ।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि किस तिथि तक योजना बनाने/उसका पुनरीक्षण करने का काम पूरा हो जाएगा ।

(घ) बृहद योजना को बनाने / उसके पुनरीक्षण के लिए आधारिक भूमिकाओं के रूप में काम आने वाले मार्ग निर्देशनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के भण्डारण के लिये उचित व्यवस्था न किये जाने के कारण हुई हानि

2648. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री के० लकप्पा :
श्री प्रद्युम्न बल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के भण्डारगण के लिये उचित व्यवस्था न होने के कारण वर्ष 1977–78 और 1976–77 के दौरान कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) उसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन मिल गया है जो उतारने चढाने के खर्चे आदि को कम करने के लिए बनाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खाद्यान्नों का भण्डारण किया जाता है । तथापि, खाद्यान्नों को कुछ क्षति अवश्य होती है, खासकर कैंप स्टोरेज में खाद्यान्नों को रखने से बाढ़, तूफान आदि जैसे तत्वों

से क्षति पहुंचती है। कैप स्टोरेज में क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य हुए खाद्यान्नों की मात्रा और उनका मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1976–77	42483	592
1977–78 (31–1–78 तक) . .	23473	315

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। समिति गेहूँ और चावल के बफर स्टाक को बनाए रखने की लागत को कम करने के बारे में जांच करेंगी। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। मंत्रियो का एक ग्रुप भी खाद्य निगम के वसूली तथा वितरण प्रभार में कमी करने के प्रश्न की जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट की भी प्रतिक्षा है।

विवरण

खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :

(1) स्टाक को लकड़ी के केन्द्रों में रखा जाता है और वर्षा से बचाने के लिए उनको विशेष रुप से बनायी गई पोलोथीन की चादरों से ढका जाता है।

(2) तेज हवा, आंधी आदि के कारण चादरों का उड़ने स बचाव करने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां सुलभ की जाती है।

(3) मौसम के प्रकोप से और सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लेक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं।

(4) खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए पोलोथीन की चादरों को समय समय पर बदला जाता है।

(5) घनीकरण के कारण क्षति को रोकने के लिए चादरों को उठाकर स्टाक का अति सावधानी से वातन किया जाता है।

(6) कैप में रखे गए स्टाक का नियमित रुप से निरीक्षण करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। भारी मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक कैप में लगभग दो वर्षों से पड़ा होने के बाद भी काफी अच्छी हालत में है। वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनायी गई कप स्टोरेज की तकनीक से लाखों मीटरी टन खाद्यान्नो को बचाया जा सका है और यदि ऐसा न किया जाता तो वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता क्योंकि स्टाक को रखने के लिए कोई भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं था।

(7) कैप स्टोरेज के स्थान पर अन्य प्रकार की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं। इन में टैस्कों की ऊंचाई को बढ़ाकर, सभी उपलब्ध साधनों से ढके हुए स्थान को किराए पर लेकर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारी संख्या में गोदामों

का निर्माण कर और भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी पार्टियों द्वारा गुदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करना शामिल है ।

Loss in maintenance of Levy Sugar by FCI

2649. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether this news is correct that in the maintenance etc. of levy sugar by Food Corporation, loss of Sugar worth about rupees two crore was suffered or this much sugar disappeared in 1976-77;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to check such a loss in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) & (c): The issue does not arise. Food Corporation of India has already taken necessary steps to keep the loss in storage and transit to the minimum.

सोवियत संघ में मंत्री का दौरा

2651. श्रीमती पार्वती कृष्णन्: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के उच्च तथा विशिष्ट माध्यमिक शिक्षा के मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में उनके साथ कोई बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : रूस के उच्चतर तथा विशिष्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्री के साथ रूस तथा भारत के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई थी :

1. प्रौढ़ शिक्षा,
2. रूस तथा भारत के विश्वविद्यालयों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करके वैज्ञानिक अनुसन्धान का विकास,
3. भारतीय विश्व विद्यालयों में रूस भाषा का विकास,
4. नौ सैनिक विज्ञान, तथा समुद्र विज्ञान इत्यादि,

इनमें से, कुछक प्रस्ताव, विद्यमान सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले ही शामिल हैं । नये कार्यक्रम तैयार करते समय अन्यों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

शहीदों का संग्रहालय

2652. **श्री के०मालन्ना** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें केवल शहीदों के चित्र, पत्र, डायरियां तथा अन्य दस्तावेज और प्रकाशन रखे जायेंगे;

(ख) क्या सरकार उनके सम्बन्ध में भी विचार करेगी जिन्हें 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोली मार दी गई थी अथवा फांसी पर चढ़ा दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) भारत सरकार विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय लोगो के संग्राम के सभी अवस्थाओं तथा पहलुओं में अनुसंधान को जहां कहीं आवश्यक हो, प्रोत्साहित करती रही है तथा उसमें सहायता देती रही है । संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और विश्व-विद्यालयो समत कई विख्यात संस्थाओं ने स्वतंत्रता संग्राम तथा संग्राम में भाग लेने वालों के इतिहास से सम्बन्धित सामग्री का संग्रह किया है अथवा इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान कर रही है । कई मोनोग्राफ तथा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है तथा आने वाले वर्षों में और पुस्तकों के प्रकाशित होने की संभावना है ।

Recommendations of Gujral Committee

†2653. **Shri Brij Bhushan Tiwari**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take action on the recommendations made by Gujral Committee in regard to development of Urdu language; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) & (b): Action on the recommendations contained in the report of the Committee for Promotion of Urdu (Gujral Committee) will be taken in due course.

Import of N.M.R. Spectrometer from West Germany

2654. **Shri Brij Bhushan Tiwari**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have imported N.M.R. spectrometer machines from West Germany;

(b) if so, the total value thereof; and

(c) when these machines were imported and since when they are being made use of ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) The total value of 5 units of N.M.R. Spectrometer is Rs. 7.69 lakhs.

(c) November, 1977. Arrangements are being made by the Company to install and demonstrate the equipment.

Number of Primary Schools Students

†2655. **Shri Brij Bhushan Tiwari:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the total number of Primary Schools Students in the country at present.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): According to the latest data available for 1976-77, 6,75,29,903 students were on the rolls in Primary classes I—V.

सोवियत संघ द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद

2656. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत के रेड-सिंधी, सहीवाल, तारापरकर और गिर नस्लों के दुधारु पशुओं को खरीदने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1977 में भारत का दौरा करने वाले पशुचिकित्सा वैज्ञानिकों के चार सदस्यीय सोवियत प्रतिनिधिमंडल के साथ क्या बातचीत की गई और क्या समझौते किये गए; और

(ग) चालू वर्ष में कितने दुधारू पशुओं का निर्यात किया जायगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। भारतीय नस्लों के पशु खरीदने के लिए सोवियत संघ से कोई सरकारी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

आल इंडिया पालिटेक्निक टीचर्स आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

2657. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पोलिटेक्निक टीचर्स आर्गनाइजेशन ने उनके संवर्ग में वेतन में वृद्धि के बारे में शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या उपरोक्त आर्गनाइजेशन ने कहा है कि यदि 18 मार्च तक उपरोक्त मांगे स्वीकार न की गई तो परीक्षाओं और अतिरिक्त कक्षाओं का बहिष्कार किया जाये; और

(ग) उपरोक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग): अखिल भारतीय पोलिटेक्निक अध्यापक संगठन ने पोलिटेक्निक के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को कार्यान्वित करने के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तथापि, उक्त ज्ञापन में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि मार्च, 1978 तक उनकी मांगे स्वीकार न की गई तो अध्यापक परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने तृतीय वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर, संघशासित क्षेत्रों में स्थित पोलिटेक्निकों के अध्यापकों के लिए वेतन मानों को संशोधित किया है तथा राज्य सरकारों से पोलिटैक्निकों में अध्यापकों को उक्त वेतनमान देने का अनुरोध किया है। पोलिटक्निकों के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाया जाएगा।

Price of Sugarcane Purchase by Cane-Crushers

2658. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the places in sugarcane growing States of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh etc. where Mills and cane-crushers have purchased sugarcane at a price higher than the minimum price fixed therefor;

(b) the names of the States from which complaints have been received to the effect that crusher owners also purchase sugarcane from farmers at a price less than the minimum price fixed therefor; and

(c) the action taken by Government against crusher owners who purchase sugarcane at low price ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Details of names of places in sugarcane growing States where sugar mills have purchased sugarcane at a price higher than the minimum price fixed therefor are not available but generally speaking, all factories pay a higher price. The final price paid would be higher since over and above the minimum notified price, factories are liable to pay 50% share of excess realisations from the sale of freesale sugar as additional cane price under the Sugarcane (Control) Order, 1966.

Except in the States of Uttar Pradesh, Haryana and Andhra Pradesh no minimum price has been fixed under the Sugarcane (Control) Order for cane purchased by cane crushers. Names of places in the sugarcane growing States where a higher price than the minimum fixed has been paid by crushers are not available with the Central Government.

(b) In so far as Central Govt. are aware, in U.P. some of the khandsari units have been detected making purchases of cane at rates lower than those fixed by the State Govt. and necessary legal action is being taken against them by the State Government.

(c) Since khandsari industry is controlled by the States Govt. necessary action, as and when considered necessary, is required to be taken by them by the States of Haryana, U.P. and Andhra Pradesh where minimum cane prices for khandsari have been fixed for the season of 1977-78. As stated above, the Govt. of U.P. is already taking legal action against the defaulters who have been detected making payments of cane price at the rates lower than those statutorily fixed by the State Govt.

10+2 प्रणाली आरम्भ करने के बाद विश्वविद्यालयों में फालतू हुए शिक्षक

2659. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री के० लक्कप्पा :
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालयों में अनेक शिक्षकों को अपनी नौकरी चले जाने की आशंका है चूंकि जुलाई के दौरान पहले वर्ष में बहुत कम विद्यार्थी प्रवेश लेंगे और अब जो विद्यार्थी XI कक्षा में हैं वें, शिक्षा के +2 के अन्तिम वर्ष XII कक्षा में प्रवेश पायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनको नियमित करने के लिये या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : उन राज्यों में, जो इस वर्ष जून-जुलाई में जमा 2 स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रवश करेंगे, विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में बहुत कम दाखिल होंगे । तथापि, आशा की जाती है कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय इस आधार पर कोई छटनी नहीं करेंगे क्योंकि यह केवल एक बदलती हुई अवस्था है ?

'फूड फार वर्क' (काम के लिए भोजन) कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा को चावल

2660. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार का त्रिपुरा को कितनी मात्रा में चावल देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : जी नहीं । 'काम के लिए भोजन' योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा को चावल की कुछ भी मात्रा न दिए जाने का प्रस्ताव है । योजना के अन्तर्गत राज्यों को केवल गेहूं की सप्लाई किया जाता है क्योंकि केन्द्रीय स्टाक में केवल गेहूं ही फालतू है ।

ट्रैक्टरों की मांग और सप्लाई में अन्तर

2661. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों की मांग गत 2 वर्षों से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में ट्रैक्टरों की मांग और उनकी सप्लाई के बीच क्या अन्तर है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के परामर्श के साथ ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) किसी वर्ष की ट्रैक्टरों की मांग में ट्रैक्टरों की वास्तविक बिक्री/सप्लाई तथा बकाया अनिष्पादित आदेश शामिल होते हैं । गत दो वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों की मांग में कमी आयी है ।

(ख) यदि पूर्ण रूप से देखा जाए, तो ट्रैक्टर के एक मेक को छोड़कर, उससे संबंधित बकाया आदेशों की संख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, ट्रैक्टरों की मांग तथा सप्लाई में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : अन्य बातों के साथ साथ वास्तविक उत्पादन का संबंध मांग के साथ जुड़ा रहेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ वर्षों में सामान्य कार्यों के लिए ट्रैक्टरों की संभावित मांग पूरी करने के लिए वर्तमान लाइसेंस क्षमता काफी पर्याप्त है ।

Talks with Nepal regarding River Valley Projects of U.P.

†2662. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether during his visit to Nepal, the Prime Minister had any talks with the Nepalese Government about the three major River Valley Projects of U.P. on the Ghaghra, Rapti and Sharda rivers in relation to Karnali, Maluvang and Pancheshwar, respectively ;

(b) the main points of the agreement concluded in this regard ; and

(c) when the survey of these projects is likely to be undertaken by the Joint Indo-Nepal survey team ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) The joint communique issued at the conclusion of the visit of the Prime Minister of India to Nepal included the following decisions :—

"(i) **Karnali Project :**

India affirmed its desire to purchase the surplus power from the project. As a first step, it has already been agreed to establish a committee to examine the preliminary issues with regard to the execution of the project. India has already

nominated her representatives for this committee. It was now decided that the terms of reference would be settled and the committee will meet within a period of three months and submit its recommendations within one year.

(ii) **Pancheshwar Hydro-Electric Project :**

Both sides decided to nominate their representatives within a period of three months to start the joint investigations relating to the Pancheshwar Hydro-Electric Project, to be located on the borders of India and Nepal, on river Mahakali (Sarda). It was also agreed that both the countries will give all facilities and assistance for the early completion of the investigations.

(iii) **Rapti Project :**

It was noted that the feasibility of a multipurpose project on river Rapti at Bhalubhang in Nepal has been established and in keeping with their desire for the early execution of the project for the benefit of the two countries, it was agreed that experts of the two sides should meet within one month to finalise the arrangements and to prepare detailed projects estimates within two years.

(c) A Nepalese delegation visited India in January, 1978 and the manner in which detailed investigations in respect of Rapti project should be carried out was discussed. The experts of the two countries are expected to meet shortly to finalise it. The draft terms of reference for the committee of working group of officials on Kamali project have been forwarded to His Majesty's Government of Nepal and the first meeting of the committee is expected to be held shortly. In regard to Pancheshwar project names of Indian representatives in the joint expert's group have been communicated to His Majesty's Government of Nepal.

सिंचाई योजनाओं की लागत में वृद्धि

2663. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के तैयार किये जाने की अवधि से वर्ष 1977 तक पूरे देश की बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं में कई सौ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार संबंधित सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को प्रक्रियाओं में तेजी लाकर उपरोक्त बढ़ती हुई लागत में कमी करने के लिये कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवीं योजना के आरंभ में निर्माणाधीन बृहद/मध्यम सिंचाई स्कीमों को अनुमानित लागत लगभग 3592 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1977 में 5100 करोड़ रुपये हो गई ।

इस लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) मूल्यों में वृद्धि ;

(2) अपर्याप्त प्रावधान ;

(3) परियोजना के आकार में परिवर्तन ;

(4) अभिकल्प में परिवर्तन तथा अतिरिक्त आवश्यकताएं ;

(5) अपर्याप्त अन्वेषण ; और

(6) अन्य कारण जैसे भूमि की लागत में वृद्धि, पुनर्वास उपाय आदि ।

(ग) नवम्बर, 1977 में हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियो के तीसरे सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि निर्माणाधीन स्कीमो को समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने को सुनिश्चित करने हेतु उनके पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए । राज्यो को वार्षिक योजनाओं पर विचार-विमर्श करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निर्माणाधीन बृहद और मध्यम परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए । कुछ चुनी हुई सिंचाई स्कीमों को प्रगति में तजी लाने के लिए 1975-76 और 1976-77 के दौरान 55.80 करोड़ रुपये और 39.90 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी। इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

स्काऊट और गाइड आन्दोलन

2664. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वतन्त्रता, अर्थात 15 अगस्त, 1947 के बाद और उससे पूर्व भी देश में स्काऊट और गाइड आन्दोलन काफी प्रचलित रहा है ;

(ख) क्या सरकार उक्त आन्दोलन के लिये अनुदान और उपहार दोनों के रूप में कोई वित्तीय सहायता देती है और यदि हां, तो वर्ष 1975, 1976 और 1977 के लिये इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क), (ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1788/78]**

भारतीय पुस्तक प्रकाशन हेतु सहायता

2665. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न विदेशी पुस्तक प्रकाशनों के आयात और विभिन्न भारतीय प्रकाशनों के निर्यात सहित भारतीय पुस्तक प्रकाशन की उदार, ठोस और कारगर सहायता करने की नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा अपनाये गये तरीके और उपाय क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) सरकार की नीति भारत में पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक निर्यात को प्रोत्साहन देने की है। पुस्तकों की आयात नीति इस प्रकार से बनाई गई है कि ज्ञान का प्रवाह विशेष रूप से शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में अबाध रूप से हो।

(ख) पुस्तक प्रकाशन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ तरीके और उपाय निम्नलिखित है:—

प्रकाशन :

1. लेखकों को शिक्षावृतियां,
2. लेखकों और प्रकाशकों को कर में छूट,
3. विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों के निर्माण में सहायता,
4. अनुवादकों का प्रशिक्षण,
5. पुस्तक प्रवृत्ति और पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।
6. कथा-साहित्य और इसी श्रेणी की अन्य पुस्तकों के आयात का उचित प्रतिबन्ध ।
7. प्रकाशन उद्योग द्वारा स्थानीय पुनर्मुद्रण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक आयात कर्त्ता द्वारा एक ही पुस्तक की 2000 प्रतियों से अधिक के आयात पर प्रतिबन्ध ।

भारतीय पुस्तकों का निर्यात :

1. नकद प्रोत्साहन,
2. निर्यात की गई पुस्तकों के मूल्य के 35% तक आयात करने की अनुमति,
3. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में सहभागिता,
4. विदेशों में भारतीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना ।

सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल]

2666. श्री पो० जो० मावलंकर :
श्री वयालार रवि :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में हमारे देश से एक अथवा इससे अधिक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों ने एक अथवा इससे अधिक देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल सरकारी अथवा अर्धसरकारी अथवा गैरसरकारी थे;

(घ) इस अवधि में इस बारे में सरकार ने कुल कितना खर्च (भारतीय और विदेशी मुद्रा दोनों में) किया;

(ङ) ऐसे सभी भारतीय कलाकारों, लेखकों आदि के नाम क्या है जो उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे; और

(च) इन प्रतिनिधियों का चयन करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये मानदंड क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1789/78]

(च) ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए यह मानदण्ड है कि संबंधित व्यक्ति/दल क्षेत्र विशेष के ख्याति प्राप्त तथा महत्व रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए और जिन्हें सम्बन्धित संगठनों तथा इसी प्रयोजन से मंजूर विभाग द्वारा गठित अन्तर मंत्रालीय स्थायी समिति द्वारा भी उपयुक्त समझा जाता हो । जिस प्रयोजन के लिए इन प्रतिनिधि मण्डलों को प्रायोजित किया जाना है, तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की यदि कोई सिफारिशें हो तो उन्हें ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उक्त चयन निष्पक्ष वस्तुपरक तथा योग्यता के आधार पर हो ।

Oilseeds Development

2667. **Shri Dharmasinghbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) when All India Oilseeds Development Council was constituted to increase oil seeds production and the name of the chairman and the members thereof ;

(b) the programme of the Council;

(c) the varieties of oilseeds being produced in the country at present and the quantity thereof separately ; and

(d) the varieties of oilseeds in respect of which the production will increase during the next four years, year-wise and the quantity thereof separately ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Indian Oilseeds Development Council was initially constituted on 16-4-1966. It has been reconstituted, from time to time, and the last reconstitution was done on 12-10-1977. The names of the Chairman and the members of the reconstituted Council are indicated in the enclosed list (Annexure I). **[Placed in Library. See No. L.T. 1790/78].**

(b) The Council is an advisory body and its functions are indicated in Annexure II. The recommendations of the Council are taken into consideration in formulating programmes on development, marketing etc. of oilseeds.

(c) The oilseed crops produced in the country and their estimates of production during 1976-77 are indicated below :—

Crop	(Production '000 tonnes)
1. Groundnut	5262.4
2. Castor	172.2
3. Sesamum	403.9
4. Rapeseed & mustard	1561.8
5. Linseed	430.7
6. Safflower	217.0
7. Niger	110.0
Total	8158.0

In addition to the above traditional oilseed crops, two non-traditional oilseed crops, sunflower and soyabean are also being cultivated in the country. Estimates of production of these crops are at present not available.

(d) It is proposed to increase the production of all oilseed crops, viz., groundnut, rapeseed & mustard, castor, sesamum, linseed, safflower, niger, sunflower and soybean. The targets for the next five years have not been finalised.

Yield of Cows of Shreshtha Gopalak

2663. **Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Shri Harilal Chhagan Lal Patel of Dhoraji city in Rajkot district of Saurashtra region in Gujarat has been given the award of "Shreshtha Gopalak" ; and

(b) if so, per cow yield of milk obtained by Shri Harilal Patel from his cow during the last four years, year-wise ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No award by the name of "Shreshtha Gopalak" is given by Government of India, However "Gopal Ratna" title was awarded to Shri Hiralal Chhaganlal Patel of Dhoraji, District Rajkot, Gujarat, under the All India Milk Yield Competition conducted during 1975-76.

(b) The milk yields obtained from the prize winning cows of Shri Patel under the All India Milk Yield Competition, year-wise, are stated below :—

Year	Breed & name of cow	Milk yield (24 hours)
1972–73	Gir (Reshma)	24.225 Kgs.
1973–74	Gir (Laxmi)	27.300 Kgs.
1974–75	Gir (Laxmi)	29.775 Kgs.
1975–76	Gir (Laxmi)	31.050 Kgs.

उड़ीसा में पटसन उत्पादन के मामले में नई बाधाएं

2669. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने देश, विशेषरूप से उड़ीसा राज्य में पटसन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने और उसके उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए कोई विशेष प्रयास किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जी हां । देश में पटसन की खेती का क्षेत्रफल तथा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अतिरिक्त, उड़ीसा सहित अधिक पटसन पैदा करने वाल राज्यों के चुने हुए जिलों में सधन पटसन जिला कार्यक्रम से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1972-73 से आरम्भ की गयी है । इस योजना को क्रियान्वित किए जाने के फलस्वरूप 1973-74 में उड़ीसा में पटसन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा, परन्तु अगले दो वर्षों में क्षेत्रफल कम हो गया था। जबकि उस अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई थी । तथापि, 1976-77 में क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता में पुनः वृद्धि हुयी तथा उड़ीसा के पुरी तथा बालासौर जिलों के अपरम्परागत क्षेत्रों में पटसन की खेती के प्रयास जारी रखे जा रहे हैं । उड़ीसा में उत्पादन को अधिक से अधिक बढाने में आने वाली मुख्य बाधाओं में कच्चे पटसन का अलाभकारी मूल्य, बुआई के मौसम में सिंचाई नहरों का बन्द हो जाना तथा डेल्टा के क्षेत्रों में ग्रीष्म मौसम के धान का विलम्ब से काटा जाना है, जिनके कारण पटसन की उत्पादनशीलता पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है ।

उत्पादकों को उचित लाभकारी मूल्य देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय पटसन निगम की स्थापना की है, ताकि कच्चे पटसन का मूल्य निर्धारित न्यूनतम वैध मूल्य से नीचे न गिरे ।

दिल्ली अभिलेखागार द्वारा दस्तावेजों का प्राप्त किया जाना

2670. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य राज्यों के अभिलेखागारों और पुस्तकालयों से दिल्ली से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियों, पाण्डुलिपियों और अन्य एतिहासिक सामग्री दिल्ली के अभिलेखागार के लिए प्राप्त करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार की ब्रिटिश अभिलेखागारों और संग्रहालयों तथा इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से भी सामग्री प्राप्त करने की योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन को क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत तथा विदेशों में दिल्ली से सम्बन्धित अभिलेखों तथा अन्य स्रोत सामग्री की प्रतियां दिल्ली अभिलेखागार द्वारा अधिग्रहण कर ली जाएं । यह सिफारिश दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

Land to Bangladesh refugees in Bastar, Pakhanjor, Konda and Malkangiri

2671. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether refugees from Bangladesh have been rehabilitated in Bastar, Pakhanjor, Konda and Malkangiri in Madhya Pradesh;

(b) whether land has been given to them for residential and agricultural purposes ; and

(c) whether there are still such persons who have not been given land and their children are also unemployed and if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): (a) Yes Sir. Displaced persons from erstwhile East Pakistan have been resettled in Pakhanjore in Paralkote Zone as well as Kondagaon Zone in district Bastar in Madhya Pradesh. They are also being resettled in Malkangiri Zone which is in Orissa State.

(b) Yes Sir.

(c) There are 4,574 displaced families in *Karmi shibirs* in Dandakaranaya as on 15th February, 1978 who are yet to be given land but are being given relief assistance in the shape of cash doles, ration at subsidised rates and clothing, pending their resettlement. This covers their children who are not employed on manual labour. They are also being provided with work to the extent available, on payment of wages.

In addition, there are 4,049 displaced families in Tawa and Dolariya worksite Camps, in Madhya Pradesh who too, are being given relief assistance and other facilities as indicated above. Of these, 3,600 families are earmarked for settlement in the Dandakaranaya Project and the remaining families will be settled in Madhya Pradesh and other States.

Barring about 200 families for whom land is being reclaimed in Paralkote Zone for their rehabilitation, the remaining families numbering about 7,974 will be settled in Malkangiri Zone (Orissa) for whom land is being reclaimed there.

Provision of Drains in Dughawa Dam in Bastar

†2672. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether proper drains have not been provided for irrigating the agricultural land under the Dughawa dam in Bastar district of Madhya Pradesh so far; and

(b) if so, the scheme of Government in this regard and the time by which the drains will be provided there so that the uncultivated land may be brought under cultivation and the agricultural labourers may get employment?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b): The Government of Madhya Pradesh has been requested for supply of necessary information. This will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

फतहपुर सीकरी में भवनों का रख-रखाव

2673. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतहपुर सीकरी में बहुत से भवन, विशषकर, बुलन्ददरवाजा, बड़ी मस्जिद कम्पलेक्स के रख-रखाव की स्थिति खराब है ;

(ख) क्या बड़ी मस्जिद में पत्थरों पर पच्चीकारी का काम बहुत खराब हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पच्चीकारी के काम को उसकी मूल स्थिति में लाने तथा भविष्य में इसे खराब होने से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : बड़ी मस्जिद में पत्थर के कुछ जड़ाऊ टुकड़े गायब है । इन गायब जड़ाऊ टुकड़ों के लिये इस स्मारक में पुनः स्थापन का काम प्रगति पर है ।

ज्वार-भाटे से होने वाले विनाश को रोकने के लिए उड़ीसा के तट का सर्वेक्षण

2674. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वार-भाटे से होने वाल विनाश को रोकने के लिये उड़ीसा के तट के साथ-साथ वायु अवरोधक बागान लगाने और संरक्षात्मक बांध बनाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये सुवर्ण-रेखा नदी के मुहाने से चिल्का झील तक उड़ीसा तट का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : केन्द्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में सुबर्ण-रेखा से चिल्का झील तक

के तटवर्ती इलाकों में ज्वारीय बाढों से होने वाली क्षति को कम करने के विभिन्न उपायों का अध्ययन करने के लिए नवम्बर, 1971 में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो फरवरी, 1974 में प्रस्तुत की गयी थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि तटवर्ती पट्टी के साथ-साथ एक किलोमीटर तक के क्षेत्र में वृक्ष लगाये जाएं और जहां कहीं जरूरी हो वहां ऊंची ज्वार को तटवर्ती क्षेत्र के अन्दर की ओर आने से रोकने के लिए तटबंधो की व्यवस्था की जाए ।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

2675. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधिनियम के अधीन लगभग कितने आवेदन पत्र दाखिल किए गए है ; और

(घ) अब तक लगभग ऐसे कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) **तथा** (ख) : जी, हां। संशोधन के लिए प्रस्तावों का रहस्योदघाटन करना लोक हित में नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई फालतू रिक्त भूमि के विवरणों की संख्या तथा जिन विवरणो की जांच की गई है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	राज्य	प्राप्त हुए विवरणों की संख्या	छानबीन किए गए विवरणों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	25553	10098
2	असम	—	—
3	बिहार	2193	127
4	गुजरात	40221	5241
5	कर्नाटक	31126	3353
6	महाराष्ट्र	62463	62463
7	मध्य प्रदेश	2613	1076
8	उड़ीसा	571	40

क्रम संख्या	राज्य	प्राप्त हुए विवरणों की संख्या	छानबीन किए गए विवरणों की संख्या
9	पंजाब	5433	1470
10	राजस्थान	—	
11	उत्तर प्रदेश	110837	53562
12	पश्चिम बंगाल	28838	8912
13	तमिल नाडु	8997	8997
	संघ राज्य क्षेत्र		
1	चण्डीगढ़ प्रशासन	102	—
2	दिल्ली	7860	1894
3	पांडिचेरी	700	120
4	रक्षा मंत्रालय (कन्टोनमेंट एरियाज)	3546	3211

चावल की प्रति हेक्टेयर उपज

2676. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा में हाल में प्राप्त प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का ब्यौरा क्या है और अन्य राज्यों में अधिकतम उत्पादन के साथ ऐसी उत्पादकता का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दो राज्यों में बढ़ी हुई उत्पादकता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य सभी राज्यों को किसी समेकित योजना को सिफारिश की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान पंजाब और हरियाणा में चावल के उत्पादन तथा अन्य राज्यों में चावल की प्रति हैक्टेयर उपज के बारे में एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है । वर्ष 1977-78 के लिए चावल की उत्पादकता के बारे में इसी प्रकार के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति अर्थात जुलाई-अगस्त, 1978 के आस-पास, उपलब्ध होने की संभावना है । तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनसार सन् 1977-78 में पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन सन् 1976-77 में प्राप्त स्तर की तुलना में अधिक होने की संभावना है ।

(ख) पंजाब और हरियाणा में चावल की अधिक उपज के प्रमुख कारणों में निम्नांकित बातें शामिल हैं । (1) सिंचाई सुविधाओं, विशेषकर भमिगत जल संसाधनों का

विकास, (2) चकबंदी के कारण सिंचाई का अधिकतम लाभ, (3) अधिक उपज देने वाली उपयुक्त किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि, (4) आदानों, विशेषकर रासायनिक उर्वरकों तथा कृमिनाशियों की खपत में बढ़ोतरी, (5) अधिकांश कृषकों द्वारा उन्नत पैकेज प्रणालियों का अपनाना और (6) ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास; जिससे कृषकों को अपने अत्यधिक उत्पादन को शीघ्रता से मंडी में ले जाने में आसानी होती है ।

(ग) जी हां ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	उपज कि० ग्रा० है० में	वर्ष
1.	आन्ध्र प्रदेश	1657	1975-76
2.	असम	1052	1972-73
3.	बिहार	974	1971-72
4.	गुजरात	1246	1975-76
5.	हरियाणा	2468	1976-77
6.	हिमाचल प्रदेश	1301	1975-76
7.	जम्मू और कश्मीर	1941	1973-74
8.	कर्नाटक	1892	1975-76
9.	केरल	1575	1972-73
10.	मध्यप्रदेश	838	1975-76
11.	महाराष्ट्र	1592	1975-76
12.	मणिपुर	1560	1975-76
13.	मेघालय	1246	1976-77
14.	नागालैंड	1019	1976-77
15.	उड़ीसा	967	1975-76
16.	पंजाब	2583	1976-77
17.	राजस्थान	1485	1975-76
18.	तामिल नाडु	2129	1976-77
19.	त्रिपुरा	1221	1975-76
20.	उत्तर प्रदेश	929	1975-76
21.	पश्चिम बंगाल	1304	1971-72
22.	अण्डमान और निकोबार	1571	1972-73
23.	अरुणाचल प्रदेश	886	1976-77
24.	दादरा और नगर हवेली	1558	1976-77
25.	गोवा, दमन और दीव्	1709	1973-74
26.	मिजोराम	995	1971-72
27.	पांडिचेरी	2822	1973-74
	अखिल भारत	1235	1975-76

छोटे शहरों का विकास

2677. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए गत बारह महीनों के दौरान क्या ठोस कदम उठाये गए है ; और

(ख) विकास केन्द्रों और छोटे शहरों के विकास को बढावा देने के लिए क्या निश्चित योजनाएं बनाई गई हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) महानगरों की समस्याएं राज्य सरकारों के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं । केन्द्र सरकार का काम इसमें केवल सलाह देना है तथा इस सलाह देने की भूमिका निभाने में उन्हें महानगरों के औद्योगिक विकास को पुनः नियमित करने, महानगरों के समीप वैकल्पिक औद्योगिक केन्द्र खोजने को प्रोत्साहन देना, महानगरों से कारखानों को बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहन देना आदि शामिल है ।

(ख) विकास केन्द्रों तथा छोटे शहरों को बढावा देने की योजनाओं में छोटे शहरों के एकीकृत विकास के लिए आर्थिक सहायता- जलपूर्ति, स्वच्छता और आवास जैसी भूलभूत सुविधाओं के लिए सहायता देना और क्षेत्रीय ऐसी योजनाएं बनाना शामिल हैं जिनमें विकास केन्द्रों और छोटे शहरों का उल्लेख हो जिनका विकास किया जा सके ताकि महानगरों में लोगों के आने का दबाव कम हो सके ।

राज्यों में शिक्षा की 10+2 प्रणाली

2678. **श्री अहमद एम० पटेल :**
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों ने शिक्षा की 10+2 प्रणाली को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिल नाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, गोआ, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षा की 10+2 प्रणाली अपना

लो है । हरियाणा, नागालैण्ड तथा पंजाब के राज्यों द्वारा 1978-79/1979-80 से नई प्रणाली अपनाने की सम्भावना है । शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने सिद्धान्त रूप में इसे स्वीकार कर लिया है, परन्तु लागू करने की अन्तिम तारीख का अभी निर्णय करना है । कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देरी के मुख्य कारण हैं :—

(1) धन की कमी (2) स्रोत कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा अध्यापकों का पूर्वाभिमुखीकरण (3) नए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के अनुसार, क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री का उपलब्ध न होना ।

अगस्त, 1977 में नई दिल्ली में हुई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मलन ने सिफारिश की है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्कूली शिक्षा के 10+2 पद्धति सारे देश में कार्यान्वित की जाए ।

इतिहास की पुस्तकों का वापस लिया जाना

2679. **श्री लखन लाल कपर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार इतिहास की पुस्तकों को वापस लिये जाने के प्रस्ताव के बारे में विशेषज्ञों की राय ले ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जिन विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया था उनमें से कुछेक की राय अभी प्राप्त होनी है ।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

2680. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1937 से 1947 तक के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास प्रकाशित करने सम्बन्धी परियोजना की क्या प्रगति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : सरकार ने सन् 1937 से 1947 तक स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का लेखन प्रायोजित नहीं किया है । तथापि, उसने "स्वतंत्रता की ओर" नामक एक परियोजना अनुमोदित की है जिसमें सन 1937 से अगस्त, 1947 तक की सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्रोत सामग्री दस खण्डों में प्रकाशित करने की परिकल्पना की गई है । यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रुप से कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना को मार्च, 1985 के अन्त तक पूरी करने का लक्ष्य है।

खाद्यान्नों को लाने ले जाने में हुई क्षति

2681. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री खाद्यान्नों के रक्षित भंडार के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के लाने ले जाने में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति हुई ; और

(ख) क्षति हुए खाद्यान्नों की कीमत कितनी थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : 88 लाख रूपये के मूल्य के 7393 मीटरी टन खाद्यान्न जनवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 तक मार्ग में क्षतिग्रस्त हुए थे ।

Building loans to employees of Central Universities

†2682. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision regarding grant of house building loan to the employees of Central Universities ;

(b) if so, when they are likely to get this facility ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a), (b) & (c) : The proposal for grant of house building loan to the employees of Central Universities is still under consideration of the Government.

Property rights to refugees settled in Kashmir

2683. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Reahabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Government of Kashmir have not yet granted property rights to the refugees who came from Pak occupied Kashmir at the time of partition of India as a result of which their future is in dark ; and

(b) if so, the steps taken so far and proposed to be taken in future by Government to ensure property rights to these refugees in Jammu and Kashmir State ?

The Minister of State for Works Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a) and (b) : The Displaced Persons (Permanent Settlement), Act, 1971 enacted by the Government of Jammu and Kashmir, provides for the acquisition of evacuee lands and conferring property rights on the refugees to whom the evacuee lands in the State have been allotted. The question of granting proprietary rights in respect of evacuee lands allotted to the refugees from Pak-occupied Kashmir is, therefore, primarily a matter for the Jammu and Kashmir Government to decide.

It is understood that the Refugees will acquire the status of occupancy tenants in the evacuee lands allotted to them consistent with and under the provisions of the Agrarian Reforms Bill recently passed by the Jammu and Kashmir Legislature.

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में नियुक्तियां

2684. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में नियुक्तियां की गई थी तब एक विशिष्ट राजनीतिक दल के साथ सहानुभूती रखने वाले एक विशिष्ट विचार धारा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई थी;

(ख) परिषद ने कितनी परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया और वह राशि किन विश्वविद्यालयों अथवा व्यक्तियों को दी गई;

(ग) इस परिषद के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं और इसके समुचे कार्यकरण के बारे में मंत्रालय की राय क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि एक विशिष्ट विचार धारा के हिमायती प्रोफेसर इस परिषद के कार्यकरण पर सम्पूर्ण प्रभुत्व रखते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि सत्यापित नहीं है ।

(ख) अगस्त, 1977 तक परिषद ने शोध अनुदानों, शिक्षावृत्तियों, अध्ययन भ्रमण इत्यादि के रूप में 334 परियोजनाओं को स्वीकृत किया था । इनमें से 163 परियोजनाएं देश के 40 विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अध्येताओं के नाम में थी तथा शेष 171 कालेजों अथवा अन्य संगठनों में काम करने वाले अध्येताओं अथवा बिना प्रभारी के व्यक्तियों के नाम इनके विवरण परिषद की वार्षिक रिपोटों में दिए गए हैं जो कि समय-समय पर सदन के पटल पर रखी जाती हैं ।

(ग) परिषद की स्थापना के उद्देश्य ये थे :—देश की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक परम्परा के लिए इतिहास का सोद्देश्य तथा कुशल लेखन के प्रोत्साहन के लिए समय-समय पर ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रगति का पुनरीक्षण ऐतिहासिक अनुसंधान के कार्यक्रमों को समर्थन देना उन क्षेत्रों अथवा विषयों को पहचानना जिन पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है इत्यादि । परिषद का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है तथा अब तक के परिषद के कार्य का मूल्यांकन उनके कार्यभार संभालने पर यथाशीघ्र उनके परामर्श से किया जाएगा ।

(घ) पदेन सदस्यों तथा सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त परिषद के सभी सदस्य इतिहासकारों की हैसियत में सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं ।

लद्दाख में पशु चिकित्सालय

2685. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में कितने पशु-चिकित्सालय हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) वहां और अधिक पशु-चिकित्सालय खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : चूंकि कृषि और सिंचाई मंत्रालय के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, अत: यह जम्मू व कश्मीर राज्य के प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Rules for Transfer of Teachers in Central Schools

†2686. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a whether any proper rules have been framed in respect of transfers of teachers and other employees of the Central Schools;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if there are no such rules, when they will be formulated and whether these rules will be applicable to all types of employees working in the Central Schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a), (b) and (c): According to the conditions of service under the Kendriya Vidyalaya Sangathan, all categories of teachers and non-teaching staff in Kendriya Vidyalayas are liable to transfer anywhere in India as Kendriya Vidyalayas are located all over the country. However, in actual practice, after initial posting, transfers are generally made only on request, except some unavoidable transfers in public interest. Further, in order to meet the requirements of experienced staff in new schools and difficult stations, Principals and senior teachers are liable to be transferred after they have served for some years at a particular station.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

श्री सोगत राय (बैरकपुर): श्री जयप्रकाश नारायण पर एक बैठक में ईंटें बरसाये जाने तथा रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम पर पटना में हमला करने के मामले पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सौगत राय : यदि रक्षा मंत्री का ही जीवन सुरक्षित नहीं तो जनता राज्य में हरिजनों का जीवन कसे सुरक्षित रह सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह प्रश्न उठाने का कोई लाभ नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वक्फ जांच समिति का अन्तिम प्रतिवेदन, 1976, भाग 1 और 2

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं वक्फ जांच समिति से अंतिम प्रतिवेदन 1976--भाग 1 और 2 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए सं० एल० टी० 1749/78]**

श्री वयालार रवि (चिरचिक्कील) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ज्योंही प्रश्न काल समाप्त हो जाय...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप स्थगन प्रस्ताव के बारे पूछना चाहते हैं तो....

श्री वयालार रवि : नियम 377 के अधीन दिये गये नोटिस का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मैंने इसके बारे में अनुमति दे दी है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरीम प्रतिवेदन, मध्य प्रदेश वन विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रुई पटसन, मूंगफली और तम्बाकू के विपणन और मूल्यों के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं पर राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण **) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1750/78]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1751/78]**

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इन पत्रों के हिंदी संस्करण रखने में विलम्ब हुआ है । कृषि मंत्री ने अंतरिम रिपोर्ट सभा पटल पर रखी है जब कि श्री जयप्रकाश नारायण सम्बन्धी अंतरिम रिपोर्ट को रखने की अनमति नहीं दी गयी । इसके अतिरिक्त हिंदी संस्करण रखने में बहुत विलम्ब होता है । ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है । हिन्दी अनुवाद समय पर होना चाहिये । मुझे आशा है कि अध्यक्ष महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

शिक्षा आयोजकों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज सम्बन्धी पत्र

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) शिक्षा आयोजकों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 से 1974-75 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) (एक) यह स्पष्ट करने वाला कि उपर्युक्त प्रतिवेदनों से सरकार सहमत है और इसलिए पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है तथा (दो) प्रतिवेदन को सभा पटलपर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०. 1752/78]

श्री पी० जी० मावलंकर : इन पत्रों को रखने में बहुत विलम्ब हुआ है। ये हमें 8 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। विलम्ब का कारण बताने वाला वक्तव्य भी साथ नहीं है।

नगर भूमि (उच्चतम सीमा तथा विनियमन) संशोधन नियम

The Minister of state in the Ministry of Works, Housing, Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): I beg to lay on the Table a copy of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Amendment Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 273 in Gazette of India dated the 18th February, 1978, under sub-section (3) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 together with an explanatory memorandum. **[Placed in the Library. See L.T. No. 1753/78].**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

डा. अम्बेडकर के प्रति पुलिस द्वारा असम्मान प्रकट किये जाने के विरोध में बरेली में प्रदर्शन का समाचार

Shri Mangal Deo (Akbarpur): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported mass demonstration by persons belonging to scheduled castes and minority communities in Bareilly on March 6, 1978 against the police for showing disrespect to the potrait of Dr. B. R. Ambedkar".

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): According to the information furnished by the Government of Uttar Pradesh, one Ghasi Ram Gautam of Bareilly made an encroachment on a main road on 3rd February, 1978 by putting up a wooden structure and started a 'Paan' Shop therein. He put up three portraits of Dr. Ambedkar in the structure, apparently to deter the authorities from removing the encroachment.

2. Efforts were made by the local authorities to persuade Shri Ghasi Ram to vacate the encroachment, but these did not succeed. The Municipal Board authorities, therefore, sent their staff under police protection to clear the road of this encroachment. The party again tried to persuade Ghasi Ram to remove the encroachment and on failure of persuation, started removing the structure. Ghasi Ram and his two relations obstructed these public servants in the discharge of their lawful duties, abused them and also tried to belabour them. They had, therefore, to be arrested under Section 332/353 of the I.P.C., after which only could the encroachment be removed. Ghasi Ram did not even care to take away the three portraits of Dr. Ambedkar. These were, therefore, taken into possession and are being kept properly. No insult or disrespect was shown to them.

3. Some elements, in an attempt to exploit the name of Dr. Ambedkar and in order to arouse the sentiments of the scheduled castes for their ends, organised a procession in Bareilly on the 5th March, 1978, in which about 200 persons reportedly took part.

Shri Mangal Deo (Akbarpur) : The Municipal Board, Bareilly had adopted a resolution in 1974 that the Statue of Dr. Ambedkar would be installed in the Ambedkar Park. But there was considerable delay in the installation of this statue whereas Statues of Swami Vivekanand and Pt. Jawahar Lal Nehru were installed promptly. Then Shri Naubat Ram Sagar went on fast against the delay on the 2nd February. On the 7th February Deputy Commissioner Shri Babu Lal Verma was able to persuade Shri Naubat Ram Sagar to break his fast and assured him that he would take up the matter with Municipal Board authorities.

In the meantime some employees of the Municipal Board came and pulled up the small pan shop which was there and pulled down the portrait of Dr. Bhim Rao Ambedkar. They insulted this great leader of backward and other classes. So you should not rely on the police report.

Shri Dhanik Lal Mandal : It was true that the local Municipal Board had made a commitment that a statue of Dr. Ambedkar would be installed in the Ambedkar Park. It could not be installed so far because there was some delay in getting the statue from a Jaipur firm whom order had been placed. Now the firm have agreed to supply the same statue for which Shri Naubat Ram resorted to hunger strike. It will be installed soon.

The Police has shown no disrespect to the portrait. It is kept in the Kotwali— where floral offerings are also made occasionally.

Shri Ramvilas Paswan (Hajipur) : Sir, the Hon. Minister has tried to tone down the seriousness of the incident. Today bureaucracy is reigning supreme. Excesses are being committed against harijans and other weaker sections of the society. There cannot be two opinions in this regard.

This is all the lagacy of our social system. We hear almost daily about many harijans being burnt alive. A harijan was burnt alive on the 15th February and in Madhya Pradesh Legislative Assembly it was stated that 105 harijans were murdered within 9 months. According to the Chief Minister more than 150 harijans were murdered during Emergency and harijan girls continue to be raped. We want to call the attention of the Minister to this climate in the country.

In the present social system harijans and other weaker sections cannot expect anything better. May I know whether there is any conspiracy behind these incidents to blame the Government or bureaucracy is responsible for these acts ? May I also know the steps taken by Government to ensure safety of harijans and to check recurrence of such incidents ?

Shri Dhanik Lal Mandal : I have said that they are trying to take undue advantage of Dr. Ambedkar's name which is very unfair. Dr. Ambedkar is being respected by one and all and nobody should use his name to fulfil his selfish motives. The police has not shown any disrespect to the portraits and floral offerings are made occasionally in Kotwali.

Shri Ramvilas Paswan : What steps have been taken by Government to check atrocities on harijans ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : I have already stated that we are taking some steps and we hope to achieve success. We need cooperation of all in this task.

Shri R. D. Ram (Palamu) : The Hon'ble Minister has distorted the facts. First of all I want to know whether the portrait was framed and if framed whether the glass was broken when it was pulled down ? Whether Shri Ghasi Ram and his relatives tried to belabour the Board authorities ? Had it been so they would not have remained alive. Bhojpur type incident would have been repeated. So he should hold another enquiry. Why Jaipur firm has not supplied the statue upto this time ?

Shri Dhanik Lal Mandal : The facts have not been distorted and the incident is quite simple. I have told you that the statue will be installed very soon. But no disrespect has been shown to the portrait of Dr. Ambedkar.

Shri R. L. Kureel (Mohanlalganj) : Sir, the hon'ble Minister has told just now that the potrait was not insulted. He is perhaps pleading on behalf of the police. Today atrocities are being committed on harijans throughout the country. Women folk are being raped and people are being burnt alive. But it is very sad that the guilty for these crimes are being given protection. It is a matter of shame. Our great leaders like Shri Jagjivan Ram, Dr. Ambedkar are being insulted.

Shri Dhanik Lal Mandal : There is no question of shielding wrong acts of the police or to distort the facts. We are constantly trying to ensure that the behaviour of police should be like a friend towards all including harijans. We will succeed in our efforts.

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : Sir, the statement given by the hon. Minister appears to have been prepared by the corrupt bureaucracy. We are not against removing the wooden structure if it was at the wrong place but the police has insulted our great patriotic leader and freedom fighter Dr. Ambedkar. They have insulted the whole country.

[Shri Harikesh Bahadur]

The police officers have become highly irresponsible. In Deoria harijans hostel was burnt and police were mere spectators, one police officer misbehaved with me also and you are holding an enquiry into that incident. They are bent upon bringing a bad name to this Government.

It is a matter of shame for any Government if it fails to control the bureaucracy. The previous Government had done nothing to control the bureaucracy and this Government is doing the same. May I know the steps being taken by the Government to hold an enquiry into the acts of bureaucracy.

Shri Dhanik Lal Mandal : If the hon'ble Member gives any specific instances, I am prepared to hold an enquiry. We are making efforts to improve the image of the police. A Police Commission has been set up and we are waiting for its report. After the receipt of their report we will try to implement it.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

कानपुर में नकली दवाइयों के निर्माण का समाचार

Shri Manohar Lal (Kanpur) : Sir, Kanpur is a big industrial centre of northern India. In this city of Kanpur fake and spurious drugs are being manufactured on a very large scale. A large number of factories are functioning in the city where these spurious drugs are being manufactured and supplied not only all over the state but to other states as well.

Spurious glucose was supplied to various hospitals by these unscrupulous manufacturers as a result of which 40 persons died.

This racket is going on with conniavance of the high ups of the Health Department. It is high time that Government took strict action in this regard. Spurious drugs manufacturing factories should be closed down immediately and the guilty should be hanged as they are playing with the lives of the poor and innocent people. This is a serious crime.

(दो) बेंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के बंद किये जाने की सम्भावना

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : बेंगाल इम्यूनिटी कम्पनी, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध फार्मेस्यूटिकल कम्पनी है, उसके बंद होने की संभावना है और वहां के प्रबन्धकों ने कारखाने को बंद करने के इरादे का नोटिस पहले ही दे दिया है। इस कम्पनी में लगभग 2,100 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इस कम्पनी के एकक कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ तथा देश के अन्य कई भागों में हैं। इसके पास जीवाणु विज्ञान तथा प्रतिरक्षा विज्ञान नियंत्रण के लिए सभी उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान संस्थाएं है। यह कम्पनी जीवन रक्षा करने वाली दवाइयों का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त यह फार्मेस्यूटिकल्स रसायन तथा अन्य फार्मेस्यूटिकल का निर्माण भी करती है। इस कम्पनी के बन्द हो जाने से जीवन रक्षा करने वाली दवाइयों की बाजार में कमी हो जायेगी। इस कम्पनी के प्रबन्धकों ने पश्चिम बंगाल की सरकार से कहा है कि वह केन्द्रीय सरकार, विशेषकर

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को कहें कि वे इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लें । ताकि इन 2,100 श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और यह सुनिश्चित हो सके कि इन जीवन रक्षक दवाइयों की बाजार में कमी न हो ।

(तीन) निजाम के हीरे जवाहरात की बिक्री का समाचार

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं सरकार का ध्यान हैदराबाद के निजाम के बहुमूल्य हीरे जवाहरात की नीलामी द्वारा बिक्री की ओर दिलाना चाहता हूं । 9 मार्च, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" के अनुसार इन हीरे-जवाहरात में दुर्लभ तथा अद्वितीय और असाधारण जवाहरात हैं, जिनपर आश्चर्यजनक शिल्प का काम किया हुआ है । इन जवाहरात में 22 उत्कृष्ट सुन्दर तथा शुद्ध पन्नों का एक सेट है, जिसका वजन 414.5 कैरट है । दुर्लभ सुन्दर वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें विश्वभर में प्रसिद्ध जैकब डायमंड भी है, जिसका वजन 184.75 कैरट है और यह अपने आपमें एक अद्वितीय वस्तु है ।

दुर्लभ सुन्दरता की ये वस्तुएं हमारी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक धरोहर हैं, अतः सरकार को तत्काल इनकी बिक्री रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और सभी को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इन हीरे जवाहरात को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी और उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जायेगा ।

(चार) पटना में श्री जयप्रकाश नारायण और श्री जगजीवन राम पर हमले का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरंयिकील) : मैं सभा का ध्यान उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण पर पत्थर तथा चप्पलें फेंकी गयीं और रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम के विरुद्ध नारे लगाए जिनका संकेत देश के कुछ भागों में हुई अवांछनीय घटनाओं की ओर था । श्री जयप्रकाश नारायण का 75वां जन्म दिवस मनाने के और उन्हें 90 लाख रुपये की थैली भेंट करने के उपलक्ष में सभा का आयोजन किया गया था ।

इतनी भारी राशि के एकत्र किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है : यह मामला नियम 377 के अधीन कैसे आ सकता है ?

जिस सभा को श्री जय प्रकाश नारायण ने सम्बोधित किया, उसमें फारवर्ड लीग के झंडे उठाए हुए लोगों ने गड़बड़ी की तथा नारे लगाए । इस फारवर्ड लीग ने पिछले वर्षों के समुदायों को किसी प्रकार का आरक्षण देने का विरोध किया और इसलिए बैठक में गड़बड़ी की । उनके नारों से साम्प्रदायिक एकता को भंग करने तथा समुदायों में पारस्परिक घृणा का आभास होता था ।

इस घटना की ओर सबका ध्यान खिंच गया । देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे जाति विवाद हो सकता है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि इस तरह का जाति विवाद और टकराव न हो । सरकार को कमजोर वर्गों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए ।

(पांच) पटना में श्री जगजीवन राम पर पत्थर फेंके जाने का समाचार

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich)): Whatever has happened in Patna the other day is very serious matter. Such an insulting incident was also happened in Varanasi also when Babu Jagjiwan Ram unveiled the statue of Dr. Sampurnanand. The insult of Babuji is an insult of entire Scheduled Caste Community. It is the Youth wing of Indira Congress... (*Interruption*)

श्री वसन्त साठे : * * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायगा।

Shri Om Prakash Tyagi: I may say that Shri Kamlapati Tripathi is associated with that organisation. The National flag was removed from the car of Shri Jagjiwan Ram and stones were hurled at him. Nobody was allowed to go to the meeting and slogans were raised against Shri Jayaprakash Narayan. Only the Indira Congress is responsible for this kind of disorder. If this kind of thing is allowed to grow and meetings are disturbed in this manner no party will be able to hold any meeting. Therefore, Government should strongly deal with such forces and they should be suppressed. The insult of Shri Jayaprakash Narayan can not be tolerated in any circumstances.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, today Janata Party is in power and this thing has happened with Shri Jaya Prakash Narayan. This is most shameful and it proves that the elements believing in anarchy are still active.

The Home Minister should conduct an enquiry into this incident.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर 6 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at six minutes past Fourteen of the clock.

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी पीठासीन हुए
SHRI D. N. TIWARY *in the Chair*]

सामान्य बजट 1978-79 सामान्य चर्चा
GENERAL BUDGET, 1978-1979—GENERAL DISCUSSION

श्री सी० सुब्रह्मण्यम (पलानी) : जनता सरकार को सत्ता में आये एक वर्ष हो गया है। इसलिए जब हम बजट के आंकड़ों पर विचार करें तो हमें जनता सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध पर भी ध्यान देना है तथा देखना है कि सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था कैसे चली है।

***पीठासीन अधिकारी के आदेश से सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

जनता सरकार को प्रारम्भ में देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक फायदा यह था कि आर्थिक परिस्थितियां गतिशील प्रगति के अनुकूल थी। मेरी राय यह है कि उन्हें यह लाभ पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में भूतपूर्व सरकार से मिला। कभी-कभी यह कहा गया कि भूतपूर्व सरकार के पास रुपये के संसाधन कम थे। किन्तु यदि हम बैंकों आदि में जमा धनराशि के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि समूची बचत धनराशि निवेश से भी बढ़ गई। इसलिए उस समय रुपये की कमी नहीं थी। अतः इन सब अनुकूल तथ्यों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था का कैसा कार्य रहा है?

प्रगति के बारे में यह दावा किया गया है कि इस वर्ष 5 प्रतिशत प्रगति हुई है। यह कृषि उत्पादन पर आधारित है, जिसके अनुसार कृषि उत्पादन 1210 लाख टन तक पहुंच जायेगा। किन्तु इतना उत्पादन तो 1975-76 में हो चुका है। भूतपूर्व शासन काल में जब 1964-65 में "हरित क्रांति" आरम्भ की गई थी तो यह आशा की गई थी कि 10 वर्षों के भीतर हम न केवल आत्म-निर्भर ही हो जायेंगे, बल्कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ जायेंगे। किन्तु अब इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। अतः जहां तक कृषि का सम्बन्ध है यह कोई विशेष दावा नहीं है, जिसे कि जनता सरकार कर सकती है कि गत वर्ष विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी इस वर्ष उत्पादन 1975-76 के बराबर हुआ है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, दावा किया गया है कि इस वर्ष उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। किन्तु इस वर्ष नवम्बर में उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम था और नवम्बर के बाद की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति क्यों हुई है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात औद्योगिक संम्बंधों की है। आर्थिक समीक्षा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक 11 मिलियन कार्य दिवस बर्बाद हुए जबकि गत वर्ष में इसी समय के दौरान केवल 6 मिलियन कार्य दिवसों की हानि हुई है।

इसके अतिरिक्त देश में आज अनिश्चित तथा हिंसात्मक वातावरण विद्यमान है। समाज के सभी वर्गों में समूचे देश में अशांति और असंतोष का वातावरण बना हुआ है। इस का कारण यह है कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में ऐसे वचन दिए थे जो कि अतिशय थे। समय आ गया है जबकि एक समिति को नियुक्ति की जो यह पता लगाए कि कौन सी बातें वास्तविक हैं, किन बातों को कार्यान्वित किया जायेगा और किनसे राष्ट्र को लाभ पहुंचेगा तथा किन बातों को कार्यान्वित करने से राष्ट्र को हानि पहुंचेगी। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक लोग उन वचनों को पूरा कराने के लिए आन्दोलन करते रहेंगे और आन्दोलन कारी वातावरण आर्थिक प्रगति के लिए ठीक नहीं होगा।

आर्थिक संवाददाताओं से बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं नहीं समझ पाया हूं कि प्रोत्साहन देने के बावजूद भी उद्योग में निवेश के लिए समुचित वातावरण क्यों नहीं बन पाया? कारणों को ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता सरकार की औद्योगिक नीति भ्रामक है और कोई नहीं जानता कि इस सरकार की औद्योगिक नीति अन्ततोगत्वा क्या होगी। किसी को पता नहीं है कि कुटीर उद्योग क्षेत्र, छोटे पैमाने के क्षेत्र, मध्यम पैमाने के क्षेत्र तथा बड़े पैमाने के उद्योगों वाले क्षेत्रों को किन-किन चीजों का उत्पादन करने की अनुमति दी जायेगी। आज मंत्री-मंडल के महत्वपूर्ण मंत्रियों की रायों में बहुत मतभेद है। वित्त मंत्री ने सोचा कि एक सुलभ धन नीति निवेश के अनुकूल होगी किन्तु तत्काल योजना आयोग के एक सदस्य ने इस सुलभ धन नीति की

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

आलोचना की । औद्योगिक नीति तथा आर्थिक विकास में इस भ्रांति के कारण नया निवेश नहीं हो रहा है। जब तक इन त्रुटियों तथा दोषों को दूर नहीं किया जाता तब तक भविष्य उज्वल नहीं होगा ।

आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें । आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1977 के दौरान अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मार्च और दिसम्बर के बीच थोक मूल्य सूचकांक केवल 6.6 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल सूचकांक 5.8 प्रतिशत बढ़ा है। थोकमूल्य सूचकांक में एक प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि थोक मूल्य ठीक रहें, लेकिन उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि हुई है । इस मूल्य वृद्धि से किसकी लाभ हुआ है ? व्यापारियों को ही लाभ हुआ है। जनता सरकार में व्यापारियों का पलड़ा भारी है वह जानते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे । इसीलिए थोक मूल्य कम ही रहे हैं और खुदरा मूल्य बढ़ रहे हैं। यही बात बिक्री कर की समाप्ति में भी परिलक्षित है। यही मांग व्यापारियों की है क्यों कि उन्हें लेखे आदि रखने पड़ते हैं। क्या ऐसी स्थिति में, जबकि राज्य सरकारें अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग कर रही हैं वित्त मंत्री के लिए बिक्री कर समाप्त करना सम्भव है ?

जहां तक विषमता दूर करने का सम्बन्ध है चाहे यह विषमता प्रदेशों के बीच है अथवा व्यक्तियों के बीच, बजट भाषण में तथा आर्थिक सर्वेक्षण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

गत वर्ष मंत्री महोदय ने अनुमान लगाया था कि घाटे का बजट 84 करोड रुपयों को लगभग होगा लेकिन अब पता चला है कि यह घाटा 10 गुना से भी अधिक हुआ है। 1002 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से उधार लिया गया है जबकि उससे पहले के वर्ष में केवल 63 करोड़ का घाटा था। इस अर्थव्यवस्था को अब दिवालिया कौन बना रहा है ? पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं हो रहा है। उपभोक्ता खर्च, चालू खर्च और राजस्व व्यय पर अधिकाधिक व्यय हो रहा है। यदि इसी आधार पर घाटा होता रहा तो बाद में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? प्रधान मंत्री, जिन्होंने यह घोषणा की है कि वे घाटे के बजट के विरुद्ध हैं, उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपये के वर्तमान घाटे के लिए तथा पहले के बचे 1002 करोड़ रुपये के घाटे के लिए अपनी मोहर लगाई है। प्रधान मंत्री, जो पहले अपने शासन में सोने के प्रयोग पर अंकुश लगाना चाहते थे अब इस घाटे को पूरा करने के लिए वे सोने के आयात तथा बाजार में निर्बन्ध सोना बेचने के लिए तैयार हैं। यह बहुत बड़ी विडम्बना है ।

यह उल्लेख किया गया है कि बजट छटी योजना के प्रथम वर्ष का बजट है। यह जनता सरकार की नई नीति है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की इतनी जल्दी समाप्त करने की क्या आवश्यकता थी? क्या छटी योजना के प्रथम वर्ष में वित्त मंत्री निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई नया तरीका अपनायेंगे ? यदि यह सच है तो उन्हें पांचवीं योजना को समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या है । यह बड़ी असंगति है ।

यह भी कहा गया है कि पहली बार राज्य योजना के लिए केन्द्रीय योजना की अपेक्षा अधिक आवंटन किया जायेगा । लेकिन संसाधनों के आवंटन से अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती । जैसा कि योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र में

सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक कार्यान्वयन तंत्र में सुधार नहीं होगा तब तक फिजूल के खर्चों को रोका नहीं जा सकता और इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

बजट में सब से अधिक आपत्तिजनक बात कराधान के सम्बन्ध में है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए है जहां कि अप्रत्यक्ष कर लगाने के पीछे कोई तर्क नही दिखाई देता। यदि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर कर लगाया जायेगा तो उसका भार अन्ततः उत्पादन पर पड़ेगा और यह असर केवल उत्पादन पर ही नही पड़ता इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यदि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर कर लगाना ही है तो इसमें कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि कर सहित कुल मूल्य कराधान के लिए उपलब्ध हो। लेकिन अब किस प्रकार का कर लगाया गया है कोयला बिजली, ईंधन, पट्रोलियम जैसी मूलभूत सामग्री पर कर लगाया गया है। इसका उपभोक्ता मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। और यह दुश्चक्र सदैव चलता रहेगा।

केवल उत्पादन अथवा उपलब्धता से निर्धनता दूर नहीं होने वाली है। निर्धनता तभी दूर हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार के पास क्रय क्षमता हो तभी निर्धनता दूर हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने बाढ़ रोकने सम्बन्धी योजना बनाई है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में जापान और स्विटजरलैण्ड का अनुकरण करना चाहिए। हमें किसी आदर्श का अनुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए आनन्द आदर्श के ढांचे का अनुकरण करना चाहिए। यह पुराने तरीके पर आधारित नहीं है उत्पादक को पशुपालन सेवा में आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिकता उपलब्ध की गई है जो विकास पर आधारित कुटीर उद्योग हो सकता है। यह कहा गया है कि लघु ही सुन्दर है। लेकिन इससे विकास नही हो सकता।

श्री बी० राचैया (चामराजगर) : बजट प्रस्तावों की समीक्षा विशेष दृष्टिकोण से करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि क्या प्रस्तावों से मूल्यों में स्थिरता होगी और मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां कम होंगी, क्या इससे औद्योगिक मन्दी कम होगी और क्या इनके परिणामस्वरुप निर्धनता कम होगी, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या जनसंख्या वृद्धि से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा, क्या बहुमूल्य जेवरात के बेचने तथा सोने के आयात से बजट का घाटा पूरा किया जा सकता है, क्या जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है उनके आधार पर नगर निवासी और ग्रामनिवासी निकट आ पाएंगे।

बजट में घाटा दिखाया गया है। वित्तमंत्री ने बजट पेश करने से पहले स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। एक अनिवार्य जमा योजना को वापिस लेने तथा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में और दूसरा कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने के बारे में। जहां तक बोनस और महंगाई भत्ते में वृद्धि का संबंध है सरकार को बाकी लोगों की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि संगठित क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या के पांच प्रतिशत लोग ही आते हैं। जब सरकार ने महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा की तो बाजार में मूल्यवृद्धि हुई और मुद्रास्फीति प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की 95 प्रतिशत बेकसूर जनता को ज्यादा मूल्य अदा करने का जुर्माना भरना पड़ा। मजूरी ढांचा निर्धारित करते समय मूल्य स्थिति पर भी विचार करना होगा। इसलिए मैं यह अनुरोध करता रहा हूं कि राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि कम मजूरी वाले और अधिक आय वालों के बीच का

[श्री बी० राचैया]

अनुपात घट कर कम से कम 1 : 20 रह जाए। इस विषमता को दूर करने के लिए हमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए।

खाद्य स्थिति के मामले में विशेषकर चावल और गेहूं के बारे में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे देश में दालों तथा खाद्य तेलों की कमी है। वित्त मंत्री को थोड़ी अवधि के लिए कुछ वस्तुएं अन्य देशों से आयात करनी चाहिए ताकि आम जनता उन वस्तुओं को खरीद सके उनके मूल्य अधिक न बढने पाए फिर भी हमें कम अवधि वाली फसलों के बारे में सोचना पड़ेगा।

हम 120 लाख टन खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हुए है और इसके लिए हमें किसान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। लेकिन हम किसानों को क्या इनाम दे रहे हैं? कटाई के समय उसे वह मूल्य नहीं मिलता जिसके लिए उसने फसल उगाई है। सारा फायदा बिचोलिए उठाते हैं। सभी गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा से अवगत है; उत्पादक को उतना भी वसूल नही हो रहा जितना उसने खर्च किया है। इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

दालों, तिलहनो तथा अन्य शुष्क फसलों के संबंध में काफी कुछ किया गया है। कोई भी देश हमारे देश की तिलहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी देश में, इतना उत्पादन नही होता जितनी कि हमारे यहाँ आवश्यकता है। अतः हमें अधिक उपज वाली किस्म का पता लगाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देना होगा।

1975-76 में औद्योगिक विकास में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई और अब यह कम होकर 1.6 प्रतिशत रह गई है। आशा है कि यह बढ़कर पाँच प्रतिशत हो जाएगी। बिजली की कमी और औद्योगिक असंतोष के कारण अपेक्षित वृद्धि नही हुई। लेकिन कुछ अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पुरानी मशीनरी को बदला नही गया है और प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच समन्वय नही है और साथ ही कच्चे माल की भी कमी है। इन सब बातो को भी ध्यान में रखना होगा।

उद्योगों में विकास दर को वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु सबसे प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि कच्चा माल सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यय को घटाकर कम से कम किया जाए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायतशाशी निकायों में भी बचत की जाए।

देश में विकासोन्मुख उद्योग खोले जाने चाहिए ताकि उनमें अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। वित्त मंत्री ने ठीक ही ग्रामीण विकास पर बल दिया है उन्होंने सिचाई, कृषि और पशुपालन को प्राथमिकता दी है। मेरा सुझाव है कि मुर्गीपालन, मत्स्यपालन और शूकर पालन को भी प्राथमिकता दी जाए।

यह स्वागत योग्य बात है कि बजट में ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है जो कि कांग्रेस का 1947 से कार्यक्रम रहा है। यह कार्यक्रम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों की सहायता के लिए है। लेकिन इसे यहाँ प्राथमिकता नही दी गई है। मंत्री महोदय को बिना किसी पूर्वग्रह के इस पर ध्यान देना चाहिए।

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों के विकास पर ठीक ही बल दिया गया है। हथकरघा, रेशम उद्योग तथा कुटीर उद्योग ऐसे छोटे पैमाने के उद्योग है जिनमें बेरोजगार व्यक्तियों को काफी संख्या में खपाया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए जो भी उपबंध किए गए है उनका चालू वर्ष के दौरान पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उसे व्यपगत नही होने देना चाहिए।

झा समिति ने सिफारिश की है कि हमें कराधान का आश्रय नहीं लेना चाहिए। बिजली पर 2 प्रतिशत कर से अन्ततः उपभोक्ताओं को ही नुकसान होगा ऐसा समझा जाता है कि मंत्रालय बिक्री कर, और चुंगी समाप्त करने पर विचार कर रहा है। किन मदों पर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं और किन मदों पर केन्द्र सरकार कर लगा सकती है संविधान में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अतः जहाँ तक बिक्री कर का संबंध है यह राज्य की स्वायतता का अतिक्रमण है। अतः जब तक राज्यों और केन्द्र के बीच वित्त के मामले में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण नही होता देश में विखण्डन प्रवृतियाँ उठ खड़ी होंगी।

छठे वित्त आयोग ने राशि के आवंटन के संबंध में कुछ फार्मूला बनाया है राज्यों को ऋण अथवा अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए समान फार्मूला जारी रखना चाहिए चल रही परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान देना चाहिए. मात्र बजट के घाटे को पूरा करने के लिए मैं जेवरात बेचने के पक्ष में नही हूं।

1,396 करोड़ रुपये का घाटा जो बजट में दिखाया गया है उसे आंतरिक संसाधनों को गतिशील बनाकर कम करना होगा करों की वसूली को बढाना होगा. सरकार के हर विभाग में और नियमित क्षेत्र में अधिकाधिक बचत की जाए बेकार के सम्मेलनो को न बुलाया जाए और कम से कम प्रतिनिधि मंडल बाहर भेजे जाएं।

एक समाचारपत्र द्वारा यह पता चला है कि जाँच आयोगों पर 900 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। यह बेकार का खर्चा है क्योंकि मंत्रियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है। अतः सरकार को इन जांचो कों समाप्त करना चाहिए।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासन हुये।
SHRI M. SATYANARAIN RAO *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The former Finance Minister has said that despite favourable economic factors, the Janata Party has not been able to show as good a performance as was expected. It is mostly the rich persons or vested interests that have criticised the Budget. But the fact is that this Budget is formulated on the basis of the industrial resolution and the economic programme adopted by the Janata Party. Therefore, this budget has some definite direction. We have never claimed to achieve miracles, but in any case, we have achieved a reasonably good performance in spite of an unfavourable atmosphere that we inherited from the last regime. Certainly it is a very good beginning of the Budget and it is in the right direction. Those who stand for abolishing poverty and for removal of unemployment would certainly welcome this Budget.

The priority has always been given to the development of big industries. Now the Janata Government has shifted that priority to rural development, without which poverty cannot be abolished and unemployment cannot be removed. However adequate attention has to be paid to the proper implementation of the Budget proposals.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

We believe in maximum resource mobilisation but at the same time, we had said in our election manifesto that the taxation policy must simultaneously act with distribution of justice and must take into consideration the capacity to pay. The revenue of this Government in 1976-77 was Rs. 5382 crores but now our resources are to the tune of Rs. 52896 crores. It is true that more taxes have been levied but it is intentional with a view to mobilizing larger resources because we want to divert money from those who have it to those who do not have it. Our total outlay is 17 per cent higher than that in the previous year. I will even suggest a proverty cess on everybody so as to obtain a revenue to Rupees two thousand crores a year for five years continuously. Then only it will become a dynamic Budget.

Had you not increased the prices of Cigarettes and tea in the year 1974-75 ? What was the item whose price was not increased by you in the past. We have now controlled money supply and also the rate of rise in prices. It is said that heavy deficit financing will lead to rise in prices. But in fact it will generate more demand and production in rural areas and there will be no rise in prices. Deficit financing is not always bad.

What about coal and electricity ? Electricity is exempted so far as agriculture is concerned.

If you run the industry efficiently I am sure there will not be any need of having this 2 paise tax. There is loss in transmission of electricity. Can you not have a more efficient machinery for it ? If you do it, I do not think there is any need for all these things. Why no tax has been levied on rich farmers ? I know it is a state subject. Everybody is afraid of them—be it any Government I strongly feel that rich farmers should be taxed.

The question of capital gains tax should be reviewed. The old companies should also get some exemption if they make investments in them, but some limit can be fixed about it. It will help in increasing industrial production. I think the limit may be Rs. 10 lakhs or 15 lakhs and not beyond that.

Now our agricultural expenditure has increased upto to Rs. 1754 crores. It will create more opportunities of employment. At the same time purchasing capacity demand and production will also increase.

The Janata Party stands for the development of small scale industries. But this Budget does not provide as many concessions to them as they should have got. It is good that the number of items under small scale industries has been increased and the allocation for them has also been increased from Rs. 145 crores to Rs. 219 crores. But I still feel that small scale industries have not been given adequate relief. We have to speed up the industrial growth more vigorously. Government should give adequate guidance to them in order to bring about required industrial growth. You will agree with me that every sector whether it is a big House, small sector or a multi-national has its own role to play. We have to tell them frankly as to what are their areas. Government should guide the small industry.

It is said that Janata Party is opposed to industry. It is wrong. We do not want to ignore industry. We want growth both in industry as well as in agriculture and we want the target of growth should be 10 per cent so that we can

provide employment to many people in the coming five to ten years. On account of blanket increase to 5 percent there may be certain cases where it will lead to hardship. The Minister may have a second look on these cases. We should see that no industry becomes sick and give due concessions to those which are in dire need and see that the growth of industry also keeps pace with agriculture.

The credit policy of banks has got to be revised. If they continue like this, it will not be good. They should be provided some guidelines.

We should mobilize our resources. We have invested thousands of crores of rupees in our public sector. If the working machinery of public sector undertakings is tightened, it will result in larger profits to the tune of Rs. 200 crores per year which will be ploughed back for developmental purposes. There is fraud and misappropriation in regard to fuel, coal, electricity etc. in this sector.

Dairy development is the most important factor so far as this Budget is concerned. If it is implemented properly, like the one in Gujarat and other places, it will provide jobs to about four million people. So there should be a proper coordination between the state Governments and the Central Government However, due attention must be paid to the proper implementation of the Budget.

The gold control order should be withdrawn because the economic conditions have now changed.

The Union Government should adopt a firm policy in regard to over drafts to states and should take measures to reduce it.

The non-plan expenditure should be reduced and the Sales tax should be abolished. The income tax limit should be raised to Rs. 10,000. The target of providing employment should also be raised further.

Strict policy should be adopted to check labour unrest in the industrial sector. Stringent laws should be enacted to check corruption in the industrial sector.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जनता पार्टी ने यह आश्वासन दिया था कि प्रगति की दर 7 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी बेरोजगारी समाप्त कर दी जाएगी, भूमि सुधार कारों को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा मूल्यों में स्थिरता आएगी। (**व्यवधान**) :—परन्तु उसने लोगों की सभी आज्ञाओं और आकांक्षाओं को भुला दिया है। वर्तमान बजट से अर्थिक स्थिति संकट में ही पड़ेगी तथा यह जन-साधारण के साथ विश्वास घात होगा।

वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति की बड़ी चमकीली तस्वीर पेश की है। परन्तु वास्तविकता को शब्दाडम्बर से छिपाया नहीं जा सकता। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं की खपत गत वर्ष के बानेस्बत गिरी है। जबकि मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली नीतियों को अपनाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था की गई है। इससे बड़ी सम्भावना है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएं और पूंजीपतियों और व्यापारियों के लाभ बढ़ जाएं।

चालू वर्ष में थोक मूल्यों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 1975-76 से सबसे अधिक है। नई सरकार के राज्य के नौ महीने के अन्दर खाद्यान्नों के मूल्य में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई

[श्री बीनेन भट्टाचार्य]

है । यह दावा किया गया है कि यह बजट ग्रामीणों के हित में है। गाँवों के लिए बजट में 1754 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पहले यह 490 करोड़ रुपये की बजट में भूमि सुधारों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इस दिशा में जनता सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बात सर्वथा भ्रामक है । क्या सरकार उन्हें वस्तुतः बड़े व्यापारियों की प्रतियोगिता से बचाना चाहती है? जनता सरकार के एक वर्ष के राज्य के बाद भी अनेकों राज्यों में लाखों हथकरघा बुनकर बेकार पड़े है। उन्हें सस्ते मूल्य पर सूत देनी की कोई गारंटी नही दी गई है। यह देश का सबसे बड़ा लघु उद्योग है और वह ही दयनीय अवस्था में है।

लाखों लोग अपनी जीविका बीड़ी बना कर कमाते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय है। सिगार, माचिस, प्लास्टिक और होजरी उद्योगों, की दशा भी खराब है। सरकार इन लघु उद्योगों को भी सहायता दे जो पिछले 30 वर्ष के कांग्रेस राज्य में कठिनाई मे रहे।

एकाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार का प्रयत्न भी बेकार रहा; उनके हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकृत होना कांग्रेस राज्य के समान बदस्तुर कायम है।

बजट में कम दर पर बैंक ऋण देने का प्रस्ताव है। परन्तु इसका अधिकतर लाभ बड़े व्यापारिक गृहो की ही मिलेगा क्योंकि अधिकता बैंक ऋण वही लोग ले लेते हैं। अन्य लोगों को इसका बहुत कम लाभ मिल पाएगा।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया था परन्तु वह उसके विपरित कार्य कर रही है । राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति सर्वथा लंगडी हो गई है । कोई भी राज्य सरकार केन्द्र की मदद के बिना बन्द मिल को अपने हाथ में नहीं ले सकती । कोई भी राज्य सरकार योजना आयोग की स्वीकृति के बिना योजनाएं चालू नहीं कर सकती ।

प्रत्येक काम के लिए राज्य सरकारों की केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है । इस प्रकार देश की संघीय प्रणाली एक दिखावा बन कर रह गई है और केन्द्र तानाशाह हो गया है जो कांग्रेस सरकार की विरासत है । पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी कारण इस विषय को उठाया है कि केन्द्र और राज्य के आर्थिक सम्बन्ध किस प्रकार के हों ।

इस पर चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक ज्ञापन भेजा है । केरल, तमिल नाडु और कश्मीर के मुख्य मंत्री भी इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए है । गुजरात भी इस पर चर्चा चाहता है क्योंकि उन्हें भी कठिनाई आ रही है । जब तक केन्द्र अपना रुख इस सम्बन्ध में नहीं बदलता, ये कठिनाइयां रहेंगी और राज्यों में असंतोष रहेगा और सरकार को अपना रुख बदलना पड़ेगा । क्या उन्हे समय की पुकार का समय पहले हिस्से स्वयं को नहीं बदल जाना चाहिए ? केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की भलाई में आशा है सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

जनता पार्टी न, आपने चुनाव घोषणा में देश में 10 वर्ष में पूर्णता रोज़गार देने की प्रतिज्ञा की थी । इस वर्ष पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

बड़े उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या घटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस्पात और कोयला उद्योग में हजारों लोगों की छटनी की गई है । व्यास परियोजना में 1400 जूनियर इंजीनियरों को निकाला गया । सरकार को उन नई मशीनों को लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनसे कर्मचारियों की छटनी करनी पड़े ।

आपात स्थिति के दौरान इन्दिरा गांधी की सरकार ने बैंकों का उपयोग अपने राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए किया। सरकार के सामने कई मामले इस सम्बन्ध में लाए गए परन्तु किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई । रिजर्व बैंक, बैंक उद्योग के कदाचार में सहयोगी थी । पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने इन्दिरा गांधी के चरित्र को उभारने के लिए उसके चित्रों वाले कलेन्डर छापे जिस पर 1,37,000 रुपये खर्च हुए । सरकार इस बात की जांच करे और देखे कि राजनीतिक कार्यों में इतनी बड़ी राशियों का उपयोग न हो सके ।

विदेशी ऋणों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है । नई सरकार कांग्रेस सरकार की नीति को बदलने के बजाय और निजी विदेशी पुंजी को निमंत्रित कर रही है इससे विदेशी ऋण पर निर्भरता और बढ़ेगी।

सरकार मजदूरी आय नीति पर विचार कर रही है और भूतलिंगम समिति की स्थापना की गई है । भारत भर के मजदूर इसके विरुद्ध हैं । यह समिति उचित लाभ और न्याय नहीं देगी । इसके पीछे मुख्य उद्देश्य वेतन वृद्धि पर रोक लगाना है ।

पिछले और वर्तमान वित्त मंत्री के बजट में कोई फर्क नहीं है । जनता सरकार इस बात पर विचार करे कि लोग कहीं उसके द्वारा दी गई बड़ी आशाओं के कारण निराश न हो जाए और उसे अपने वादे पूरे करने चाहिए ।

Shri Kachrulal Hemraj Jain (Balaghat): Mr. Chairman, Sir, I rise on a point of order. The discussion is going on the General Budget, but it is regrettable to find that the concerned Ministries are not present in the House. If the Ministers are not present in the House to listen to the views and suggestions of members, there is no use discussing the General Budget here.

Mr. Chairman: Here one Minister represents all the Ministers, because they have collective responsibility.

श्री कंवर लाल गुप्त : यहां एक मंत्री बैठे हैं किन्तु आर्थिक मामलों से सम्बन्धित मंत्रालयों के मंत्रियों का यहां उपस्थित होना आवश्यक है ।

शाह जांच आयोग द्वारा दिये गये प्रथम अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य

STATEMENT *RE.* FIRST INTERIM REPORT GIVEN BY THE SHAH COMMISSION OF INQUIRY

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मुझे अभी सूचित किया गया है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन नियुक्त शाह जांच आयोग की प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय में प्राप्त हो गई है । मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट के कल प्रैस में आने से पहले मुझे यह सूचना सदस्यों को दे देनी चाहिए हम यथा शीघ्र इस रिपोर्ट की जांच करेंगे और विधि मंत्रालय के परामर्श से अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे ।

श्री वसंत साठे : मैं निवेदन करना चाहता हुं कि उस दिन श्री राजनारायण अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते थे ... **(व्यवधान)**

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत निवेदन करना चाहते है ...

श्री वसंत साठे : नियम 376 के अन्तर्गत ... सदन में कल भी इस विषय पर कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये ...

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने अभी सदन को केवल यही बताया है कि प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त हो गया है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा है ।

श्री वसंत साठे : यह सब कुछ एक तरफा है **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : मैं यह नहीं कहता कि मैंने ऐसा नहीं कहा ...** **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : इन्होंने शाह आयोग के खिलाफ ** शब्द का प्रयोग किया है ... **(व्यवधान)**

श्री शामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने केवल दो ही बातें बताई है प्रथम तो यह कि अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा दूसरे यह कि सरकार द्वारा शीघ्र ही इसका अध्ययन किया जायेगा । उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्रतिवेदन उन्हें कब प्राप्त हुआ तथा उसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

श्री चरण सिंह : यह प्रतिवेदन आज ही 12 बजे से कुछ ही मिनट पहले मुझे प्राप्त हुआ है । जहां तक उसे सभापटल पर रखने का प्रश्न है इसमें कम से कम 3 सप्ताह का समय लग जायगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हुं ...

सभापति महोदय : नहीं और कुछ नहीं, श्री मुरली मनोहर जोशी ।

सामान्य बजट, 1978-79—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora): I rise to support the Budget. The former Financial Minister Shri C. Subramaniam has just forwarded certain arguments which are baseless. It has been stated by him that during last year there has been no substantial industrial progress because capital was not invested properly. That means that industrial progress cannot take place because of recession. He has also accepted the fact that purchasing power at the people is much less. In this regard my submission is that the purchasing power of the country could increase, only if the purchasing power of the farmers and poor workers in the country could increase. It is therefore necessary that provision for increasing the purchasing power of the people be made in the budget.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the Chair.

It is a matter of appreciation that the provision made in the budget for agriculture, electricity and tribal blocks will help in increasing the purchasing power of the people. It is also likely to help in setting up more and more industries. The money which is being allocated for rural electrification, irrigation projects and building up of all weather roads. All this will create more employment opportunities in rural areas and that way it will help in increasing the purchasing power of rural people. In this connection I may also mention that if we want to increase the rate of capital investment in the country's industry, it is necessary to increase the purchasing power of the rural people. It is a matter of satisfaction that the Finance Minister has intelligently taken care of both the things in the present budget.

It has been rightly stated that power scarcity was mainly responsible for lack of industrial progress during the last 30 years. It is therefore essential to generate more and more power in the country. It is a matter of gratification that in the present budget first vital step has been taken for augmenting rural electrification and generating more electricity.

During discussions, the levies on coal and electricity have been criticised. It has also been stated that it will result in further increase of prices and may also affect the people in urban areas more. I do agree with the contention that there will be some impact of these levies on prices but it is my strong contention that for improving the lot of poor people of rural areas, we must be prepared to make some sacrifice. So that way, in our present budget an attempt has been made to correct the ill effects of the wrong economic policies pursued during the last 30 years. It is also appreciable that in the present budget priorities have been defined. In this budget due attention has been paid to rural areas.

During the course of discussion, it was pointed out by some of my friends that industrial policy of the present Government was not clear. It does not appear to be correct. There hardly appears to be any doubt or confusion about our industrial policy. There cannot be two opinions about the vital fact, the Janata Government wants to democratise the big industries. We are keen to provide more and better opportunities to small and medium industries. But at the same time, I may make it clear that we do not want to deprive ourselves of the advantages the country derives from big industries.

My submission is that there should be democration in the sphere of production of consumer goods. Small scale and cottage industries should be provided ample opportunities. I am of the opinion that handicrafts can benefit the country and I hope Janata Government wants to encourage handicrafts. We also want to make a beginning with Goldsmiths. It was wrong on the part of previous Government to make increased investments in big industries because that ultimately lead to more unemployment.

Some of my friends from the opposition benches have said that Janata Government is against industrialization. But actually it is not so. The fact is that we do not want the industries to have a predominent position as compared to agriculture. We are all out to give every industry, its due irrespective of the fact that industry is big, medium or small.

[श्री धीरेंद्र नाथ बसु पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

Science and technology can play a vital role in the development of any country. It is a matter of satisfaction that a provision of Rs. 203 crores has been

[Dr. Murli Manohar Joshi]

made by Janata Party for the promotion of Science and Technology in the country. In this connection I consider it my duty to inform the hon. Minister that science and technology should not be used only for luxurious living of big people but it should be used for the uplift and development of rural people. It has to be harnessed for raising the living standard of those people. Smt. Indira Gandhi and Late Shri Jawaharlal Nehru had subordinated the science and technology of the country to that of America, U.S.S.R., France and Japan. No proper planning was initiated for benefitting the rural poors of the country. Now the time has come when we will have to undo all these things. We will have to sit on judgment on the functioning of I.C.A.R., National Physical Laboratory and National Chemical Laboratory. I may make one thing clear that Janata Government will not make use of science and technology for enslaving the man but for the benefit of downtrodden in the country. Our ultimate aim is to establish balance between man and nature and we want to use science for the service of humanity.

It is wrong to say that the budget is inflationary. The budget has not put any great burden on the common people. Our economy has got the strength to absorb deficit financing. Our development rate has gone up from 1.6 percent to 5.20 percent in a year. It is hoped that our economy will become stronger and stronger year after year. It is the first time that before the presentation of the budget this time, there has been no cornering of the goods in the market. Our Finance Minister deserves congratulations for the same. It is a matter of great satisfication that this time business people could not get inkling of his budget proposals.

During the course of debate, it has been said by some of my friends that dependence on foreign aid had increased. Though actually it has not happened but still I am of the opinion that it would be better if we could do without foreign aid. But we have to accept foreign aid for one reason or the other so as to back up our developmental activities.

It is wrong to say that centre was exploiting the states in any way. Some of my friends have pleaded for renewal of financial relationship between the Centre and the States. But may I know if it could mean that states could resort to overdraft according to their sweetwill? The fundamental question is that why should the States not increase their own resources or cut down their non-plan expenditure? Is it that states want to have autonomy for putting all the financial burden on the Centre and spend money in whatever way they liked ? I must bring home to my hon. friends in the opposition that centre has no dictatorial attitude towards the states but believed in real decentralisation.

In the end I must appreciate that it is for the first time that money has been allocated for tribal blocks. It is a welcome measure. Before I conclude, I once again congratulate the Minister of Finance for presenting a balanced budget.

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवेली): गत वर्ष के बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि निस्संदेह लोगों को तथा राष्ट्र को प्रेरणा और विश्वास मिला है कि उनका दूसरा बजट पहले बजट की त्रुटियों को दूर करेगा । उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होंगे । परन्तु अब स्थिति बिलकुल भिन्न है । प्रस्तुत बजट हमारी आशाओं के पूर्णतया विपरीत है तथा इससे हमारी कठिनाइयों में और वृद्धि हुई है । प्रस्तुत बजट से बड़े बड़े एकाधिकारी गृहों को ही लाभ हुआ है । मैं समझता हूं कि वित्त

मंत्री ने अपने चमत्कार से राष्ट्र तथा अपनी पार्टी को गुमराह किया है । यदि वित्त मंत्री की यह बात स्वीकार कर ली जाये कि देश में आर्थिक प्रगति के लिए उचित वातावरण तैयार हो रहा है, तो फिर भला औद्योगिक उत्पादन में गिरावट क्यों आ रही है ? बचत में वृद्धि के बावजूद पूंजी निवेश में कमी क्यों हुई है ? फिर भला कुशल प्रशासन के बावजूद करों की वसूली में कमी होने के क्या कारण हैं ?

राशि निवेश के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में दुःखद तथ्य सामने आये हैं । इससे पता चलता है कि जबकि देश की आंतरिक बचत में मामूली सी वृद्धि हुई है वहां कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कम राशि का निवेश हुआ है । ऐसी स्थिति में देश में गरीबी बनी रहेगी ।

545 करोड़ रुपये के भारी कर जो इस बजट में लगाये गये हैं, चिंता का विषय हैं । लगभग सभी वर्गों पर कर लगाया गया है । इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 1951 से 1976 तक राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने 91,000 करोड़ रुपये के कर वसूल किये हैं । प्रत्येक वर्ष नये करों की मात्रा या केन्द्र में करों की अतिरिक्त वसूली भारत के एक बड़े राज्य की वार्षिक वित्तीय आय की तुलना में अधिक है । इससे पता चलता है कि किस प्रकार केन्द्र ने लोगों की दयनीय दशा पर विचार किए बिना अन्धाधुन्ध नये कर लगाये हैं ।

वित्त मंत्री ने उत्पादित बिजली पर 2 पैसे प्रति के० डब्ल्यू० एच० की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया है । दूसरे शब्दों में उन्होंने एक नये कर का प्रस्ताव रखा है जिसे पहले किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की थी । उन्होंने देश में राज्य बिजली बोर्डों की अलाभप्रद स्थिति को महसूस नहीं किया है । जब राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति डावांडोल है तो विद्युत उत्पादन पर किसी प्रकार के कर से निःसन्देह राज्य बिजली बोर्डों की हानि में वृद्धि ही होगी और इससे औद्योगिक विकास अवश्य ही रुक जायेगा ।

विद्युत उत्पादन लागत में न केवल इस नये कर के कारण अपितु कोयले पर 5 से 10 रुपये तक प्रति टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाये जाने से भी भारी वृद्धि होगी । मैं इसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा करके सरकार ने राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों मे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है ।

अभी तक बिजली केवल राज्यों के लिए ही आय का स्रोत थी । अब वित्त मंत्री ने किसी बहाने राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया है । राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता इस कर प्रस्ताव से निस्संदेह धूमिल हो गई है । यदि हमारे वित्त मंत्री के मन में राज्यों के प्रति तनिक भी आदर भावना है तो उन्हें यह कर लगाने से पूर्व राज्य सरकारों से भी परामर्श करना चाहिए था । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । ऐसा लगता है उन्होंने इस मामले में दूरदर्शिता बरतने के बजाय राजनीतिक लोभ के कारण ऐसा किया है ।

यह बड़ी दुःखपूर्ण बात है कि यद्यपि राज्य सरकारें बिक्री कर के उन्मूलन की नीति के विरुद्ध हैं फिर भी वित्त मंत्री इस नीति को छोड़ना नहीं चाहते । असुविधा से बचने के लिए तथा कर-वसूली में समानता लाने के बहाने केन्द्र ने राज्यों की समूची अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया है ताकि राज्यों की सीमित और स्वायत्त स्थिति को और कम किया जा सके ।

यदि केन्द्रीय सरकार ने बिक्री कर लगा दिया तो सभी राज्यों को केन्द्र की ओर देखना पड़ेगा । यह बात किसी आत्मसम्मान वाले व्यक्ति को बिलकुल पसन्द नहीं होगी । अतः मैं बिक्री कर को समाप्त करने के विरुद्ध अन्ना डी० एम० के० की ओर से प्रबल विरोध प्रकट करता हूं ।

श्री यशवंत बोरोले (जलगांव) : मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। बजट का रूझान आरम्भ से ही ग्रामीण विकास की ओर है। यह बजट उस परम्परा का खण्डन करता है जो वर्षों से चली आ रही थी अर्थात यह परम्परागत ढंग का बजट नहीं है ।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने वाला है। यह जनता पार्टी के आर्थिक प्रस्ताव और औद्योगिक नीति के अनुरूप है। यह भी श्रेयस्कर बात है कि कुल 11,000 करोड़ के परिव्यय में से केवल 90 प्रतिशत ही चालू योजनाओं के लिए होगा और शेष 10 प्रतिशत की प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित करना होगा। वित्त मंत्री ने हर सम्भव कर दिखाया है । इसके लिए उनकी सराहना करनी होगी ।

गत 30 वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं पर बहुत धन खर्च किया गया है, किन्तु कितनी प्रगति हुई है और कितना विकास हुआ है ? क्या राष्ट्रीय आय में आशातीत वृद्धि हुई है ? कोई नहीं । विकास दर केवल 3.7 प्रतिशत ही रही है। हम यह बात भूल गये हैं कि हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या देश के 7 लाख गांवों में रहती है । इन लोगों की घोर उपेक्षा की गई है और विकास का लाभ इन्हें नहीं मिला है। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करते समय या बजट तैयार करते समय इस वर्ग के लोगों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

अतः वर्तमान बजट को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। पहले कृषि के लिए 419 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे । अब 1754 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं । बड़ी और मध्यम कृषि परियोजनाओं के लिए 1,166 करोड़ रुपये और छोटी परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उर्वरकों के लिए 238 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जब कि ग्रामीण सड़कों के लिए आबंटित की गई राशि बढ़ा कर 115 करोड़ रुपये कर दी गई है । ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 163 करोड़ रुपये, कल्याण कार्यक्रमों के लिए 538 करोड़ रुपये तथा ग्राम और लघु उद्योगों के लिए कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 मार्च, 1978/23 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 14th March, 1978/Phalguna 23, 1899 (Saka).

ओ०म०नं०- -वि०3—61 एल० एस० एस० (एन० डी०)/78—20-6-78—210.